सोमवार
१३ दिसंबर १९५४

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
On 11.4.83
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३	१–४१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . .	४१–७५
अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६	७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४	१३९—८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२	१८१—८९
अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . .	१८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४	२२१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६	२५४—६१
अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४	२६१—९२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

	स्तम्भ
तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५	२९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१	३४१—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६	३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९	३९५—४३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१	४३८—५०
अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१	४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ से २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ और २९७	४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ से २९६, २९८, २९९, ३०२ और ३०३	४९१—५०१
अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ से २६६, २६८ से २७६	५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . . स्तम्भ ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ . . . ८११—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अक १३ —गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, १११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, **९७९**, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . : . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नो .)

लोक-सभा

सोमवार, १३ दिसम्बर १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खान इंजीनियरी तथा भूतत्व विज्ञान के विद्यार्थी

*१०५९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में खान इंजीनियरी तथा भूतत्व विज्ञान के कितने विद्यार्थी भारतीय खान स्कूल के एसोसियेटशिप के डिप्लोमा के लिये अर्हत हुये ; और

(ख) १९५४ में अब तक खान इंजीनियरी के कितने विद्यार्थियों ने स्नातकोत्तर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) क्रमशः ४४ और,

(ख) ४८ ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् इन विद्यार्थियों में से किसी विद्यार्थी को विदेश में उच्च प्रशिक्षण प्राप्ति के लिये सहायता दी गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान्, उनमें बहुत से विद्यार्थी विदेश चले गये हैं, और कुछ विद्यार्थियों ने जाने का इरादा प्रकट किया है । एक विद्यार्थी ने इंग्लिस्तान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना की है,,और एक विद्यार्थी जो जनवरी १९५५ में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण आरम्भ करना चाहता था, इस समय बीमार पड़ा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या १९५४ में खान सम्बन्धी आधुनिक एवं उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के किन्हीं प्राध्यापकों को विदेश भेजा गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : किस विषय के प्राध्यापक ?

सरदार हुक्म सिंह : इस स्कूल के प्राध्यापक, ताकि वे विद्यार्थियों को खान सम्बन्धी नवीनतम शिक्षा दे सकें ।

श्री के० डी० मालवीय : इस स्कूल से प्राध्यापक सीधे नहीं भेजे गये थे । परन्तु कुछ विशेषज्ञ नवीनतम उपकरणों का जो वहां उपलब्ध हैं, अध्ययन करने के लिये विदेश गये थे ।

सरदार हुक्म सिंह : स्कूल के वर्कशाप तथा प्रयोगशाला के प्रशिक्षण के अतिरिक्त, क्या इन विद्यार्थियों को किन्हीं खानों या भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य स्थानों पर ले जाया जाता है ताकि वे प्रयोगात्मक प्रशिक्षण ले सकें ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान् । पास होने वाले विद्यार्थियों के प्रयोगात्मक प्रशिक्षण के लिये परामर्शदात्री समिति ने एक योजना की सिफारिश की है । जिन विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाना था, उन के व्यय को पूरा करने के प्रश्न पर विचार किया गया था । उद्योग द्वारा दिये जाने वाले अंश की वसूली की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता, सरकार उन विद्यार्थियों को पास होने के पश्चात् दिये जाने वाले प्रयोगात्मक प्रशिक्षण का समस्त व्यय दे रही है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार ने इन उच्च तथा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया है और क्या वे इस समय की समस्त आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान्, सरकार ने इन व्यक्तियों की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया है और पास होने के पश्चात् जिन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा उनकी संख्या भी परामर्शदात्री समिति की सिफारिश के अनुसार बढ़ा दी गई है ।

पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग

*१०६१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : उन के अन्तिम प्रतिवेदन की कब आशा की जाती है ?

श्री दातार : इस महीने के अन्त तक इसकी आशा की जाती है ।

श्री तिम्मय्या : क्या पिछड़ी श्रेणियों सम्बन्धी आयोग के सदस्यों ने सब राज्यों में भ्रमण किया है ?

श्री दातार : उन्होंने प्रायः सभी राज्यों में भ्रमण किया है ।

पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों के लिये भारतीय नागरिकता

*१०६३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन मुसलमानों से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, जो अगस्त १९५४ के अन्त तक पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में वापिस आ चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सब व्यक्ति, चाहे वे मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम, जो स्थायी रूप से बसने के लिये पारपत्र के साथ भारत में वापिस आ गये हैं, पंजीयन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे २६ जनवरी १९५० तक भारत में पूरे छः महीने तक रह चुके हैं । इन व्यक्तियों के लिये कोई औपचारिक प्रार्थनापत्र देना अनिवार्य नहीं है ।

(ख) ४२६५ व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता के पात्र थे, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ठीक रूप से पंजीबद्ध कर लिए गये थे ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : ऐसे मामलों में सरकार किन आधारों पर नागरिकता प्रदान करने का निर्णय करती है ?

श्री दातार : संविधान के खण्ड ५ से ११ में सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। जो लोग एक निश्चित तिथि अर्थात १९ जुलाई १९४८ से पहले आये थे, बिना कठिनाई भारतीय नागरिक माने जायेंगे। जो लोग इस तिथि के पश्चात् आए हैं, परन्तु वे संविधान के प्रारम्भ से पहले छ: महीने तक भारत में रह चुके हैं, और पारपत्रों के द्वारा भारत आये थे, भारतीय नागरिक समझे जा सकते हैं।

श्री आर० एस० दीवान : क्या यह सच है कि पाकिस्तान से अस्थायी पारपत्रों के साथ आने वाले व्यक्तियों को, यदि वे अवधि से अधिक ठहरते हैं तो दंड दिया जाता है और एक या दो महीने के लिये कारावास में भेज दिया जाता है, परन्तु उन्हें यहां ठहरने दिया जाता है ?

श्री दातार : मैं इस का उत्तर दे चुका हूं। ऐसे मामलों का निपटारा हम पाकिस्तान के उच्च आयुक्त के साथ मिल कर करते हैं और उसके द्वारा उन्हें वापिस भेजने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ किये गये समझौते के अनुसार हमारे लिये उनको भारत से बलात बाहर भेजना सम्भव नहीं है।

चांदी शोधन संयंत्र

*१०६५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदी शोधने का संयंत्र स्थापित करने के लिये आवश्यक मशीनें जर्मन सार्थ अर्थात् "मैसर्ज़ देमाग, इलैक्ट्रो-मैटाल्लर्जिक" के साथ किये गये समझौते की शर्तों के अनुसार अब तक मिल चुकी हैं ; और

(ख) इस संयंत्र को स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां, श्रीमान। सार्थ-द्वारा तीन किश्तों में आवश्यक सामान देने का करार किया गया था और उसमें से एक किश्त दी जा चुकी है, दूसरी किश्त का सामान भी भेजा जा चुका है और आशा की जाती है कि अन्तिम किश्त भी जनवरी १९५५ तक भेज दी जाएगी।

(ख) इस परियोजना सम्बन्धी सिविल इंजीनियरी का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है, और जबकि संयंत्र स्थापित करने का काम, सामान के निर्माण और संभरण के सम्बन्ध में मैसर्ज़ देमाग इलैक्ट्रोमैटाल्लर्जिक के साथ किये गये करार की शर्तों के अनुसार, एक गैर सरकारी सार्थ को अर्थात् मैसर्ज़ सिपलकर ब्रादर्स (इण्डिया) सीमित को दिया गया है। इस सम्बन्ध में पहले सार्थ के साथ एक पृथक् करार किया जा रहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भवन बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है और उसके बन जाने के शीघ्र पश्चात् संयंत्र निर्माण कार्य आरम्भ हो जाएगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मशीनों की कुल कितनी लागत होगी ?

श्री ए० सी० गुहा : इस सार्थ ने इसे ३,६५,९७५ पौण्ड में देने का वचन दिया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह तथ्य है कि अधिकतर मशीनें जोड़ कर बनाई हुई हैं और मौलिक नहीं हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं इसे ठीक नहीं समझता। मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार ने यह जानने का कोई प्रयत्न किया है कि आया हमें दी जाने वाली मशीनें मौलिक हैं या उनमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : यह प्रश्न हमारे सामने नहीं उठा क्योंकि यह सर्वथा नवीन प्रश्न है। किन्तु हमने निश्चय कर लिया है कि हमें जो मशीनें दी जा रही हैं वे बहुत अच्छी हैं और इस काम के लिये बिल्कुल ठीक हैं।

विशेषज्ञों का दल (फोर्ड फाउण्डेशन)

***१०६७. श्री गिडवानी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यापकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्याओं का परीक्षण करने तथा माध्यमिक पाठशालाओं में पाठ्य क्रम का परीक्षण करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त और फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा पोषित अन्तर्राष्ट्रीय दल ने यह प्रतिवेदन किया है कि अध्यापकों के वेतन बढ़ाये जाने चाहियें; और

(ख) इस अन्तर्राष्ट्रीय दल ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान इस दल के "माध्यमिक पाठशालाओं में अध्यापक और पाठ्यक्रम" शीर्षक वाले प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

श्री गिडवानी : क्या इस दल ने यह रिपोर्ट की है कि अध्यापकों के वेतन बहुत ही कम हैं और जब तक उनके वेतनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की जाती, शिक्षा सम्बन्धी प्रगति की कोई आशा नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : यह सच हो सकता है।

श्री गिडवानी : क्या इस दल ने यह सिफारिश की है कि भारत सरकार और राज्यसरकारों को अपनी यह नीति घोषित करनी चाहिये कि अध्यापकों के सामान्य स्तर को समान उत्तरदायित्व वाले सार्वजनिक कार्य करने वाले उपयुक्त शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के स्तर के समान उठाया जाना चाहिये ?

डा० एम० एम० दास : शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड ने जो सिफारिशें की हैं, उनमें यह सिफारिश भी सम्मिलित है ?

श्री गिडवानी : क्या उपरोक्त सिफारिशों को कार्य रूप में परिणत करने के लि` कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० एम० एम० दास : पिछली जुलाई में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रारम्भिक और माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों की वेतन वृद्धि के लिये एक योजना बनाई थी, और यह मन्त्रिमंडल को प्रस्तुत की गई थी। जहां तक माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार को इस योजना के अनुसार ११ करोड़ रुपये की राशि देनी पड़ेगी, जो कुल बढ़ाये गये आंकड़ों का ५० प्रतिशत है। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया है कि करारोपण जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने और उस पर विचार हो जाने के बाद ही इतने बड़े व्यय वाले मामलों पर विचार किया जाएगा।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : मैं इतनी बात और बढ़ा दूं कि इस स्कीम पर कैबनेट ने गौर किया था, मगर वाकया यह है कि सेंटरल गवर्नमेंट कैपीटल खर्च के लिये तो रुपया निकाल सकती है, लेकिन सालाना रैकरिंग खर्च की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। यह स्टेट की जिम्मेदारी है।

श्री स० न० दास : क्या किसी राज्य सरकार ने अपने वित्तों पर अवलम्बित रह कर इस दिशा में कार्यवाही करने की इच्छा प्रकट की है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड की सिफारिशों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों ने इनको स्वीकार कर लिया है, इसलिये मैं समझता हूं कि उन्होंने इन सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रीय आय समिति

*१०७१. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि राष्ट्रीय आय समिति के समक्ष विशेषज्ञों ने यह राय व्यक्त की है कि नीति सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय नमूना परिमाप द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों से कोई लाभ नहीं होगा और यही धन अन्य प्रकार की जांच पर व्यय करके अधिक लाभदायक परिणाम निकल सकते थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस बारे में काई कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री मुरारका : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान राष्ट्रीय आय समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ १३६ की कण्डिका (३.४१) की ओर दिला सकता हूं जिसमें यह स्पष्टतः लिखा हुआ है कि समिति के समक्ष यह विचार व्यक्त किया गया था........श्रीमान्, मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

"इस विषय में एक दृष्टिकोण यह है कि भारतीय परिस्थितियों में इसप्रकार के विषय में, जिसमें कि औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत और अतुल वित्तीय संसाधनों सहित अर्थ मुद्रा वाली व्यवस्था वाले और पूर्णतः शिक्षित जनसंख्या वाले देशों में भी उपभोक्ता के व्यय सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने या उन्हें राष्ट्रीय आय के प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाने का राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रयत्न नहीं किया गया, यहां विश्वस्त आंकड़े प्राप्त करना बहुत कठिन होगा उसी दृष्टिकोण के अनुसार.....

अध्यक्ष महोदय : आप को प्रश्न पूछ में कितना समय लगेगा।

श्री मुरारका : श्रीमान् यही प्रश्न है :

"उसी दृष्टिकोण के अनुसार यह भी जानना कठिन है कि भारत में नीति प्रयोजनों के लिए ऐसे आंकड़ों से ठीक ठीक क्या लाभ होगा, और यह कहा जाता है कि इसी व्यय से अधिक लाभदायक परिणाम निकल सकते थे।"

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

श्री मुरारका : मेरा प्रश्न यह था कि क्योंकि विशेषज्ञों ने यह विचार इस समिति के समक्ष व्यक्त किया था इसलिए सरकार यह देखने के लिए कि राष्ट्रीय आय समिति इन आंकड़ों का प्रयोग करे, क्या कार्यवाही कर रही है या वे इन आंकड़ों का कुछ और प्रयोग कर रहे हैं ? माननीय मंत्री ने यह अस्वीकार किया है कि ऐसा कोई मत व्यक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे बल्कि भाषण दे रहे हैं। पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे दिया जाये।

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान् मैं अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने कण्डिका (३.४१) का केवल एक भाग पढ़ा है। यदि वे सारा पढ़ें, तो सम्भवतः भ्रान्ति दूर हो जायेगी।

तालाब का ढह जाना

***१०७२. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की छड़ों से दृढ़ किये गये सीमेंट और कंकड़ का तालाब जो हाल ही में पश्चिमी कमान के मुख्य इंजीनियर के निदेश और अधीक्षण में सबाथू (शिमला पहाड़ी) में बहुत लागत पर बनाया गया था अक्तूबर १९५४ के अन्त में ह गया था और उलट गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके बनने के बाद इतनी जल्दी ढह जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके बनाने पर कितना व्यय हुआ और किस सार्थ को यह कार्य दिया गया था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) विषय की शिल्पिक दृष्टिकोण से जांच की जा रही है ; और

(ग) (१) लगभग ३ लाख पये ।

(२) मैसर्स इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लि०, दिल्ली ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या उस काम का फाइनल पेमेंट कर दिया गया है ?

सरदार मजीठिया : जी हां, इसका भुगतान कर दिया गया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह बात सही है कि वहां के चीफ इंजीनियर की लापरवाही और देख-रेख की कमी की वजह से काम खराब हुआ था ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं, यह ठीक नहीं है । ककड़ों के नीचे एक स्रोत था जिसके कारण यह उलट गया है और मैं यह भी क देना चाहता हूं कि इस काम के ीक प्रकार पूरा होने से इंजीनियर सन्तुष्ट था ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं पूछना चाहता हूं कि काम कब समाप्त हुआ और उसके कितने दिनों के बाद गिर गया ?

सरदार मजीठिया : यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि मैंने बताया कि बाद में उस तालाब के नीचे एक स्रोत निकल आया था जिस के बारे में पहले कुछ पता नहीं था और यह उस स्रोत के कारण गिर गया था न कि गलत निर्माण के कारण ।

पंडित ी० एन० तिवारी : मेरा प्रश्न यह था कि यह कब तैयार किया गया था और कितने मास पश्चात् गिर गया ?

सरदार मजी या : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

पंडित डी० एन० तिवारी : पूरा भुगतान हो जाने के पश्चात् यदि ठेकेदार की किसी गलती का पता लगे तो उससे धन कैसे वसूल किया जायेगा ?

सरदार मजी या : जैसा मैंने बताया काम न ने के अ सार पूरा किया गया था और निर्माण कार्य में कोई गलती नहीं थी ।

गिरजा घरों का खर्च

***१०७३. श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गिरजा-घरों के संधारण और उनका खर्च चलाने के लिए गत पांच वर्षों में विदेशों से कितनी धन राशि प्राप्त हुई ;

(ख) इन प्राप्तियों के स्रोत क्या थे और प्रत्येक स्रोत से कितना वार्षिक अंशदान प्राप्त हुआ ; और

(ग) गिरजा-घरों द्वारा इसमें से कितने प्रतिशत राशि भारत में (१) प्रचार कार्य पर और (२) धर्मार्थ कामों के लिए व्यय की गई ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). १ जनवरी, १९५० से ३० जून, १९५४ तक की कालावधि के लिये आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १]** ३० जून, १९५४ के बाद की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं विवरण से देखता हूं कि १९५० से जून १९५४ तक भारत में विभिन्न देशों से २९·२७ करोड़ रुपये प्राप्त हुए । क्या यह सच है कि इस राशि का कुछ अंश राजनैतिक प्रचार के लिए प्रयोग किया जाता है ? यदि हां, तो सरकार स राशि को पूर्णतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री एम० सी० शाह : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि प्रचार के लिए कितनी राशि व्यय की गई और धर्मार्थ कार्यों के लिए कितनी । रुपया भेजने के सम्बन्ध में सिवाय पूंजी लगाने के, विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं । क्या धर्मार्थ कार्यों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए यह धन राशि व्यय की जाती है इसका उत्तर गृह मंत्रालय देगा । उन्होंने ये सब आंकड़े गृह मंत्रालय को भेज दिये हैं ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से क्या मैं यह समझूं कि इस प्रकार प्राप्त धन राशि में से राजनैतिक प्रचार के लिए व्यय करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ?

श्री एम० सी० शाह : मैंने ऐसा नहीं कहा । मैंने बताया कि विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन जहां तक पैसे भेजने का सम्बन्ध है सिवाय पूंजी लगाने के और कहीं कोई प्रतिबन्ध नहीं है और जब किसी गिरजा-घर को विदेश से कुछ पैसे मिलते हैं तो वे उन बैंकों को दे दिये जाते हैं जो विदेशी मुद्रा का कार्य करते हैं । धनराशि कैसे व्यय की गई है इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है,' इस बात का पता लगाना कि यह राशि धर्मार्थ कार्यों के लिये व्यय की जाती है अथवा राजनैतिक प्रयोजनों के लिये व्यय की जाती है और तदानुसार कार्यवाही करना गृह मंत्रालय का कार्य है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : जब अमरीका यहां धन राशि भेजता है तो क्या सरकार यह विवरण पूछती है कि वह धन राशि किस प्रयोजन के लिये है और यदि हां, तो क्या सरकार को कुछ विदित है कि क्या यह राशि धर्म परिवर्तन के लिए व्यय की जाती है, यदि हां, तो कितनी राशि ?

श्री एम० सी० शाह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि केवल पूंजी लगाने के प्रयोजन के लिए यदि—धन राशि पूंजी लगाने में व्यय की जानी हो—तो मुद्रा विनियमों के प्रतिबन्ध हैं, परन्तु जहां तक पूंजी लगाने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये भेजी गई राशि का सम्बन्ध है इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री ने विदेशी मुद्रा प्रतिबन्धों के बारे में बताया है । क्या भारत सरकार का, भारत में गिरजाघरों और अन्य संस्थाओं को विदेश से आने वाली धन राशि पर कोई नियंत्रण है ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा मैं पहले कह चुका हूं । यह प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछा जा सकता है ।

परिवार कल्याण परियोजनाएं

*१०७४. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** क्या शिक्षा मंत्री ये बातें दर्शाने वाला ;

विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड के अधीन सारे भारत में परिवार कल्याण के लिए कितनी प्रयोगात्मक परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में आरम्भ की गई ऐसी परियोजनाएं किस प्रकार की हैं और ऐसी परियोजनाओं को धन देने की क्या योजना हैं ;

(ग) भारत सरकार ने राज्यवार ऐसी परियोजनाओं को कितनी सहायता दी है ; और

(घ) भारत सरकार ने केन्द्रीय बोर्ड के लिए कितनी राशि नियत की है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० म० दास) : (क) एक।

(ख) और (ग). दिल्ली में सहकारी आधार पर एक दियासलाई का कारखाना खोला जा रहा है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने २,५०,००० रुपये के ऋण ६०,००० रुपये के अनुदान के रूप में ३,१०,००० रुपये की आरम्भिक पूंजी दी है।

(घ) विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को कोई राशि नहीं दी गई है।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या अभी तक इस बोर्ड को जनता की ओर से कोई अंशदान प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो इस रूप में कितनी धन राशि प्राप्त हुई है ?

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य का आशय दान के रूप में दिए गये जनता के अंशदान से है ....

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : वित्तीय अंशदान।

डा० एम० एम० दास : तब हमें ऐसा कोई अंशदान नहीं मिला है।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या परियोजनायें संतोषजनक रूप से चल रही हैं अथवा नहीं ?

डा० एम० एम० दास : केवल दिल्ली में ही ऐसी एक योजना आरम्भ की गई है। यह किसी अन्य राज्य में नहीं आरम्भ की गई है।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या कुछ योजनायें मनीपुर में प्रारम्भ की गई हैं, और यदि हां, तो उन योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है ?

डा० एम० एम० दास : मैंने बताया कि सम्पूर्ण भारत में केवल दिल्ली में ही एक ऐसी योजना प्रारम्भ की गई है।

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार सम्पूर्ण भारत में इस योजना का विस्तार करने का विचार कर रही है ?

डा० एम० एम० दास : इस समय देश के अन्य भागों में ऐसी योजनायें आरम्भ करने का कोई विचार नहीं है।

श्रीमती ए० काले : दिल्ली के साथ यह पक्षपात क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

फौजी रिजर्व कर्मचारी

*१०७८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री १७ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे फौजी रिजर्व कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त नौकरियां दी जा चुकी हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : अपेक्षित जानकारी जो कि सारी राज्य सरकारों

से मंगाई गई है, सरकार के पास नहीं है, और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कुल कितने सैनिक रिज़र्व में भेजे जा चुके हैं ?

सरदार मजीठिया: मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री भक्त दर्शन: शायद करीब एक वर्ष हो गया जबकि केन्द्रीय सरकार की ओर से इस तरह का कोई परिपत्र राज्य सरकारों को भेजा गया था, तो क्या उस सम्बन्ध में उनको कोई स्मरण-पत्र भेजा गया है या भेजे जाने का विचार किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : माननीय सदस्य ीक कह रहे हैं, हमने राज्य सरकारों से इन कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के बारे में कहा था । जैसा मैं बता चुका हूं, इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई है, कि इस मामले में उन्होंने क्या किया है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इस प्रश्न का सम्बन्ध १० दिसम्बर, १९५३ के प्रश्न से है ? यदि हां, तो सरकार को जानकारी एकत्र करने में यदि अभी तक यह एकत्र नहीं की गई है, कितना समय लगेगा ?

सरदार मजीठिया : यदि माननीय सदस्य ने उस तारीख को पूछे गये प्रश्न को पढ़ा है, तो उनको पता चलेगा कि उसका सम्बन्ध केवल उससे है जो कि भारत सरकार ने किया है । अब वे यह जानकारी चाहते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा क्या किया गया है । जैसा मैंने बताया यह जानकारी एकत्र की जा रही है ।

चं ीगढ़ परियोजना पर व्यय

***१०८१. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री ६ मई, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भारत सरकार से चंडीगढ़ राजधानी परियोजना प्रशासन के लिये आगे और कोई ऋण मांगा है ;

(ख) क्या सरकार का ऋण देने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

राजस्व और असैनक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) जी हां । पंजाब सरकार ने चालू साल में चंडीगढ़ परियोजना के लिये निम्नलिखित रूप में ऋण सम्बन्धी सहायता मांगी है :—

(१) मुख्य परियोजना के लिये १२५ लाख रुपये (जिसके लिये आरम्भ में उन्होंने १६८ लाख रुपये मांगे थे) ।

(२) चंडीगढ़ में निजी गृह निर्माण हेतु प्लाट वालों को पुन: ऋण देने के लिये एक करोड़ रुपये ; और

(३) चंडीगढ़ के स्थायी सरकारी कर्मचारीवृन्द के लिये सरकारी खर्चे पर ३३४ अतिरिक्त घर बनवाने के लिये ४४ लाख रुपये ।

(ख) और (ग). भारत सरकार चालू साल में केन्द्रीय सहायता के एक भाग के रूप में चंडीगढ़ राजधानी परियोजना के लिये पंजाब सरकार को १२५ लाख रुपये का ऋण देने और एक ऐसी योजना के सम्बन्ध में, जिसका निश्चय भारत सरकार के परामर्श से होगा, प्लाट वालों को पुन: ऋण देने के लिये एक करोड़ रुपये देने को सहमत हो गई है ।

जहां तक चंडीगढ़ में सरकारी खर्चे पर ३३४ अतिरिक्त घरों के बनवाने के लिये ४४ लाख पये की मांग का सम्बन्ध है, राज्य सरकार को यह सूचना दे दी गई है कि इस काम के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : चंडीगढ़ राजधानी शासन के सम्बन्ध में व्यय और राजस्व के बीच लगभग कितना अन्तर है और स अन्तर के क्या कारण हैं ?

श्री एम० सी० शाह : इसका उत्तर पंजाब सरकार दे सकती है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम तो केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में ही बता सकते हैं। मैं यह बता सकता हूं कि इस परियोजना पर पूंजी व्यय लगभग १६·५ करोड़ पये होगा, जिसमें से १० करोड़ रुपये इस योजना की अवधि में व्यय किये जायेंगे। ६ करोड़ रुपये की सहायता ी जायेगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पंजाब सरकार को समय समय पर दी गई बड़ी वित्तीय सहायता को देखते हुए क्या सरकार इसको वांछनीय समझती है कि वह इसकी जांच करे कि वहां धन का व्यय किस प्रकार किया जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : यह हमेशा होता है। जब हम किसी सरकार को ऐसी सहायता देते हैं, तो हमेशा यह देख लेते हैं कि क्या वह सहायता आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार परियोजना की भी देख-भाल कर ी है। उसके बाद, केन्द्रीय सहायता के रूप में व्यय का कुछ अंश दिया जाता है। हम हमेशा न चीजों का ध्यान रखते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : परियोजना प्रशासन द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है, और भविष्य में कितना व्यय किया जायेगा ?

श्री म० सी० शाह : जैसा मैंने बताया परियोजना का कुल व्यय १६·५ करोड़ रुपये है। योजना की अवधि में इस व्यय में से ६ करोड़ पये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने थे। इसमें से ३ करोड़ रुपये पुनर्वास मंत्रालय ने पुनर्वास कार्यों के लिये दिये थे, और इसे भी ध्यान में रखना आवश्यक था। शेष ३ करोड़ रुपये दिये जाने थे। गत वर्ष हमने ७५ लाख रुपये दिये थे। २२५ लाख रुपयों में से, चालू साल में १२५ लाख रुपये और अगले वर्ष १०० लाख पये देना तय हुआ था। कुछ चर्चा के बाद सम्पूर्ण आयोजित सहायता के सम्बन्ध में संशोधित प्राक्कलन तैयार किये गये, और आयोजित खर्चे में ी वृद्धि ही गई है। मैं आपको वह भी बता सकता हूं। मूल प्राक्कलन २०·२ करोड़ रुपये का था, और केन्द्रीय सहायता लगभग ११ करोड़ रुपये की थी। संशोधित प्राक्कलन २७·३ करोड़ रुपये का है और संशोधित केन्द्रीय सहायता १६·३७ करोड़ रुपये की होगी। इन संशोधित प्राक्कलनों में स चंडीगढ़ राजधानी परियोजना का व्यय भी सम्मिलित है।

सरदार हुक्म सिंह : नयें ऋणों को मांगते समय, क्या पंजाब सरकार ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया था कि इतनी सुविधाओं की व्यवस्था होने पर भी निजी निर्माता मकान क्यों नहीं बना रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह: यह भी पूछा गया था। यह मालूम हुआ कि प्लाट शरणार्थियों ने खरीदे थे। वे निर्माण कार्य के लिये व्यवस्था नहीं कर सके। कम साधन वाले व्यक्तियों तथा शरणार्थियों द्वारा प्लाटों का खरीदा जाना ही एकमात्र कारण था। अतः सरकार इन प्लाटों पर मकान बनवाने के लिये इन लोगों को ऋण देना चाहती थी। इस प्रकार पंजाब सरकार को ऋण के रूप में एक करोड़ पया दिया जाना था, ताकि प्लाट

वालों को अपने प्लाटों पर मकान बनवाने के लिये पथा पुनः उधार दिया जा सके ।

बिक्री-कर

***१०८५. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वित्त** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिक्री कर सम्बन्धी पदाधिकारियों की समिति द्वारा कौनसी विशिष्ट सिफारिशें की गई थीं और इस विषय में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अन्तर्राज्य सौदों के बारे में व्यापार की कठिनाइयों से अवगत है ; और

(ग) इस विषय में सरकार के कब तक कोई निश्चित निर्णय कर लेने की सम्भावना है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) पदाधिकारियों की समिति ने अपनी अन्तर्कालीन योजना में जो सिफारिशें की थीं, उनकी रूपरेखा ११ फरवरी, १९५४ को जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति में दे ी गई थी । इसकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २]

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) करारोपण जांच आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की ृष्टि से सरकार इस मामले पर फिर से विचार करना चाहती है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार यह समझती है कि वर्तमान प्रबन्धों से यद्यपि ये केवल अस्थायी हैं, अन्तर्राज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है ?

श्री एम० सी० शाह : सरकार अन्तर्राज्य व्यापार सम्बन्धी क ि नाइ ों से अवगत है और जैसा मैंने अभी बताया, करारोपण जांच आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, जो कुछ सम्भव होगा किया जायेगा ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या संविधान में ऐसा उपबन्ध नहीं है कि इस विषय में केन्द्रीय सरकार का एक निश्चित उत्तरदायित्व है ?

श्री म० सी० शाह : अनुच्छेद २८६ में इस बात के बारे में स्पष्ट प से कहा गया है । सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि करारोपण जांच आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही इन बातों पर विचार किया जा सकता है । सरकार तब यह विचार करेगी कि अनुच्छेद २८६ के अधीन क्या वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री के० सी० सोधिया : उन्हें इस में कितना समय लगेगा ?

श्री एम० सी० शाह : हम इस बात के लिये उत्सुक हैं कि यह मामला यथाशीघ्र तय हो जाये ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

***१०८६. श्री आर० एस० दीवान :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली ने अपने आरम्भ काल से अब तक किन मुख्य विषयों में गवेषणा की है, जिनसे देश के वर्तमान उद्योगों को लाभ पहुंचा है अथवा नये उद्योगों को आरम्भ करने में सहायता मिली है ?

कृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेष मंत्रालय में ंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३]

श्री आर० एस० ेवान : क्या कोई ऐसा संगठन या निकाय है जो उद्योगपतियों तथा इस प्रयोगशाला में सम्पर्क बनाये रखता हो ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान्। मन्त्रालय में एक संगठन है जिसका नाम राष्ट्रीय गवेषणा निगम है, जो प्रयोगात्मक रूप से परीक्षण करता है।

श्री आर० एस० ीवान : क्या कुछ लभूत समस्याओं के सम्बन्ध में वैज्ञानिक स्वयं ही गवेषणा आरम्भ करता है और क्या वहां के प्राधिकारी उनकी सहायता करते हैं और उसे प्रोत्साहन देते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : प्रयोगशाला में अपने गवेषणा कार्य को करने तथा उसका परीक्षण करने के लिय वैज्ञानिकों को सभी सम्भव प्रोत्साहन दिया जाता है।

श्री आर० एस० दीवान : क्या वैज्ञानिकों को, वहां के उत्तरदायी लोगों द्वारा सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, यह तो स्पष्ट है।

श्री आर० एस० दीवान : क्या वहां के एक वैज्ञानिक ने तापीय विद्युत् उत्पन्न करने वाला संयंत्र बनाया है जो कि रेडियो चलाने में अधिक उत्तम स्थानापन्न होगा ? क्या उसको भी उचित सहायता तथा प्रोत्साहन नहीं दिया गया ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है उसके सम्बन्ध में मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है। यदि उनके पास कोई जानकारी है, तो वह मुझे दे दें, ताकि मैं उसकी पड़ताल कर सकूं।

बिस्पत (कच्चे तम्बाकू के पत्ते)

***१०८८. श्री बर्मन** : क्या वित्त मंत्री १५ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल (कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों) में बाढ़ के हट जाने के बाद बिस्पत (कच्चे तम्बाकू के पत्ते) की मात्रा जानने के लिए कोई और कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि बिस्पत पर शुल्क की दर कम करके इसका संरक्षण किया जाये ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां श्रीमान्। ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि बिस्पत (कच्चे तम्बाकू के पत्ते) की मात्रा, पश्चिमी बंगाल के तम्बाकू के कुल उत्पादन से २ प्रतिशत कम होगी।

(ख) नहीं श्रीमान्। सरकार ने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया है।

श्रीमान्, मैं ने पहली बार यह आश्वासन दिया था कि मैं कुछ जांच कराऊंगा। उस आश्वासन के अनुसरण में, एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है जिसमें वह समस्त जानकारी जो कि हम इस बीच एकत्र कर सके दी हुई है।

श्री बर्मन : यह विवरण पटल पर कब रखा गया था ?

श्री ए० सी० गुहा : १ दिसम्बर, १९५४ को।

श्री बर्मन : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि इस शुल्क के कारण बिस्पत को इकट्ठा करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है क्या माननीय मंत्री ने यह जांच भी कराई है कि क्या इस शुल्क के लगाये जाने के बाद से बिस्पत को इकट्ठा करना बंद कर दिया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा: सम्भवतः शुल्क से इसका अधिक सम्बन्ध नहीं है। इसके कई अन्य कारण भी हैं। बिरपत तम्बाकू का इकट्ठा किया जाना लगभग बन्द हो गया है। मेरे विचार में इसका सब से मुख्य कारण तो यह है कि उनके लिये पूर्वी बंगाल का बाज़ार बंद हो गया है। किसान लोग इस तम्बाकू को अपने खेतों में खाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसलिये अधिक शुल्क के कारण ऐसा नहीं हुआ है।

श्री बर्मन: जो कारण माननीय मंत्री ने बताये हैं उन्हें स्वीकार करते हुये क्या यह सच नहीं है कि यदि शुल्क की दर कम कर दी जाये तो सरकार को भी कुछ राजस्व मिल जायेगा और उत्पादकों को भी अपने परिश्रम का पारिश्रमिक प्राप्त हो जायगा ?

श्री ए० सी० गुहा: मेरे विचार में इससे किसानों को अधिक लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत इससे सरकार को कई प्रशासनिक कठिनाइयां हो जायेंगी, क्योंकि तम्बाकू पर उसकी किस्मों के अनुसार शुल्क लिया जाता है, न कि तम्बाकू के मूल्य के अनुसार। इसलिये कम मूल्य के कारण यदि हम भिन्न भिन्न दरों के हिसाब से शुल्क लगा दें, तो इससे हमें समस्त देश में अन्तर करने पड़ेंगे, क्योंकि तम्बाकू का मूल्य कुछ आने पाउण्ड से लेकर कई रुपये पाउंड तक है। जैसा कि मैंने बताया तम्बाकू के मूल्य के अनुसार शुल्क नहीं लगाया जाता, किन्तु उसकी किस्मों के अनुसार ही लगाया जाता है और इसकी तीन या चार किस्में हैं।

सांची का स्तूप

***१०८९. श्री वीरस्वामी:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांची का स्तूप एक सुरक्षित स्मारक है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वर्षों में इस में किस प्रकार की मरम्मत की गई; और

(ग) ३१ अक्तूबर, १९५४ तक गत तीन वर्षों में इस स्तूप की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) जी हां।

(ख) १९५३ और १९५४ में साधारण मरम्मत, जैसे टूटे हुये प्लास्टर को ठीक करना, कोने बनाना, फर्श में पत्थर की चौरस पटिया लगाना, और स्तूपों, विहारों चारों ओर की दीवारों को इस प्रकार ठीक करना जिससे उनमें पानी घुस न सके, की गई थी।

(ग) ७३,३४४ रुपये।

श्री वीरस्वामी: सांची में बौद्ध स्मारक के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार ने सांची में विश्राम-गृह और पहाड़ी की तलहटी में अच्छी सड़कें और पहाड़ी के शिखर तक जाने वाले मार्ग को बना कर इसका विकास करने की कोई योजना बनाई है ?

डा० एम० एम० दास: जहां तक विश्राम-गृहों का सम्बन्ध हैं, दो विश्राम-गृह तो पहले से ही हैं जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार करती है। ये स्तूप और स्मारक रेलवे स्टेशन के बहुत ही निकट हैं अर्थात् ५ मिनट का रास्ता है। इसलिये परिवहन के विकास का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री वीरस्वामी: क्या माननीय सभा-सचिव को इस तथ्य का पता है कि पहाड़ी के शिखर तक जाने वाला मार्ग इतना खराब है कि दर्शक वहां पहुंचने में बड़ी कठिनाई अनुभव करते हैं ?

डा० एम० एम० दास : मुझे कोई वैयक्तिक अनुभव नहीं है, किन्तु यदि यह ठीक है, तो मैं नहीं जानता कि तुरन्त ही क्या किया जा सकता है।

श्री वीरस्वामी उठे—

अध्यक्ष महोदय : यह मामूली विषय है।

समाज कल्याण बोर्ड

*१०९०. **श्री राम दास :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण बोर्ड ने समाज और देश के कल्याण की आवश्यकताओं के बारे में अब तक जो सर्वेक्षण किया है उसका क्या परिणाम हुआ है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० म० एम० दास) : समाज कल्याण बोर्ड ारा कोई राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

श्री राम दास : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह बोर्ड कब बनाया गया था ?

डा० एम० एम० दास : यदि मुझे ठीक याद है, तो बोर्ड १२ अगस्त, १९५३ को बनाया गया था।

श्री राम दास : इस अर्से में क्या इस बोर्ड ने कोई रिपोर्ट पेश की है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): रिपोर्ट का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बोर्ड ने अपना जरूरी स्टाफ मुकर्रर किया है—इंस्पेक्टर मकर्रर किए हैं, वह अपना काम कर रहा है।

श्री राम दास : इस बोर्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं वे सिर्फ शहरों तक महदूद हैं या गांवों के साथ भी उसका कोई ताल्लुक है ?

मौलाना आजाद : उसका ताल्लुक दोनों से है।

श्री गिडवानी : यह जो बोर्ड है वह बिल्कुल खुद मुख्तियार है, या इसके खर्च पर कोई सरकारी नजरदारी भी होती है ?

मौलाना आजाद : एजूकेशन मिनिस्टरी की तरफ से इख्तियार दिया गया है कि वह १५ हज़ार रुपये तक किसी एक मामले में खर्च कर सकता है। १५ हज़ार से ज्यादा रकम के जो मामले होते हैं वह एजूकेशन मिनिस्टर के सामने आते हैं—बोर्ड अटानोमस (स्वायत्त) है और उसको काम करने का इख्तियार दिया गया है।

कोयले के निक्षेप (मिर्जापुर)

*१०९१. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के सिंगरौली कोटा क्षेत्र में कोयले के निक्षेप हैं, कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कोयले के निक्षेपों को उपयोग में लाने के लिए कोई योजना विचाराधीन है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। खनिज पदार्थों को निकालने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

रक्षा स्थापनाओं के कर्मचारी

*१०९३. **श्री अमजद अली :** क्या **रक्षा** मंत्री ११ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा रक्षा स्थापनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिए

समझौता कराने वाली व्यवस्था कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) समझौता कराने वाली व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) समझौता कराने वाली व्यवस्था का निर्माण किया जा चुका है।

(ख) यह व्यवस्था द्विपक्षी होगी, अर्थात् इसमें सरकार और विभिन्न रक्षा स्थापनाओं के कर्मचरियों के प्रतिनिधि होंगे। सरकार तथा कर्मचारियों के मध्य बातचीत तीन स्तरों में होगी अर्थात् (क) एकक/कारखाना/डिपो, (ख) कमांड / वायु मुख्यालय / नौसेना मुख्यालय / आयुध कारखाने के महानिदेशक, (ग) सरकार।

गवेषणा छात्र

***१०९५. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की सिफारिशों के अनुसरण में गवेषणा-छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना को आगे बढ़ाने का विचार है ;

(ख) इस समय विभिन्न संस्थाओं में कितने छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) क्या इस योजना के अधीन अब तक प्रशिक्षण प्राप्त सभी व्यक्तियों को नौकरियों में ले लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां। गवेषणा छात्रवृत्तियां, विश्व विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को दीर्घ-काल के लिये दी जाती हैं। और छात्रवृत्तियां देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

(ख) इस समय ४२९ छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) अभी तक प्रशिक्षित २३७ छात्रों में से, १६७ को नौकरियां दे दी गई हैं और ४५ भारत में या विदेशों में उच्च-गवेषणा कार्य कर रहे हैं। अभी तक यह पता चला है कि ६ विद्यार्थी नौकर नहीं हुए हैं और शेष १२ के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : इंजीनियरिंग और टेकनोलोजिकल संस्थाओं के कितने प्रतिशत छात्रों को सरकार की ये छात्रवृत्तियां मिलती हैं ?

डा० एम० एम० दास : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने गैर-सरकारी उद्योगपतियों से इन छात्रवृत्तियों के लिये कुछ चन्दा देने की कोई प्रार्थना की थी ?

डा० एम० एम० दास : सरकार ने एक और योजना के सम्बन्ध में प्रार्थना की थी अर्थात् क्रियात्मक प्रशिक्षण योजना, जिसमें कुछ उद्योगों ने भाग लिया था।

सांस्कृतिक कार्य

***१०९६. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४ में अब तक कितने व्यक्तियों को विदेशों में पारस्परिक रुचि के सांस्कृतिक विषयों पर और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाने के निमित्त भाषण देने के लिये भेजा गया ; और

(ख) जिन देशों में वे लोग गये उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जहां तक सरकार का सम्बन्ध है ऐसा व्यक्ति एक ही है।

(ख) ब्रिटिश पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह, ब्रिटिश गियाना और जमैका।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने किसी व्यक्ति को विदेशों में व्याख्यान देने के लिये भेजा है?

डा० एम० एम० दास : जी हां, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने तीन व्यक्तियों को व्याख्यान देने के लिये दौरे पर भेजा है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन व्यक्तियों को विदेश भेजने पर कितना व्यय हुआ है ?

डा० एम० एम० दास : भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने श्री एस० सी० दीक्षित को ६०० रु० प्रतिमास के वेतन पर, श्री महातम सिंह को ६०० रु० प्रतिमास के वेतन पर एक वर्ष के लिये और तीसरे व्यक्ति डा० एस० के० चटर्जी को भेजा था। श्री चटर्जी के लिये परिषद् ने ४,३०० ० व्यय किये थे।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या उन्होंने यहां आकर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : डा० आल्तेकर ने एक रिपोर्ट भेजी है।

श्री हेडा : इन लोगों ने किस विषय पर व्याख्यान दिये थे।

डा० एम० एम० दास : प्रो० आल्तेकर ने जो पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति के प्रोफेसर हैं गांधीवादी विचारधारा तथा भारतीय संस्कृति से सम्बद्ध अन्य विषयों पर व्याख्यान दिये थे।

श्री एच० जी० वष्णव : क्या सांस्कृतिक विषयों के अतिरिक्त क्या उन्होंने प्राचीन संस्कृति के किसी विषय पर भी व्याख्यान दिया था ?

डा० एम० एम० दास : संस्कृति में प्राचीन संस्कृति भी आ जाती है।

कैन्टीन

*१०९८. **श्री झूलन सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्टीन स्टोर्स विभाग की सैनिक कैन्टीनों को सैनिक टुकड़ियों के सम्भाल लेने से सेनाओं के कल्याण में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन्हें सम्भाल लेने के बाद से अब तक कितना लाभ हुआ है ; और

(ग) कल्याण सम्बन्धी कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). सैनिक कैन्टीनों को टुकड़ियों के ठेकेदारों के हाथ से ले लेने से सेनाओं के कल्याण में वृद्धि हुई है। यद्यपि यूनिट द्वारा चलाई गई कैन्टीनों के संचित लाभ को आंकना सम्भव नहीं है, किन्तु पैदल सेना की बटेलियन के एक यूनिट के कुल लाभ का अनुमान ६०० रु० प्रतिमास लगाया गया है। यूनिट द्वारा चलाई जाने वाली कैन्टीनों से अर्जित लाभ को यूनिट वाले सेनाओं के अधिकतम कल्याण पर स्वयं व्यय कर देते हैं। ठेकेदारी प्रथा के समाप्त होने के पश्चात् कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) सामान्य थोक बिक्री के साथ साथ फुटकर बिक्री को भी अपने हाथों में ले रहा है अतः और अधिक लाभ होने की आशा है जिसके परिणाम स्वरूप कल्याण तथा सुविधा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये तीनों सेनाओं को और अधिक राशि आवंटित की जा सकेगी। पिछले तीन वर्षों में कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) के शुद्ध लाभों में से क्रमशः ७ ाओं ८ लाख तथा ९/ लाख रुपया सुविधा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये अलग रखा जा चुका है।

श्री झूलन सिंह : क्या इस विभाग द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन देने वाले परिणामों को अन्य मंत्रालयों को प्रेषित किया गया है ?

सरदार मजीठिया : इससे सहायता लेना अन्य मंत्रालयों का काम है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इन कैन्टीनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का स्थान मिल गया है ?

सरदार मजीठिया : वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ।

श्री गिडवानी : क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन किया गया था कि उन्हें स्थायी कर्मचारी समझा जाये ?

सरदार मजीठिया : जी हां, एक अभ्यावेदन किया गया है ।

आयुध कारखाने

*१०९९. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या रक्षा मंत्री इसका कारण बताने की कृपा करेंगे कि आयुध कारखानों के १,६०० जांच करने वालों में से ७०० को निम्न श्रेणी के क्लर्क क्यों नहीं बनाया गया यद्यपि इस सम्बन्ध में कल्याणवाला समिति की सिफारिशें बहुत स्पष्ट थीं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : कल्याणवाला समिति के सदस्यों की सिफारिशें जांच करने वालों के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से नहीं की गई थीं । सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निश्चय किया कि केवल उन्हीं जांच करने वालों के पदों का पुनर्वर्गीकरण निम्न श्रेणी के क्लर्कों में किया जाना चाहिये जिनका कार्य अधिकांशतया क्लर्कों जैसा समझा जाता है और शेष पदों का नाम जांच करने वाला (चेकर) ही रहने दिया जाये । इस आधार पर १८०४ जांच करने वालों में से ९५५ का पुनर्वर्गीकरण निम्न श्रेणी के क्लर्कों के रूप में कर दिया गया है । किन्तु इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि बचे हुए जांच करने वालों में से कुछ वर्गों के कार्य भी क्लर्कों जैसे ही हैं इस कारण उनका वर्गीकरण भी निम्न श्रेणी के क्लर्कों में किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में अग्रेतर जांच की जा रही है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सभापति की मृत्यु के पश्चात् कल्याणवाला समिति के दो सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर अलग अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे ? इनमें से किस सदस्य की सिफारिश स्वीकार की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : इसमें दो सदस्य थे । जब समिति विचार-विमर्श कर रही थी तो इसी बीच दुर्भाग्यवश सभापति की मृत्यु हो गई, इस कारण श्री घोष की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : दूसरे की क्यों नहीं ?

श्री सतीश चन्द्र : केवल एक की सिफारिशें ही स्वीकार की जा सकती थीं क्योंकि वे अलग अलग थीं ।

सीमा-शुल्क चौकियों पर व्यय

*११००. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत तथा लेह की सीमा पर स्थित सीमा-शुल्क चौकियों को सम्भालने पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ;

(ख) क्या स्थिति की जांच करने के लिये केन्द्र से कोई सरकारी दल भेजा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जम्मू तथा काश्मीर

सरकार की लेह-तिब्बत की सीमा पर दो स्थल सीमा-शुल्क चौकियां थीं। राज्य की सीमा के सीमाशुल्क प्रशासन को हाल ही में भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है और अब यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या न दोनों स्थल सीमाशुल्क चौकियों को रहने दिया जाये। यदि इनको रहने दिया जाये तो इन पर नगण्य व्यय होने की आशा है; राज्य सरकार का इन दोनों चौकियों पर लगभग ३०० रु० प्रतिमास व्यय होता था।

(ख) भारत सरकार द्वारा इस प्रशासन को अपने अधिकार में लेने से पूर्व एक सरकारी दल जम्मू तथा काश्मीर राज्य में उक्त राज्य के सीमा-शुल्क तथा "केन्द्रीय" उत्पादन प्रशासन के सर्वेक्षण के लिये भेजा गया था। यह दल लेह-तिब्बत की सीमा पर नहीं गया।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

भूतत्वीय परिमाप (मनीपुर)

***११०२. श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य का भूतत्वीय परिमाप किया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) पहले के किसी प्रारम्भिक परिमाप के अनुसार मनीपुर में खनिज पदार्थों के पाये जाने की क्या सम्भावनायें हैं?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) १९५४-५५ की सर्दियों में।

(ग) मनीपुर राज्य के भागों में १९४७-४८ में किये गये निरीक्षात्मक परिमाप से वहां चूने के पत्थर, बा न (नमक) तथा कच्चे लोहे के पाये जाने की सम्भावना जान पड़ी थी।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : परिमाप पर अनुमानित व्यय क्या होगा?

श्री के० डी० मालवीय : प्रत्येक परिमाप में कितना वित्त लगेगा साधारणतया इसका कोई अनुमान हम नहीं लगाते हैं। परिमाप कार्यक्रम आवश्यकतानुसार निश्चित कर लिये जाते हैं और परिमाप पर जो कुछ भी धन व्यय होता है वह मंत्रालय द्वारा भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग में किया जाता है।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या यह सच है कि हाल के परिमाप से पता लगा है कि इस राज्य में कोयले के निक्षेप भी हैं और यदि हां, को इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैंने बताया वहां कुछ खनिज पदार्थों के चिन्ह पाये जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में कोयला होने के चिन्ह भी मिले हैं। कोयला अथवा अन्य किसी खनिज पदार्थ को निकालना राज्य सरकार का काम है और भारत सरकार के पास म सम्बन्ध में जानकारी नहीं है क्योंकि यह राज्यों का विषय है।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या और ज़िलों में भी जियोलाजिकल सर्वे हो रहा है, और अगर हो रहा है, तो किन किन ज़िलों में हो रहा है?

श्री के० डी० मालवीय : हिन्दुस्तान की सभी मुनासिब जगहों पर सर्वे हो रहा है।

विदेशी सहायता

***११०३. श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचवर्षीय योजना के लिये ११६·७ करोड़ रुपये की कुल विदेशी सहायता में से पिछले तीन वर्षों में

अभी तक कुल ३६·२ करोड़ पयों का ही उपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के अवशिष्ट काल में शेष राशि का उपयो करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) अगस्त, १९५४ तक कुल ११६·७ करोड़ रुपया विदेशी सहायता के रूप में व्यय करने का अधिकार है। जिस विदेशी सहायता को व्यय करने का हमें अधिकार मिला है वह मुख्यतया सर्वसम्मत परियोजनाओं के लिये उपकरण तथा सामग्री प्राप्त करने के लिये उपयोग में लाई जाती है; तथा अधिकृत धन राशि के पता लगने के पश्चात् ही इस प्रयोजन पर व्यय करने का वचन दिया जाता है। ३६·२ करोड़ रुपये ३१ मार्च, १९५४ तक प्राप्त हुए उपकरणों तथा सामग्री का मूल्य है।

(ख) विदेशी सहायता के मन्द गति से उपयोग किये जाने का कारण समाहार प्रक्रिया में विलम्ब होना है। स धन राशि का प्रयो करने के लिये काफी पहले परियोजनाओं का चुनाव करके समाहार क्रिया में होने वाले विलम्ब में कमी कर तथा परियोजना के पदाधिकारियों का समाहार में सहयोग लेकर स राशि के शीघ्र उपयोग के लिये कार्यवाही की गई है।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि विदेशी ऋण का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है जबकि विदेशी अनुदान की रकम को केवल कुछ हद तक ही काम में लाया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि मैंने कहा, अनुदानों के उपयोग में विलम्ब होने के कुछ कारण हैं। प्रथम यह कि योजनाएं पहले से तैयार करनी पड़ती हैं। तब प्राधिकरण होता है और प्राधिकरण की अधिसूचना दी जाती है। इन बातों में कुछ देर लगती है। उसके बाद हमें साधन और सामग्री की सूचना तैयार करनी होती है। कभी कभी ये बहुत पेचीदा मामले भी होते हैं, और प्रायः कुछ समय लगता ही है। अतः इसी कारण विदेशी अनुदानों के रूप में दी गई सहायता के उपयोग में विलम्ब होता है।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि इन अनुदानों का कोई भाग इस पंचवर्षीय योजना अवधि में उपयोग में न लाया गया तो क्या इन अनुदानों में से किसी के कालातीत हो जाने की सम्भावना है ?

श्री एम० सी० शाह : कोई अनुदान कालातीत नहीं होगा। जून १९५६ के पूर्व इन अनुदानों का पूर्ण रूप से उपयोग हो जायेगा।

श्री रघुरामय्या : माननीय मंत्री ने बताया है कि ३६·२ करोड़ रुपये का आंकड़ा मार्च १९५४ तक इस देश में लायी गयी सामग्री को बताता है। चूंकि अवधि अगस्त १९५४ तक है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि मार्च और अगस्त १९५४ के बीच जितने मूल्य की सामग्री इस देश में लायी गयी है उसको बताने वाले कोई आंकड़े हैं ?

श्री एम० सी० शाह : वे आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं किन्तु मैं इतना बता सकता हूं कि अलग अलग आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं और वह एक बड़ी सूची है। उनमें से कुछ १९५४–५५ में और कुछ १९५५–५६ में आयेंगे। उनमें रेलवे इंजिन और माल डब्बे शामिल हैं। नदी घाटी और विद्युत् योजनाओं के लिये १० करोड़ रुपये हैं, और इस्पात के लिए १२ करोड़ रुपये हैं। यह एक लम्बी सूची है।

शुष्क क्षेत्रों सम्बन्धी यूनेस्को मंत्रणा समिति

***११०४. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक**

गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि शुष्क क्षेत्र समिति ने, जिसमें विदेशी वैज्ञानिक हैं, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ का दौरा किया था ; और

(ख) क्या उन्होंने अपना यह मत व्यक्त किया है कि वैज्ञानिक कौशल की सहायता से रेगिस्तानी क्षे का कृष्य-करण किया जा सकता है और उसे पुनर्वासित किया जा सकता है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) वैज्ञानिकों ने सौराष्ट्र और राजस्थान की एक अध्ययन यात्रा की थी।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि इस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ करने के लिए समिति ने एक अग्रिम योजना की प्रस्थापना की सिफारिश की है और इस सम्बन्ध में यूनेस्को की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समिति ने किसी भी विशिष्ट अग्रिम योजना की सिफारिश नहीं की है। सम्मेलन में कतिपय विषयों पर चर्चा हुई थी और उनमें कुछ हमारे लिए बहुत ही रोचक थे। तब उन्होंने सौराष्ट्र और राजस्थान की एक अध्ययन-यात्रा की । इन विशेषज्ञों से कोई प्रतिवेदन मांगने का विचार नहीं था, किन्तु यदि कोई व्यक्ति मंत्रणा समिति को कोई प्रतिवेदन भेजना चाहता था, तो उसका स्वागत था ।

श्री कर्णी सिंहजी : क्या मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों में से एक की, जिन्होंने राजस्थान की यात्रा की है, यह धारणा है कि भेड़ों और बकरियों की चराई ही रेगिस्तान के बढ़ने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है ?

श्री के० डी० मालवीय : विशेषज्ञों का एक यह भी दृष्टिकोण है।

शिक्षा पर व्यय

***११०६. श्री गिडवानी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर किये जाने वाले कुल व्यय में से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक केन्द्र ने कुल कितना धन व्यय किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : १९५३-५४ में समाप्त होने वाली अवधि के लिए किये गये व्यय की रूप-रेखा पचवर्षीय योजना प्रगति प्रतिवेदन १९५३-५४ के अध्याय १३ में दी हुई है, और उसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। ३१-१०-१९५४ तक किये गये वास्तविक व्यय के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और बाद में प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य है कि उपबन्ध की गयी कुल राशि योजना अवधि में खर्च नहीं की जायगी ?

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न तो भविष्य के सम्बन्ध में है और हम भविष्य के बारे में जानते नहीं हैं।

श्री गिडवानी : क्योंकि जिस गति से प्रगति हो रही है, उससे यह पूर्णतया निश्चित है कि सारी राशि खर्च नहीं की जायगी।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : जहां तक तालीम का ताल्लुक है, इस तरह का अंदेशा हमें नहीं है ।

श्री गिडवानी : भारत में निरक्षरता दूर करने और उस धन को खर्च करने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

डा० एम० एम० दास : वह एक भिन्न प्रश्न है और मैंने कई बार सभा में उसका उत्तर दिया है ।

श्री भागवत झा आजाद : योजना के प्रमुख भाग में, राशि का प्रमुख भाग खर्च किया जा चुका है । हम जानना चाहते हैं कि इस व्यय के परिणामस्वरूप देश में साक्षरता के क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

डा० एम० एम० दास : मुझे ठीक ठीक आंकड़े स्मरण नहीं हैं किन्तु मैंने वृद्धि और प्राप्त परिणामों के सम्बन्ध में इस सभा को बताया है ।

श्री भागवत झा आजाद : ये आंकड़े उस प्रतिवेदन में नहीं हैं ।

सीमा-शुल्क

***११०८. श्री अमजद अली :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के चारों ओर से सीमा शुल्क घेरे को हटा लेने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां, श्रीमान् । इस विषय में सरकारी नीति को स्पष्ट करने के लिये मैं सभा पटल पर एक विवरण रख रहा हूं । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४] ।

(ख) सरकार केवल तब तक भू सीमा शुल्क घेरे को बनाये रखेगी जब तक वहां की घटनाओं के कारण उसको रखना आवश्यक होगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : किन घटनाओं के कारण उसको जारी रखना आवश्यक है ?

श्री ए० सी० गुहा : सभा पटल पर रखे गये विवरण में उसका उल्लेख किया गया है । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह एक बहुत ही नाजुक मामला है और विभिन्न मंत्रालय इससे सम्बद्ध हैं । इसी कारण इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर देने की अपेक्षा हमने पटल पर एक विवरण रखने का निश्चय किया है ।

विदेशी धर्म प्रचारक

***११०९. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अब तक कुल कितने विदेशी धर्म प्रचारक भारत आये हैं ; और

(ख) वे किन किन राज्यों में रह रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९५४ में अब तक भारत आये विदेशी धर्म प्रचारकों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उक्त अवधि में ३५५ विदेशी धर्म प्रचारकों को भारत के लिए दृष्टांक मंजूर किये गये थे ।

(ख) भारत के प्रायः सभी राज्यों में ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन व्यक्तियों को दृष्टांक मंजूर करने से पूर्व क्या जांच की जाती है और कौन से पूर्वोपाय किये जाते हैं ?

श्री दातार : सामान्यतः प्रायः यह जांच की गयी है कि वे किस उद्देश्य से भारत आये हैं और कब तक यहां रहने को हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अवधि में कितने नये धर्म-प्रचारक आये हैं ?

श्री दातार : मैं सूचना मांगना चाहता हूं ।

श्रीमती ए० काले : क्या उन की गति-विधियों पर कोई नि रानी रखी जाती है ?

श्री दातार : निगरानी रखने का कोई प्रश्न नहीं है, किन्तु यदि यह पाया जाता है कि वे आपत्तिजनक कार्यवाहियां कर रहे ह, तब उन की ओर आवश्यक ध्यान दिया जाता है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार को ज्ञात है और क्या उसे ऐसी कोई जानकारी प्राप्त है कि संथाल परगना ज़िले के धर्मप्रचारक केवल छात्रों को अपने स्कूलों में तब तक भर्ती करने से इन्कार करते हैं जब तक कि वह ईसाई धर्म न स्वीकार कर लें, अपितु यदि वे ईसाई धर्म को अंगीकार नहीं करते हैं तो अन्य उपायों से उन्हें धमकी देते हैं ?

श्री दातार : जब मैं ने संथाल परगना ज़िले का दौरा किया था, तो मैं ने ऐसे कुछ अभ्यावेदन सुने थे और हम उन के विषय में जांच कर रहे हैं ।

श्री पुन्नूस : उन्हें दृष्टांक मंजूर करने के पूर्व क्या सरकार इस प्रश्न की जांच करती है कि भारतीय ईसाई उन धर्म-प्रचारकों को यहां चाहते हैं अथवा नहीं ?

श्री दातार : यह भी एक प्रश्न है जिस पर ध्यान जिाता है

कलाकारों के लिये केन्द्रीयछात्रवृत्तियां

***१११२. श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुरी नृत्यों के लिये कलाकारों को कोई सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां नहीं दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, यदि निर्देश विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवक कलाकारों को भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्र-वृत्तियों की ओर हो ।

(ख) कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं थे । सरकार ने ९ नवम्बर, १९५४ की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव के आधार तथा तरीक़े का स्पष्टीकरण किया था ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या यह सच है कि कथाकली तथा कत्थक नृत्यों के कलाकारों को छात्रवृत्तियां दी गई थीं परन्तु मनीपुरी नृत्यों के कलाकारों को नहीं दी गई थीं ?

डा० एम० एम० दास : मनीपुरी नृत्य के लिये तीन आवेदन-पत्र थे, परन्तु इन में से एक भी प्रार्थी को उपयुक्त नहीं समझा गया ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : माननीय मंत्री कैसे कह सकते हैं कि उन में से एक भी उपयुक्त नहीं समझा गया था ?

डा० एम० एम० दास : उन में से एक भी उपयुक्त नहीं समझा गया था । वे उपयुक्त नहीं थे, इस का अर्थ यह है कि उन में इतनी योग्यता नहीं थी कि वे पात्र समझे जाते ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रतिभूतियां

***१०६०. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब सरकार करारोपण से विमुक्ति प्राप्त करने के लिये भारत में अर्जित किये गये एकत्रित लाभ को रिज़र्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित किये जाने पर आग्रह नह करती है;

(ख) ऐसे एकत्रित किये गये लाभ की धनराशि क्या है तथा उपर्युक्त रियायत देने के कारण क्या हैं; और

(ग) १९५१–५२, १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में कितनी धनराशियां भेजी गई हैं और कितनी सरकारी प्रतिभूतियों में पुनः विनियोजित कर दी गई हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां । ३० सितम्बर, १९५४ के पश्चात्, भारत में प्राप्त हुए विदेशी लाभ के बाहर भेजे जाने के सम्बन्ध में यह शर्त हटा ी गई है कि उसकी आधी धन राशि सरकारी तिभूतियों में विनियोजित किये जाने के लिये रिजर्व बैंक में जमा कर ी जाये ।

(ख) १९५३–५४ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में लगभग ३७·५६ लाख रुपया । आधी धनराशि जमा करने वाली शर्त मुद्रास्फीति विरोधी उपाय के रूप में विहित की गई थी । परिस्थितियां अब बदल गई हैं ।

(ग) बाहर भेजे जाने वाली तथा विनियोजनों की राशियां स प्रकार :—

व	भेजी जाने वाली राशि	विनियोजन की राशि
१९५१-५२	कुछ नहीं	कुछ नहीं
१९५२-५३	१७·६३ लाख	० ८·८१ लाख रुपये
१९५३-५४	१९·९४ ,, ,,	९·९७ ,, ,,

रूस की यात्रा (प्राध्यापक तथा विद्यार्थी)

***१०६२. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रूस की यात्रा करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों के शिष्टमंडल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ५] ।

गांधीग्राम में ग्राम्य विश्वविद्यालय

***१०६४. श्री जेठालाल जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गांधी ग्राम में एक ग्राम्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं जहां रचनात्मक कार्य की शिक्षा देने का विशेष प्रबन्ध किया जायेगा ; और

(ख) उस विश्वविद्यालय के प्रारम्भिक तथा आवर्तक व्यय क्या होंगे ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मदुराई स्थित गाधाग्राम का निर्देश कर रहे हैं । ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला

***१०६६. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है तब से प्रत्येक वर्ष में पूर्ण की गई प्रविधिक प्रक्रियाओं की संख्या कितनी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में उसके प्रारम्भ से प्रत्येक वर्ष में पूर्ण की गई प्रविधिक प्रक्रियाओं की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रक्रियाओं की संख्या
१९५०	२
१९५१	३
१९५२	४
१९५३	२
१९५४ (नवम्बर के अन्त तक)	७

ऐतिहासिक स्मारक

***१०६९. श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को एक निदेश इस आशय का जारी किया है कि पुरानी तथा ऐतिहासिक इमारतों को उस समय तक न गिराया जाये जब तक कि ऐसा करना अत्यन्त ही आवश्यक न हो; और

(ख) क्या सरकार सी के अनुसार प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, १९०४ में संशोधन करने का विचार करती है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) भारत सरकार ने इस प्रकार का एक सुझाव दिया है ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि यह सुझाव उन इमारतों के सम्बन्ध में है जो संरक्षित नहीं हैं ।

निर्वाह भत्ते

***१०७०. श्री तुषार चटर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्नियुक्ति के बाद निलम्बन काल के भत्तों तथा वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में औद्योगिक तथा अनौद्योगिक कर्मचारियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां ।

(ख) निलम्बन काल में निर्वाह भत्ते के दिये जाने के सम्बन्ध में, औद्योगिक तथा अनौद्योगिक कर्मचारियों में जो विभेद किया जाता है उसका कारण यह है कि काम की प्रकृति के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिये सेवा के विभिन्न निबन्धन तथा शर्तें विहित की गई हैं ।

राजस्थान की आदिमजातीय जनसंख्या

***१०७५. श्री भीखा भाई** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४१ के आंकड़ों की १९५१ के आंकड़ों से तुलना करने पर डूंगरपुर जिले की आदिम जातीय जनसंख्या में बहुत भारी कमी मालूम होने के कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : १९५१ की जनगणना के आंकड़े, डूंगरपुर जिले के केवल अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही थे, जबकि १९४१ के आंकड़े सारे जिले के थे ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना प्रशिक्षण

१०७६. श्री ब्रह्म चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने संसद् के तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के लिये एक सहायक प्रादेशिक बल अथवा राष्ट्रीय स्वयं सेवक बल प्रशिक्षण शिविर को संगठित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि लोक सभा

तथा राज्य सभा के उन सदस्यों को, जो आयु में ५० वर्ष से कम हैं तथा डाक्टरी दृष्टिकोण से ठीक हैं, सैनिक प्रशिक्षण के लिये आमंत्रित किया गया है । इस सम्बन्ध में भेजे गये पत्र की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६] । दिल्ली राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है । अभी तक लगभग ७५ सदस्यों ने प्रशिक्षण लेने की इच्छा प्रकट की है और यह संख्या इतनी नहीं है कि एक प्रशिक्षण शिविर खोलने के लिये पर्याप्त हो जो लगभग ४८० व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये होता है । अन्य राज्यों के विधान मण्डलों के सदस्यों के लिये कोई विशेष शिविर खोलने की अभी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

छात्र-वृत्तियां

***१०७७. श्री बादशाह गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा १९५२–५३ और १९५३–५४ के लिये अलग-अलग छात्रवृत्तियों के हेतु कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) कितनी २ राशियां उक्त सालों में सम्बद्ध व्यक्तियों में बांटी गई ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) १९५२–५३ के लिये ४३,६९,०५० रुपये और १९५३–५४ के लिये ७५,७३,-२०३ रुपये की राशियों का उपबन्ध आय व्ययक प्राक्कलन में किया गया था । पुनर्विनियोग द्वारा १९५२–५३ में १२,०५,९१५ रुपये और १९५३–५४ में ८,३३,९१९ रुपये की अतिरिक्त राशियां दी गई थीं ।

(ख) १९५२–५३ ५५,७४,९६५ रुपये ।
१९५३–५४ ८४,०७,१२२ रुपये ।

राजवाड़ी हवाई अड्डा, बनारस

***१०७९. श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजवाड़ी हवाई अड्डा बनारस की आस्तियां जनवरी-फ़रवरी १९५१ में इमारतों के गिराने, मलबा हटाने तथा उक्त स्थान को फिर से उसके पहले रूप में लाने के लिये ४३,००० रुपये में अन्तिम रूप से बेच दी गई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार के पास एक मिथ्या रिपोर्ट इस आशय का प्रमाण देने की भेजी गई थी कि जैसा कि बिक्री समझौते में उपबन्ध था उस स्थान का मलबा हटाया जा चुका था तथा उसको पुनः उस के पहले रूप में लाया जा चुका था तथा साथ ही सिफ़ारिश की गई थी कि लगभग ११,००० रुपये का सुरक्षा निक्षप क्रेता को लौटा दिया जाये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्ववत दशा में लाये जाने की उपर्युक्त रिपोर्ट बाद में गलत पाई गई थी और क्या इन तथ्यों की रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी अधिकारियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां ।

(ख) और (ग). तथ्य यह है कि तत्कालीन एरिया लैण्ड्ज़, हायरिंग तथा डिस्पोज़ल्स अफ़सर ने स्थानीय इंजीनियरिंग प्राधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर सुरक्षा निक्षेप के लौटा दिये जाने की सिफ़ारिश की थी । बाद में अपने उच्चतर अधिकारी के निदेश के अनुसार जब उसने व्यक्तिगत

रूप से उक्त स्थान का निरीक्षण किया तो यह सिफ़ारिश की कि जिस स्थान पर इमारतें थीं उसको साफ़ न करने के लिये ५०० पये काट लेने के बाद सुरक्षा निक्षेप लौटा दिया जाये। उसने यह भी सिफ़ारिश की थी कि सीमेंट तथा कंक्रीट के बने पक्के गचकारी के फ़र्श जो तोड़े नहीं गये थे सरकार द्वारा ज़ब्त कर लिये जायें क्योंकि उनका तोड़ा जाना सम्भव नहीं था और पुराने ज़मींदार उन गचकारी के फ़र्शों सहित अपनी भूमि वापस लेने के लिये तैयार थे जिनका उपयोग वे अपनी फ़सलें मांड़ने के लिये कर रहे थे। इन तथ्यों की सूचना सरकार के पास भेज दी गई है और यह विषय विचाराधीन है।

(घ) भाग (ख) और (ग) के उत्तरों को दृष्टि में रखते हुए ये प्रश्न इस अवस्था में उत्पन्न नहीं होते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना

***१०८०. डा० राम सुभग सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना सहायक प्रादेशिक सेना से किन बातों में भिन्न होगी ; और

(ख) राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना की प्रस्थापित संख्या कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सहायक प्रादेशिक सेना में सैन्य शिक्षा कैम्पों में दी जाती है जो गांवों तथा नगरों दोनों में सुविधाजनक स्थानों पर लगाये जाते हैं। ग्राम्य क्षेत्रों में कैम्प सात दिन के लिये लगाये जाते हैं। (अब १० दिन के लिये बढ़ा दिये गये हैं)। नगरों के कैम्पों में प्रशिक्षण खंड-कालीन आधार पर दिया जाता है जिस में दिनों की संख्या ग्राम कैम्पों की तुलना में दूनी होती है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का प्रशिक्षण विवरण अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, किन्तु मुख्य बातों में वह सहायक प्रादेशिक सेना के प्रतिरूप दृष्टान्त का अनुकरण करेगा, केवल यही अन्तर होगा कि कैम्पों में तीस दिन तक निरन्तर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ख) एक लाख व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से पांच वर्ष में पांच लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

बुनियादी शिक्षा का विस्तार

***१०८२. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीन शिक्षा विकास योजना (बुनियादी शिक्षा का विस्तार) ने कहां तक प्रगति की है ;

(ख) योजना का विवरण क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने स्कूल खोलने का विचार है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७]

मंत्रियों की विवेकाधीन निधि

***१०८३. डा० सत्यवादी :** क्या वित्त मंत्री इन बातों को दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४-५५ के लिये प्रत्येक मंत्री को 'मंत्रियों की विवेकाधीन निधि' की कुल कितनी रकम स्वीकृत की गई है ; और

(ख) इस निधि में से प्रत्येक मंत्री द्वारा अब तक व्यय की गई रकम का क्या विवरण है ?

राजस्व और असैनिक भ्यय मंत्री (श्री-एम० सी० शाह) : (क) और (ख). पूछी गई सूचना देने वाले विवरण पटल पर रखे जाते हैं । [**पुस्तकालय में रखे गये।** देखिये संख्या एस-४८२/५४]

वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्र में ऋण की स्थिति

***१०८४. श्री एल० एन० मिश्र:** क्या **वत्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्रों में ऋण की स्थिति कुछ दिनों से संकटपूर्ण हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री-एम० सी० शाह) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में मुझे किसी संकट की सूचना नहीं है । अक्टूबर के प्रारम्भ से, निधि की सामयिक मांग के कारण, अल्पकालीन ऋण बाज़ार में कुछ तेजी आ गई है, किन्तु साधारणतया इस बढ़ी हुई मांग को पूरा किया गया है, और और वर्ष के इस समय की सामान्य दरों की अपेक्षा सूद की दर अधिक नहीं हुई हैं ।

मध्यप्रदेश में पुस्तकालयों का विकास

***१०८७. मुल्ला अब्दुल्ला भाई:** क्या **शिक्षा मंत्री** २३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में पुस्तकालयों के विकास के लिये मध्य-प्रदेश सरकार को कितनी रकम स्वीकृत की गई और उसमें से कितनी उसने व्यय की ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : ५,८३,८७६ पये की स्वीकृति ी गई थी अनुदान के उपयोग की सूचना अभी राज्य सरकार ने नहीं दी है ।

पुलिस आयोग

***१०९२. श्री माधव रेड्डी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री पुलिस आयोग की नियुक्ति के विषय में ५ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समय से इस विषय में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग कब नियुक्त किया जायगा ;

(ग) इसकी संरचना क्या होगी; और

(घ) इसके निर्देश-पद क्या होंगे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां । यह निश्चय किया गया है कि पुलिस आयोग नियुक्त न किया जाय ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

औद्योगिक वित्त निगम

***१०९४. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई से ३० नवम्बर, १९५४ तक औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कितने ऋण दिये गये हैं, और जिन उद्योगों को यह ऋण दिये गये हैं उनके क्या नाम हैं ;

(ख) कितने आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन हैं ; और

(ग) क्या निगम सूद की दर को कम करने की स्थापना करता है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १ जुलाई से ३० नवम्बर १९५४ तक निगम ने इन सात कम्पनियों को

ऋण दिये हैं जो सूती वस्त्र, नकली रेशम, सीमेन्ट और चीनी के उद्योग में लगी हुई हैं :

(१) उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, डाकखाना चौद्वार (जिला कटक)।

(२) कपिल टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, मैसूर।

(३) नेशनल रेयन कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई।

(४) इंडियन सीमेन्ट्स लिमिटेड, मद्रास।

(५) कोपर गांव सहकारी शकर कारखाना लिमिटेड, कोपर गांव (जिला अहमदनगर)।

(६) उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड, सांगली (जिला सतारा)।

(७) थिरू अरूरन शुगर लिमिटेड, मद्रास।

(ख) बीस।

(ग) निगम द्वारा ली गई सूद की दर निगम बोर्ड की क्षमता के आधीन विषय है, जो समय समय पर सूद की दर का पुनरीक्षण करता रहता है। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनगणना

*११०१. श्री संगण्णा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार से आंध्र-उड़ीसा सीमान्त क्षेत्रों की जनगणना करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस जनगणना कराने का क्या उद्देश्य है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जम्मू और काश्मीर को अनुदान

*११०५. डा० सत्यवादी : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक अनुदान और ऋण के रूप में, वर्ष प्रतिवर्ष, जम्मू और काश्मीर सरकार को, उस राज्य के भारत में सम्मिलित होने के समय से, विभिन्न प्रयोजनों के लिये कितनी राशि दी जा चुकी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८]।

नजरबन्द

*११०७. डा० राम सुभग सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवारक निरोध अधिनियम १९५० की धारा ३ के अन्तर्गत जब से यह अधिनियम लागू हुआ है कोई व्यक्ति निरुद्ध किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और जिन राज्यों के वे निवासी हैं उनके क्या नाम हैं ; और

(ग) उनमें से अभी कितने व्यक्ति नजरबन्द हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग). ५ मार्च, १९५३ को श्री ए० एन० विद्यालंकार द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४१० के उत्तर में पटल पर रखे गये विवरण में निवारक निरोध अधिनियम १९५० के अन्तर्गत १९५०, १९५१ और १९५२ में पकड़े गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना दी गई थी। उसके पश्चात् ३० सितम्बर, १९५२ से ३० सितम्बर १९५३ तक अधिनियम के कार्यकरण के सम्बन्ध में सांख्यकीय सूचना देने वाला एक प्रतिवेदन दिसम्बर १९५३ में पटल पर रखा गया था और संसद् के सब सदस्यों में भी परिचालित

किया गया था । इसी प्रकार ३० सितम्बर, १९५३ से ३० सितम्बर, १९५४ तक की अवधि की सांख्यकीय सूचना देने वाली एक छपी हुई पुस्तिका ८ दिसम्बर १९५४ को टेबल पर रखी गई थी और संसद् के सदस्यों में भी परिचालित की गई थी । अतः माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना सभा को पहले ही दी जा चुकी है ।

शिक्षा संस्थाओं के लिये रेडियो सेट

*१११०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारत के विभिन्न राज्यों के कालिजों तथा हाई स्कूलों के उपयोग के लिये राज्यवार कितने रेडियो सेट दिये हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं को रेडियो सेट दिये गये हों ।

कल्याण विस्तार परियोजनायें (पंजाब)

*११११. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कोई कल्याण विस्तार परियोजनायें प्रारम्भ की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कहां स्थापित की गई हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां ।

(ख) दो; (१) नूब परियोजना (गुड़गांव जिला)

(२) करनाल परियोजना (करनाल जिला)

युवक शिविर तथा समारोह

७०४. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आयोजित युवक शिविरों तथा युवक समारोहों के लिए युवकों को किस प्रकार छांटा जाता है; और

(ख) इसके पश्चात् युवकों को सामाजिक कल्याण कार्यों को जारी रखने का प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) युवक शिविरों के लिये, युवकों का चुनाव, विश्व विद्यालयों, राज्य सरकारों, मान्यता प्राप्त स्वयंसेवक संस्थाओं द्वारा जो शिविरों को आयोजित करती हैं किया जाता है । युवक समारोहों के लिये, विश्व विद्यालयों को अपने सम्बन्धित कालिजों से चुनाव करने का अधिकार दिया हुआ है ।

(ख) शिक्षा मंत्रालय ने युवकों की शक्ति को रचनात्मक श्रम सेवा के लिये उपयोग करने के हेतु कई योजनायें बनाई हैं । ऐसा विचार है कि एक बार सेवा की भावना तथा श्रम का आदर युवकों में विकसित हो जाने पर युवक स्वयं अपनी इच्छा से प्रेरित होकर अथवा स्थानीय समाज सेवा संस्थाओं में सम्मिलित होकर जाति तथा देश की सेवा करेंगे ।

भारत आस्ट्रेलिया औद्योगिक सहकारिता योजना

७०५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में भारत-आस्ट्रेलिया औद्योगिक सहकारिता योजना के अधीन, कितने प्राविधिविज्ञों तथा विद्यार्थियों को आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण दिया जायेगा ;

(ख) योजना में प्रशिक्षण के मुख्य विषय क्या हैं ; और

(ग) इन प्रशिक्षार्थियों का चुनाव करने के लिये क्या शासनयंत्र बनाया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) इस नाम की कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

भारत में हिन्देशिया के विद्यार्थी

७०६. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत हिन्देशिया को कितने विद्यार्थी भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) इस समय वे जिन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके नाम क्या हैं, और

(ग) उनके अध्ययन के क्या विषय हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९]

रक्षा विज्ञान संगठन

७०७. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में रक्षा विज्ञान संगठन द्वारा क्या कार्य किया गया था ; और

(ख) रक्षा विज्ञान के मुख्य विषय क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सामान्यतः रक्षा विज्ञान संगठन द्वारा किया गया कार्य एक वर्गीकृत प्रकार का होता है तथा इसका ब्यौरा देना लोक हित में नहीं है ।

(ख) रक्षा विज्ञान के अन्तर्गत आने वाले मुख्य विषय यह हैं :—

(१) युद्ध संचालन सम्बन्धी गवेषणा कार्य;

(२) बैलिस्टिक्स ;

(३) संचार (सिग्नल्स, इलैक्ट्रोनिक्स, रॉडर)

(४) विस्फोटक ;

(५) सामान्य भांडार समस्यायें,

(६) सांख्यकी ;

(७) वातावरण सम्बन्धी दैहिकता तथा व्यक्तिगत गवेषणा ।

(८) मनोविज्ञान तथा व्यक्तियों को छांटने सम्बन्धी प्रणालियां ;

(९) पायलैट का योग्यता सम्बन्धी अध्ययन तथा वायु सेना की वातावरण सम्बन्धी समस्यायें ;

(१०) कटाव सम्बन्धी समस्यायें ।

(११) सागर विज्ञान तथा जल तल का अध्ययन ।

ग्राम्य विश्वविद्यालय

७०८. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कितने राज्यों ने ग्राम्य विश्वविद्यालय स्थापित कर दिये हैं ; और

(ख) उनमें नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख) . यह विषय मुख्यतः राज्य सरकारों से सम्बन्धित है ।

धर्म परिवर्तन

७०९. सेठ गोविन्द दास : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४३–४४ और १९५३-'५४ में अपना धर्म छोड़ कर

(१) हिन्दू धर्म ;

(२) ईसाई धर्म ;

(३) इस्लाम ; और

(४) सिख धर्म

अपनाने वालों की संख्या कितनी थी?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : क्योंकि धर्म-परिवर्तन के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं इसलिये ऐसे धर्म परिवर्तनों के आंकड़े बताना सम्भव नहीं है ।

अंधों के लिये शिक्षा संस्थायें

७१०. सेठ गोविन्द दास : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अंधों के लिये कुल कितनी शिक्षा-संस्थायें हैं ;

(ख) वे कहां-कहां पर हैं, और राज्यानुसार उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या इस प्रकार की और संस्थायें खोली जा रही हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) ५० ।

(ख) अपेक्षित सूचना संबद्ध विवरण में दी हुई है । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०]

(ग) जी हां, बम्बई सरकार द्वारा दो नई संस्थायें खोली जा रही हैं ।

निर्वाचन याचिकायें

७११. { श्री सी० आर० चौधरी :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ में जो निर्वाचन याचिकायें प्रस्तुत की गईं उनमें से अभी तक कितनी लम्बित हैं ; और

(ख) इस देरी के क्या कारण हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) १९५२ में प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिकाओं में से सात याचिकायें १ दिसम्बर, १९५४ को लम्बित थीं ।

(ख) इन याचिकाओं के निबटाने में हुई देरी के कारणों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११]

ज़िला जेल, दिल्ली

७१२. श्री राधा रमण : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दरवाज़े के बाहर स्थित ज़िला जेल को तिलक नगर में स्थानान्तरित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो इसके कब तक स्थानान्तरित किये जाने की आशा है ; और

(ग) जेल के वर्तमान स्थान को किस प्रकार काम में लाने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) ज़िला जेल का स्थानान्तरण तिहाड़ को किया गया है, तिलक नगर को नहीं ।

(ख) १९५७ के अन्त तक ।

(ग) यह विषय विचाराधीन है ।

चोरी छिपे माल ले जाना

७१३. श्री राधा रमण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अभी तक भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों से भारत में चोरी छिपे माल ले जाने के कितने मामले पकड़े गये हैं;

(ख) पकड़ी गई वस्तुयें किस किस्म की तथा कितने मूल्य की हैं ; और

(ग) अर्थ दण्ड के द्वारा इन व्यापारियों से कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १९५४ में (१ जनवरी, १९५४ से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक) फ्रांसीसी बस्तियों से भारत में वस्तुओं के चोरी छिपे लाने के २२९८ मामले पकड़े गये हैं।

(ख) फ्रांसीसी बस्तियों से चोरी छिपे लाते समय पकड़ी गई कुछ मुख्य वस्तुयें, हीरे, सोना तथा रत्नादि, फाउन्टेनपेन तथा पेंसिलें, ताश, दीवाल घड़ियां तथा घड़ियां, कपड़ा, मदिरा, मैकेनिकल लाईटर तथा सुपारी हैं। इन पकड़ी गई वस्तुओं का अनुमानित मूल्य ४,७८,००० रुपये हैं।

(ग) जिन पकड़ी गई वस्तुओं को अर्थ दंड की अदायगी पर ले जाने की अनुमति दी गई थी उन पर लगाये गये अर्थ दंड की रक़म १२,००० रुपया थी ; जिसमें से ७,७०० रुपया उगाहा जा चुका है। जिन मामलों में अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया अथवा जिन मामलों में अर्थदंड चुकाने का विकल्प नहीं दिया गया था, उनमें अन्तर्ग्रस्त वस्तुयें सरकार ने अपने कब्जे में ले ली हैं और सामान्य रीति से उनका विक्रय कर दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त हुआ धन सरकार में जमा हो जायेगा।

अर्थदंड के अतिरिक्त इन व्यापारियों पर २६,४०० रुपये व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया है। इसमें से १८,४०० रुपये वसूल किये जा चुके हैं।

अपराध का आयात

७१४. श्री भागवत झा आज़ाद : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली हत्याओं, अपहरण, तथा डकैतियों की घटनाओं में कमी अथवा वृद्धि होने के सम्बन्ध में कोई सूचना है ;

(ख) यदि हां, तो १९५३-५४ में किस राज्य में हत्या, अपहरण, तथा डकैतियों की घटनायें सब से अधिक हुई हैं ; और

(ग) इन अपराधों की रोक थाम के लिये भारत सरकार ने क्या विशेष सहायता तथा सहयोग दिया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) १९५२ तथा १९५३ में हुए अपराधों के भारत सरकार को उपलब्ध आंकड़े संबद्ध विवरण में दिये गये हैं। [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२] इससे पहले वर्ष की तुलना में १९५३ में हुई कमी अथवा वृद्धि ज्ञात हो सकेगी। सन् १९५४ के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं।

(ख) १९५३ में हत्यायें सब से अधिक-मद्रास में, अपहरण उत्तरप्रदेश में तथा डकैतियां बम्बई राज्य में हुई थीं।

(ग) क्योंकि जनता में शान्ति स्थापित करना राज्य का कार्य है इसलिये इसके प्रबन्ध का उत्तरदायित्व राज्यों पर है तथा भारत सरकार ने कोई विशेष सहायता इसमें नहीं दी है।

आई० ए० एस० (भारतीय प्रशासनिक सेना) परीक्षा

७१५. श्री एस० एन० दास : क्या गृह-कार्य मंत्री उन परीक्षार्थियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो १९५४ में हुई भारतीय

प्रशासनिक सेवा की लिखित परीक्षा के लिये निश्चित किये गये केन्द्रों में परीक्षा में सम्मिलित हुए ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]

भारत-अमरीकी प्रविधिक सहकारिता कार्यक्रम

७१६. पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-अमरीकी प्रविधिक सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक संयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत द्वारा क्रमशः कितनी रक़में अंशदान के रूप में में दी गई हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि अमरीकी अंशदान का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमरीका से वस्तुयें तथा उपकरण खरीदने तथा उनके विशेषज्ञों तथा विशारदों को भुगतान करने में खर्च किया गया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) भारत-अमरीकी प्रविधिक सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत दोनों सरकारों को अब तक का प्राधिकृत अंशदान इस प्रकार है :

सयुक्त राज्य अमरीका	१८१४ लाख डालर
भारत	१३६ करोड़ रुपये

(ख) जी नहीं श्रीमान् । अमरीकी अंशदान को अधिकांशतः विश्व मूल्यकथन आधार पर सबसे सस्ते अर्ह मूल्यकथन-प्रस्तुत-कर्त्ता से उपकरण तथा अन्य वस्तुयें प्राप्त करने के लिये काम में लाया जा रहा है । इसे संयुक्त राज्य अमरीका के विशेषज्ञों तथा विशारदों के वेतनों का भुगतान करने के काम में भी लाया गया है, परन्तु अब तक इस लेखे पर हुआ कुल व्यय २० लाख डालर है।

आयुध कारखानों की लकड़ी सम्बन्धी आवश्यकतायें

७१७. श्री जी० एल० चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों को रायफ़िलों के बेंट बनाने के लिये प्रति वर्ष कितनी लकड़ी की आवश्यकता होती है ; और

(ख) इस कार्य के लिये कितनी लकड़ी भारत में प्रतिवर्ष आयात की जाती है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) यह परिमाण आयुध कारखानों में बनाये गये छोटे शस्त्रों की संख्या के अनुसार प्रति वर्ष बदलता रहता है ।

(ख) कुछ नहीं ।

कल्याण संगठनों को सहायता

७१८. श्री बी० मिश्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा सन् १९५४–५५ में अब तक प्रत्येक राज्य में विभिन्न ऐच्छिक सामाजिक कल्याण संगठनों को दिये गये अनुदानों की राशियां क्या हैं ;

(ख) कितनी धनराशि वास्तव में व्यय की गई है तथा किस प्रकार व्यय की गई है;

(ग) क्या किये गये कार्य के सम्बन्ध में इन संगठनों द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं ;

(घ) क्या इन अनुदानों के दिये जाने का एकमात्र आधार राज्य सरकारों के द्वारा की गई सिफ़ारिशें ही हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो और किन तथ्यों पर विचार किया जाता है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४]।

(ख) यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) नहीं, चालू वित्तीय वर्ष की नहीं।

(घ) नहीं।

(ङ) सभी आवेदन-पत्रों पर सर्वप्रथम राज्य परामर्शदात्री सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है, जो अपनी सिफ़ारिशें केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड को भेजते हैं। उनकी सिफ़ारिशें केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के लिये अवश्य पालनीय नहीं हैं।

सोमवार
१३ दिसंबर १९५४

लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/72

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit 7-4-9
Fumigated On 7/11/83
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

स्तम्भ

श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु १२०५–०६

स्थगन प्रस्ताव —

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल १२०७–१२

राज्य-सभा से सन्देश . . . . . . —

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक १२१३–१४

याचिका प्राप्त १२१४

शंकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . १२१४–१५

भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—

छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत १२१५–१६

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त १२१६–८६

खंड ६६ से ८० . . . . . . १२१८–२७

खंड ८१ से ८८ . . . . . . १२२७–५७

खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . . . १२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

सभा का कार्य—

सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . . १२८७–८८

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खण्डों पर विचार—समाप्त . . . १२८४–१३८७

खण्ड २२ . . . . १२८८–१२९६

खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क

खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया

खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . . . १२९६–१३७६

संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . १३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८६
श्री ए० एम० थामस	१३८६–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९९
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–८८
श्री पी० सुब्बा राव	१४८२–८७
श्रीमती उमा नेहरू	१४८७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६९–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५९०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५९१
ना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५९१
नस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५९१–१६०४
श्री डाभी	१५९१–९२
डा० पी० एस० देशमुख	१५९२–१६०४

स्तम्भ

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित १६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक १६०४–१
डा० काटजू १६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी १६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क १६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल १६१५–१७

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू १६१७–१९
श्री पाटस्कर १६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन १६२२
श्रीमती जयश्री १६२२–२३
श्रीमती ए० काले १६२३
श्रीमती मायदेव १६२३–२५
श्री केशवैयंगार १६२५
श्रीमती इला पालचौधरी १६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा १६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार १६२८–३०
श्री धुलेकर १६३१–३३

विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—
पुरःस्थापित १६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी १६३५–३
सभा का कार्य—
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन १८३८–३

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम १६३९–४
श्री एन० सी० चटर्जी १६४१–४
श्री रामचन्द्र रेड्डी १६४९–५
श्री केशवैयंगार १६५०–५
श्रीमती ए० काले १६५२–५

	स्तम्भ
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१६५४–६०
श्री कासलीवाल	१६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद	१६६२–६६
डा० एन० बी० खरे	१६६६–७६
श्री दातार	१६७७–८०
डा० कृष्णस्वामी	१६८०–८४
श्री चट्टोपाध्याय	१६८४–८७
श्री सी० आर० नरसिंहन	१६८७–८८
श्री मूलचन्द दुबे	१६८८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा	१७००–०२
श्री राघवाचारी	१७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन	१७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा	१७०७–१४
श्री सारंगधर दास	१७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना	१७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड	१७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—	
विमान निगम नियम	१७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध	१७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह	१७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१७५५–५९
आचार्य कृपालानी	१७५९–६१
डा० काटजू	१७६१–७४
खंड १ तथा २	१७७४–९९

स्तम्भ

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १७९९–१८०८

डा० काटजू १७९९–१८०८

श्री नन्द लाल शर्मा १८००–०५

श्री लक्ष्मय्या १८०५–०६

श्री पुन्नूस १८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . . १८०९–१०

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट . १८०९–१०

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . . १८०९–१०

तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि १८१०

सभा का कार्य—

सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . . १८१०–११

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८११–३०

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३, १८२७–३०

श्री तुषार चटर्जी १८१४–१७

श्री एन० एम० लिंगम् १८१७–१९

श्री बर्मन १८१९–२०

श्री के० पी० त्रिपाठी १८२०–२३

श्री ए० एम० थामस १८२३–२४

श्री रामचन्द्र रेड्डी १८२४–२५

श्री दामोदर मेनन १८२५–२६

श्री के० सी० सोधिया १८२६–२७

श्री पुन्नूस १८२७

खण्ड १ और २ . . . . . . १८३०–३२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . १८३२

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . १८३२

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८३२–५५

श्री कानूनगो १८३२–३६, १८४८–५५

श्री वी० पी० नायर १८३७–४०

श्री तुलसीदास १८४०–४१

डा० लंकासुन्दरम् १८४१–४३

श्री झुनझुनवाला १८४३–४४

स्तम्भ

श्री ए० एम० थामस १८४४–४६
श्री कासलीवाल १८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी १८४७–४८
खण्ड १ और २ . . . . . . १८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८५५–६२
श्री कानूनगो १८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम् १८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी १८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८६३–७७
श्री के० के० देसाई . . १८६३–६४, १८७४–७७
श्री अमजद अली १८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा १८६५–६६
श्री पुन्नूस १८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति . . . . .
श्री वेलायुधन १८६९–७०
श्री केशवैयंगार १८६८–६९
श्री पी० सी० बोस १८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी १८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी १८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह . . १८७३–७४
खण्ड १ से ३ . . . . . १८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८७८
श्री के० के० देसाई . . . १८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड . . . १८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना . १८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र— .
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम . . . १८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण . १८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना . १८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन १८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९–९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१–९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२–१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६–७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . . १९७७–२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८–६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का बुलाया जाना २०६३–६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८–६९, २१०८–१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०६९–२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११–१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२–५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०–५६

अंक २७—शनिवार, १८ दिसम्बर, १९५४.

स्तम्भ]

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७

अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८

१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७

श्री पाटस्कर २१९०–२२००

श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३

श्री आर० डी० मिश्र २२०७–०८, २२१३–२३

आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६

श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६

श्री धुलेकर २२३२–३३

श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४

पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६

पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६

खण्ड १ और २ . . . . . . २२३७

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८

श्री करमरकर २२३८–३९

श्री ए० एम० थामस २२३८–३९

श्री एन० एम० लिंगम् २२३९

खण्ड १ और २ . . . . . . २२३९–४०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२

डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण .	२२७९–८२
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य .	२२८२–८४
पटल पर रखे गये पत्र—	
विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४	२२८४
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	२२८४–८५
महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुरःस्थापित .	२२८५–८६
आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . .	२२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य	२३६५–६६
सभा का कार्य	२३६६–६८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . .	२३६८–७१
आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . .	२३७१–२४५७
राज्य सभा से सन्देश	२४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . .	२४५९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	२४५९
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . .	२४६०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित	२४६०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२४६०
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . .	२४६१
पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	२४६१
अपूर्ण	२५२२, २५२२-५२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२५२२
राज्य सभा मे सन्देश	२५५२

अंक ३१—गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—— स्तम्भ

इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा २५५३–५७

यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . . २५५७–६१

पटल पर रखे गये पत्र——

विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण २५६१–६२

जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . . २५६२–६३

न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . . २५६३

रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम——नियम, १९५३ में संशोधन . २५६३

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना २५६३–६८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति——सातवां प्रतिवेदन ——स्वीकृत २५६८–७१

समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . . २५७२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक——

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव——स्वीकृत . २५७२–२६१६

श्री पाटस्कर २५७२–७८, २६०७–२६१६

श्री एन० एम० लिंगम् . २५७९–८

श्री बी० एस० मूर्ति . . . २५८१–८३

श्री राघवाचारी . २५८३–८४

श्री साधन गुप्त २५८४–८६

श्री टी० एन० सिंह २५८६–८९

श्री भागवत झा आज़ाद २५८९–९०

श्री जांगड़े २५९०–९३

श्री एम० एल० अग्रवाल २५९३–९५

श्री कासलीवाल २५९५–९६

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . . २५९६–२६००

श्री कजरोल्कर २६००–०१

श्री नवल प्रभाकर २६०१–०४

श्री कक्कन २६०४–०५

श्री पी० एल० बारुपाल २६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुर्नविलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुर्नविलोकन और संन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

	स्तम्भ
श्री पाटस्कर . .	२७५७–६३
श्रीमती उमा नेहरू .	२७६३
श्री टेक चन्द . .	२७६३
वाद-विवाद स्थगित	२७६३
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २९४ख का रखा जाना)—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	२७६४–६७
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . .	२७६४–६५, २७६४
डा० काटजू	२७६५–६६
वाद-विवाद स्थगित	२७६७
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	२७६७–६९
डा० एन० बी० खरे	२७६७–६८, २७६९
श्री के० के० देसाई	२७६८–६९
वाद-विवाद स्थगित	२७६९
भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७६९–८०
सरदार ए० एस० सहगल . . .	२७६९–७६, २७७७–७८
राजकुमारी अमृत कौर	२७७६–७७, २७७८–७९
वाद-विवाद स्थगित	२७८०
निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	२७८०
श्री डी० सी० शर्मा	२७८०–८२, २७८३–८६
श्री के० के० देसाई	२७८२–८३
श्री आर० के० चौधरी	२७८७
राज्य-सभा से सन्देश	२७८८
हिन्दू विवाह विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . .	२७८८

605 LSD

लोक-सभा

सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्याह्न

स्थगन प्रस्ताव

सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी

अध्यक्ष महोदय : अब सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार किया जायगा और रक्षा उपमंत्री वक्तव्य देंगे।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : ११ दिसम्बर को मैं ने इस प्रश्न पर विचार करने और सभा को इस के विषय में कुछ तथ्य बताने का वचन दिया था। मैं देखता हूं कि ४००० व्यक्तियों की छंटनी का आरोप लगाया गया था, परन्तु वास्तव में केवल ६७६ व्यक्तियों की छंटनी हुई है। इन में से १३५ वे हैं जो युद्ध काल में नियुक्त किये गये थे, उन की सहमति से उन की छंटनी को कुछ समय के लिये रोक लिया गया था अन्य ७९ व्यक्तियों को डेढ़ वर्ष के लिये लगाया गया था और इसलिये वे साधारण रीति से हटाये जा रहे हैं। अब मामला केवल ४६२ व्यक्तियों का है। अब हमारे ऊपर आपातकाल नहीं है, इसलिये तथा इस श्रेणी के पदों को सेना की शक्ति में सम्मिलित करने की दृष्टि से ऐसा करना अनिवार्य हो गया है।

अतः स्थगन प्रस्ताव में अविलम्बनीयता नहीं है, क्योंकि उस में संख्या नहीं है और जैसा कि मैं ने बताया यह साधारण मामला है। परन्तु मैं यह भी बता दूं कि इन हटाये जाने वाले ४६२ व्यक्तियों को यथायोग्य उपदान का लाभ प्राप्त होगा।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोड) : इन हटाये जाने वाले सभी व्यक्तियों के साथ सरकार ने १५ वर्ष की सेवा का करार किया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन को निकालना उन करारों के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं होगा।

अब चाहे कितने ही व्यक्ति निकाले जायें परन्तु निकट भविष्य में लगभग ४००० व्यक्तियों को निकालने का विचार किया जा रहा है। मेरठ में हुई रक्षा संगठन के कर्मचारियों की एक बैठक में यह बात कही गयी थी। मैं मंत्री महोदय से इन तथ्यों की सत्यता जानना चाहता हूं।

सरदार मजीठिया : मैं समाचारपत्रों में दिये गये आंकड़ों में विश्वास नहीं रखता। मैं ने बताया है कि उपदान केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें उन की निश्चित अवधि से पहले हटाया जाता है और सामान्य सेवा निवृत्ति-वेतन नहीं दिया जाता। उन्हें उन की जीवन-वृत्ति की अकाल समाप्ति के कारण उपदान के रूप में अधिक लाभ पहुंचाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर जो कुछ कहा गया है, वह पर्याप्त है। संबद्ध व्यक्तियों के लिए इस प्रश्न का कितना ही महत्व क्यों न हो, तो भी यह इतने सार्वजनिक महत्व का विषय नहीं है, जिस पर चर्चा की जाए। अतः में इसकी अनुमति नहीं देता।

न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना

अध्यक्ष महोदय : ११ दिसम्बर को मध्य प्रदेश में परासिया खान में समीपवर्ती खान से जल की भारी बाढ़ आ जाने के कारण ७२ खनिकों की आकस्मिक मृत्यु के सम्बन्ध में श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी के स्थगन प्रस्ताव के विषय में माननीय श्रम मंत्री अपने वक्तव्य द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे।

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : मध्य प्रदेश के बरासिया कोयला क्षेत्र में न्यूटन चिखली खान में १० दिसम्बर १९५४ को प्रातः काल होने वाली भयानक दुर्घटना को सुन कर, जिस में ६५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, सभा को अत्यन्त दुःख हुआ होगा। अब तक सरकार के पास यह जानकारी आई है कि दुर्घटना के समय खान में ११२ खनिक काम कर रहे थे। अकस्मात एक समीपवर्ती बन्द पड़ी खान से एक बड़ा जलप्रवाह पहाड़ी को काटता हुआ अपने साथ बहुत सी सांस घोटने वाली गैस लिये हुए बह निकला। सैंतालीस खनिक भूतल पर पहुंचने में समर्थ हुए परन्तु शेष ६५ व्यक्ति खान में फंस गये। परासिया खान का निरीक्षक तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचा और उस ने समीपवर्ती खानों में उपलब्ध नलों को ले कर जल को बाहर निकालने का शीघ्र प्रबन्ध किया। छिन्दवाड़ा के जिलाधीश और जिला सुपरिंटेंडेंट पुलिस भी यथाशीघ्र घटना स्थल पर पहुंच गये और उन्हों ने सहायता कार्य आरम्भ कर दिया। खानों का मुख्य निरीक्षक, जो सरकारी काम के लिए दिल्ली गया हुआ था, ११ दिसम्बर १९५४ को रात्रि के वायुयान से खान के लिये चल पड़ा। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के दो मंत्री भी जिन में एक श्रम मंत्री था, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंच गये हैं और स्वयं सब कार्यवाहियों का निर्देशन कर रहे हैं।

खानों के मुख्य निरीक्षक ने, जो खान में पहुंच गया था, और जिस ने दुर्घटना का प्रारम्भिक रूप से अध्ययन कर लिया था, यह रिपोर्ट दी है कि खान बहुत बड़ी है, जिस में २५०० मजदूर काम करते हैं, जिन में से १६०० व्यक्ति भूमि के नीचे काम करते हैं। यह खान पिछले ३३ वर्षों से चल रही थी और २०० फुट गहरी हो गई थी। इस में से इस समय २०,००० टन के लगभग कोयला निकलता है। इस खान की व्यवस्था योग्य प्रबन्धक के हाथों में है, जिस के पास प्रथम श्रेणी का प्रमाणपत्र है, और वह इस पद पर पिछले १० वर्षों से काम कर रहा है। उस के दो सहप्रबन्धक हैं, जिन के पास द्वितीय श्रेणी के प्रमाणपत्र हैं। दुर्घटना शुक्रवार, १० दिसम्बर १९५४ को १० १/२ बजे हुई थी। प्रारम्भिक जांच पड़ताल से यह प्रतीत होता है कि कुछ मजदूरों ने पानी रसता हुआ देखा परन्तु उन्हों ने इस की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, किन्तु कुछ ही मिन्टों में बीच का पत्थर टूट गया और पानी खान में घुस आया। खान में लगभग ७० लाख गैलन पानी भर चुका था। जब मुख्य निरीक्षक खान में पहुंचा, तो वहां केवल दो नल चल रहे थे परन्तु उस ने शीघ्र ही पांच अधिक नलों का प्रबन्ध कर दिया। यदि सारा पानी निकाला जाये तो इस में १० या १५ दिन लगने की सम्भावना है। इसलिये इंजीनियर वहां निचाई वाले स्थान पर एक सुराख खोदने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि नाली बना कर जलग्रस्त क्षेत्र से खान के अन्य भागों को पानी निकाला जा सकें। ऐसा करने से मृत व्यक्तियों के शव प्राप्त करने में सुविधा होगी परन्तु यदि यह प्रक्रिया सफल भी हुई तो भी दो या तीन दिन लग

जायेंगे। इस समय दुर्घटना के उत्तरदायित्व के विषय में निश्चित रूप से कहना मेरे लिये उचित नहीं होगा, यद्यपि खानों के मुख्य निरीक्षक का प्रथम निरीक्षण के आधार पर यह मत है कि प्रबन्धकों ने अपनी योजनायें ठीक नहीं चलाई थीं, जिस का परिणाम यह हुआ कि यद्यपि १९५४ में खानों में दो बार निरीक्षण हुआ था एक बार अप्रैल-मई में और फिर अगस्त में, फिर भी खानविभाग के निरीक्षक अधिकारियों को पुरानी खान की निकटता विदित नहीं थी। उसका यह भी मत है कि प्रबन्धक खान अधिनियम के विनियम ७४ के उपबन्धों को पूरा करने में असफल रहे हैं, जिस के अनुसार जब काम किसी ऐसे स्थान से १०० फुट की दूरी तक पहुंच जाये, जहां पानी या अन्य तरल पदार्थ एकत्रित हो, या एकत्रित होने की संभावना हो, या किसी पुरानी बन्द पड़ी खान के १०० फुट की दूरी पर पहुंच जाये, तो उस स्थान पर पूरी सावधानी से काम करना चाहिये। इन सब मामलों के बारे में अग्रेतर जांच की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने खान अधिनियम की धारा २४ के अधीन नागपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री वी० आर० सेन की अध्यक्षता में एक जांच न्यायालय जो स्थापित किया है, और डा० डब्ल्यू० एस० बार्लिंगे, संसद् सदस्य, तथा श्री एम० एल० शोम, मुख्य खान इंजीनियर, कोयला बोर्ड, जो खान अधिनियम के प्रशासन से, जो खान में सुरक्षा की व्यवस्था करता है, असंबंधित है को असैसर के रूप में नियुक्त किया है। इस जांच न्यायालय से यथाशीघ्र जांच समाप्त करने की प्रार्थना की गई है।

मुझे विश्वास है कि यह खान अधिनियम में निर्धारित सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के पालन के प्रश्न के सब पहलुओं पर सविस्तार विचार करेगा और विशेषकर इन बातों की करेगा कि जब इतना पानी पास था, तो खतरे की सम्भावना को क्यों नहीं समझा गया, क्या खान का निरीक्षण अच्छी तरह किया गया था, क्या दुर्घटना किसी की लापरवाही के कारण हुई थी, क्या बचाव को कार्यवाही में कोई त्रुटि तो नहीं थी और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या सुरक्षा प्रबन्ध किये जाने चाहियें। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार सब जानकारी और अपने प्रस्ताव सदन के समक्ष रखेगी।

भारत सरकार को इस प्रकार की गम्भीर दुर्घटना पर बहुत खेद है विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य बहुत से कोयला पैदा करने वाले देशों की अपेक्षा हमारे देश में बहुत कम दुर्घटनायें होती हैं। मैं पीड़ित परिवारों को सरकार की सहानुभूति का पत्र भेज चुका हूं और विधि के अनुसार हम उन्हें शीघ्र प्रतिकर देने का प्रबन्ध करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : तो हमें रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : मैं एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे चुका हूं।

आन्ध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जुलूस पर कथित गोली-कांड

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रस्ताव "११-१२-१९५४ को कर्नूल के समीप गारगईपुरम में शान्तिपूर्ण चुनाव जुलूस पर जमींदारों तथा पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने" के बारे में है। मैं जानना चाहूंगा कि अब स्थिति क्या है?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है जो कि पूरी नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि माननीय सदस्य

[डा० काटजू]

एक अलग सूचना प्रश्न पूछें। मैं कल इस का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। उत्तर के बाद आप अपना निर्णय दे सकते हैं कि यह स्थगन-प्रस्ताव ग्राह्य है या नहीं। हमारी जानकारी के अनुसार पुलिस का इसमें कोई हाथ नहीं था। एक जलूस निकाला गया था और कुछ गड़बड़ भी हुई थी। कुछ पुलिस के सिपाहियों पर जो वहां उपस्थित थे, हमला किया गया था। हैड कांस्टेबल को चोटें आई थीं और उसे अपनी रक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी थी....

श्री ए० के० गोपालन : समाचारपत्रों के अनुसार चार जमींदार भी वहां थे। जब उन्हों ने जलूस वालों पर गोली चलाई तो पुलिस वालों ने भी चलाई। सरकार ने वचन दिया है कि चुनाव सम्बन्धी प्रचार करने दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जमींदारों ने क्यों गोली चलाई, और जलूस को रोका। यह एक बहुत गम्भीर बात है कि सरकार चुनाव के समय लोगों की रक्षा नहीं करती और इस प्रकार की घटनाओं को रोकती नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय मंत्री पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद कल या परसों एक वक्तव्य दे सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं।

डा० काटजू : मैं परसों एक विस्तृत वक्तव्य दूंगा।

पटल पर रखे गये पत्र

विमान निगम नियम

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : वायु निगम अधिनियम १९५३ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, मैं संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या १४—सी० ए० जी० (१५)/५३, दिनांक २६ नवम्बर १९५४ में प्रकाशित विमान निगम नियम १९५४ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एस०–४५२/५४]**

औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९५४ की धारा ३४ की उपधारा (७) के अधीन मैं, वर्ष १९५३-५४ के लिये भारत के औद्योगिक वित्त निगम के हिसाब के लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एस–४७२/५४]**

अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं १९५४–५५ में केन्द्रीय सरकार के व्यय (रेलवे को छोड़ कर) के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस–४७९/५४]**

अनुदानों की अनुपूरक मांगें—आंध्र राज्य, १९५४-५५

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं १९५४–५५ में आंन्ध्र राज्य के व्यय के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०–४८०/५४]**

मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : ३० अगस्त, १९५४ को संशोधित

बैंक पंचाट सम्बन्धी चर्चा के दौरान में म ने कहा था कि यूनाइटेड बैंक ग्राफ इन्डिया को इस पंचाट से पूरी छूट देने का एक कारण यह भी था कि केन्द्रीय सरकार के एक उपमंत्री श्री अरुण चन्द्र गुहा का इस बैंक से सम्बन्ध था और उन्हों ने एक समवाय को, जिस में उन का स्वार्थ था, बैंक से एक बहुत बड़ा ऋण दिलवाने के लिये गारन्टी दी थी। वित्त मंत्री और श्री गुहा ने इस का खंडन किया था और मुझे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मुझे या तो अपना आरोप प्रमाणित करना चाहिये या इसे वापस ले लेना चाहिये। मैं ने अब इस का प्रमाण प्राप्त कर लिया है और यह उक्त बैंक की प्रतिभूति पूंजी के एक पृष्ठ की फोटोस्टेटिक प्रतिलिपि है, जो कि मैं पटल पर रखता हूं।

इस प्रतिलिपि से प्रकट है कि श्री ए० सी० गुहा ने जो कि एक सार्वजनिक सीमित समवाय अर्थात् श्री सरस्वती प्रैस लि० के एक संचालक ने, ४-३-४७ की इस बैंक को एक गारन्टी पत्र दिया था, जिस के स्थान पर ६-६-५० को उन्हों ने ५ लाख रुपये की राशि का एक और गारन्टी पत्र दिया था। इस पत्र को उन्हों ने कभी रद्द नहीं किया और चूंकि इस पर बैंक के एक सक्षम पदाधिकारी के १८-२-५४ के हस्ताक्षर हैं, इस लिये स्पष्ट है कि यह कम से कम उस तिथि तक चालू थी। यहां यह भी बता देना चाहिये कि ऋण लेखा श्री गुहा और अन्य व्यक्तियों ने कोमिला बैंकिंग कारपोरेशन लि० में शुरू किया था, जो कि उन चार बैंकों में से एक था, जिन्हें मिला कर यूनाइटेड बैंक ग्राफ इंडिया लि० बनाया गया था और उक्त ऋण लेखा इस बैंक की पुस्तकों में जारी है।

मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि श्री गुहा ने उपमन्त्री होते हुए एक बैंक से ऋण के लिये गारन्टी दी थी बल्कि यह था कि उन का एक ऐसे बैंक से सम्बन्ध था, जिसे सरकार द्वारा संशोधित किये गये पंचाट से छूट प्राप्त थी: सभा को ठीक ठीक स्थिति बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मुझे खेद है कि श्री एच० एन० मुकर्जी ने ३० अगस्त को जो शब्द कहे थे, उन्हें उन्हों ने आज बदल दिया है। उस समय उन्हों ने कहा था कि "एक वित्त उपमंत्री और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री इस बैंक से, अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) के रूप में ली गई बहुत बड़ी राशियों के लिये व्यक्तिगत गारण्टी थे और ये राशियां जिन तरीकों से ली गई थी, वे भी बहुत संदिग्ध हैं"।

अपने वर्तमान वक्तव्य में उन्हों ने कहा है कि मैं एक बहुत बड़ी राशि के ऋण के लिये गारंटी था और मैं यूनाइटेड बैंक लि० का आभारी हूं। मैं नहीं जानता कि "बहुत बड़ी राशियां" और "संदिग्ध तरीकों" से उन का क्या अभिप्राय है। एक व्यापारी फर्म के लिये जिस की साख अच्छी है, अपनी आस्तियों के आधार पर किसी बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेना एक सामान्य वाणिज्यिक कार्यवाही है। और फिर क्या किसी ऋण लेने वाली कम्पनी के संचालक के रूप में कुछ ओवर ड्राफ्ट गारंटी पत्रों पर हस्ताक्षर करना "बहुत बड़ी राशियों के लिये व्यक्तिगत गारंटी देने" के बराबर समझा जा सकता है?

श्री मुकर्जी ने जिस लेखा पुस्तक के एक पृष्ठ की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, वह कोमिला बैंकिंग कारपोरेशन लि० की है और यूनाइटेड बैंक ग्राफ इण्डिया की नहीं है। उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी तथ्य इस प्रकार हैं। कुछ अन्य संचालकों के साथ, मैं ने १९४७ में कुछ पत्रों पर हस्ताक्षर

[श्री ए० सी० गुहा]

किये थे जो कि कोमिला बैंकिंग कारपोरेशन लि० में श्री सरस्वती प्रेस लि० के ओवरड्राफ्ट लेखे के सम्बन्ध में थे। इस का नवीकरण ६-६-१९५० को उसी बैंक में किया गया था और यूनाइटेड बैंक में नहीं जुलाई, १९५१ में अर्थात् जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के पारित होने के तुरन्त पश्चात् मैं ने ऋण लेने वाले समवाय के बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया था। ओवरड्राफ्ट लेखे का अगस्त १९५२ में नवी-करण किया गया था। इस अवसर पर मैं ने किन्हीं पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किये और उस समय लेखा भी यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया में आ चुका था।

श्री मुकर्जी ने यूनाइटेड बैंक के रजिस्टर पर बैंक के एक पदाधिकारी के १८-२-१९५४ के हस्ताक्षरों की ओर ध्यान दिलाया है और कहा है कि इस से मेरा दायित्व प्रकट होता है। किन्तु उन्हों ने यह देखने का कष्ट नहीं किया कि उस तिथि के जो हस्ताक्षर हैं, वह उन अग्नि बीमा पत्रों के सत्यापन के बारे में हैं, जो कि ऋण लेने वाली कम्पनी ने बैंक के पास रखे थे। उन्हों ने यह भी नहीं देखा कि उसी पृष्ठ पर यह भी लिखा है कि उस गारंटी पत्र के बदले, जिस पर मैं ने हस्ताक्षर किये थे, एक और संचालक ने १९-८-१९५२ को अपना गारंटी पत्र दिया है।

श्री मुकर्जी ने कहा है कि मैं ने अपना गारंटी पत्र रद्द नहीं किया। मैं बतलाना चाहूंगा कि ये पत्र यदि रद्द न भी किये जायें, तो केवल तीन वर्ष तक मान्य रहते हैं। अतः मैंने जिन पत्रों पर हस्ताक्षर किये थे, वे ६-६-१९५३ के बाद वैध नहीं रहे। इस की पुष्टि बैंक के पत्र द्वारा की गई है। १९४७ और १९५० में मैं ने जिन पत्रों पर हस्ताक्षर किये थे, वे कोमिला बैंकिंग कारपोरेशन के थे और यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के नहीं थे। अतः एक ऋण लेने वाली कम्पनी के संचालक के रूप में एक विशिष्ट ओवरड्राफ्ट लेखे के सम्बन्ध में मैं ने जो भी उत्तरदायित्व संभाला था वह एक दूसरे बैंक के साथ था और एक दूसरे बोर्ड तथा प्रबन्ध-मंडली के साथ था।

इस प्रकार, अब भी मैं उस आरोप का प्रतिवाद करता हूं, जो ३० अगस्त को श्री मुकर्जी ने लगाया था। मैं यह भी कहता हूं कि न तो यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, लिमिटेड का मेरे ऊपर कोई आभार था और न है इसलिये इस बात का कोई आधार नहीं है कि मैं उन को अनुगृहीत करना चाहता हूं।

मैं श्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड के पत्र की एक प्रति पेश कर रहा हूं, जिस से पता लगेगा कि मैं ने उस समवाय के निदेशक पद से ४ जुलाई १९५१ को त्यागपत्र दे दिया है; यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के एक अन्य पत्र की प्रतिलिपि से भी स्पष्ट पता लगता है कि यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, लिमिटेड से मेरा कोई वित्तीय सम्बन्ध नहीं है। मैं पत्रों को पढ़ कर सुनाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह उन्हें सभा पटल पर रख दें। क्या वे लम्बे पत्र हैं?

श्री ए० सी० गुहा : नहीं, छोटे पत्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : तब वह उन्हें पढ़ सकते हैं।

श्री ए० सी० गुहा : लीजिये, ऋण लेने वाले समवाय द्वारा बैंक को लिखे गये एक पत्र में यह बताया गया है कि हमें यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री गुहा ४ जुलाई, १९५१ से इस समवाय के निदेशक नहीं रहे। यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड के एक पत्र में भी यह स्वीकार किया गया है

कि श्री ए० सी० गुहा समवाय के निदेशक नहीं रहे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्री गुहा द्वारा कही गयी कुछ बातों के उत्तर में मुझे स्थिति का स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : सभा तो वक्तव्यों और दस्तावेजों पर आधारित तथ्यों से निष्कर्ष निकालेगी ।

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—समाप्त

अध्यक्ष अहोदय : अब सभा डा० काटजू द्वारा निवारक निरोध अधिनियम, १९५० का अग्रेतर संशोधन करने के लिये रखे गये प्रस्ताव और उस के संशोधनों के सम्बन्ध में अग्रतर चर्चा करेगी । चूंकि इस के शुरू करने में आधे घण्टे का विलम्ब हो गया है अत: मतदान २ बज कर १५ मिनट पर होगा ।

श्री **एच० एन० मुमर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस निवारक निरोध अधिनियम को आज जनता पसन्द नहीं कर रही है और इस के विरोध में लाखों याचिकायें सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं । पिछली बार माननीय गृह उप मंत्री श्री दातार ने बताया था कि संयुक्त राज्य अमरीका में भी, हमारे निवारक निरोध अधिनियम की ही भांति एक अधिनियम है । पर मैं इस बात को नहीं मान सकता कि वहां पर ऐसा कोई भी अधिनियम है । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने भाषण में कहा था कि आश्चर्य है कि अपराध रोकने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता में अनेक धारायें १०७, १०९, ११० और बहुत सी अन्य धारायें होते हुए भी सरकार निवारक निरोध का प्रयोग करती है । डा० काटजू ने कहा था कि अपराध होने से पूर्व ही उस की रोकथाम करना आवश्यक है । पर इस प्रयोजन के लिये हमारी संविधि पुस्तक में अनेक सम्बन्ध हैं । हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री मुकर्जी ने अषुतोष लहरी के मामले के सम्बन्ध में इस अधिनियम को नियमविरुद्ध बताया था । हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति ने भी उसे जनता की स्वतन्त्रता का अनुचित अपहरण बताया है ।

गत वर्षों में निवराक निरोध अधिनियम का क्या प्रयोग किया गया इस के आंकड़े हम लोगों को दिये गये हैं । विवरण संख्या २ से पता लगता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पिछले वर्ष केवल ९ व्यक्तियों को पकड़ा गया : उन में से तीन व्यक्ति १ अक्तूबर, १९५३ से ही बन्द थे, अक्तूबर १९५४ के बाद आप को सब को छोड़ देना पड़ा क्योंकि उन पर कोई अपराध सिद्ध नहीं हो पाया । विवरण ४ के अनुसार गत वर्ष १७ व्यक्ति पकड़े गये । उन में केवल दो चोर बाजारी करने वाले और १० हड़ताल कराने वाले थे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

विवरण संख्या ११ से पता लगता है कि १ अक्तूबर १९५३ से ३० सितम्बर, १९५४ तक राजनैतिक कारणों से बन्द किये लोगों में साम्यवादी ५९, प्रजासमाजवादी पार्टी तथा अन्य समाजवादी ४२, कांग्रेसी २, हिन्दू महासभाई २ और रामराज्य परिषद् तथा मुसलिम लीग के २ थे, इन बन्दियों की संख्याओं को देख कर साफ पता चलता है कि इस अधिनियम का प्रयोग क्यों, किन लोगों के लिये और कैसे किया जा रहा है ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : आप किस विवरण के सम्बन्ध में कह रहे हैं ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं विवरण संख्या ११ के सम्बन्ध में कह रहा हूं ।

[श्री एन० एन० मुकर्जी]

गृह मंत्री ने बताया है कि इस अधिनियम का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जायेगा। भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) अधिनियम के बारे में लोक-सभा मंत्रालय द्वारा परिचालित एक लेख्य मुझे मिला है। परिचालित पत्रों से पता लगता है कि उक्त संशोधन के सम्बन्ध में मद्रास के पुलिस के इंस्पैक्टर जनरल ने यह मत दिया है कि केन्द्रीय तथा राज्य विधान-सभाओं में बहुत से समाज विरोधी लोग हैं। अतः उन्हें शस्त्र देना खतरनाक है। मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों को लोक सभा तथा राज्य विधान-सभाओं के सदस्यों के सम्बन्ध में ऐसी बात करने का साहस इसलिये है, कि हमारे मंत्री उप मंत्री तथा सरकारी दल के सदस्य इस प्रकार की बातें स्वयं कहते हैं। इस प्रकार जब अधिकारी सरकार के पक्षपाती बन गये हैं और आप कहते हैं कि यही अधिकारी निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग करेंगे तब देश का भविष्य अंधकारमय दिखलाई पड़ता है।

डा० काटजू ने कहा कि क्या मैं कोई ऐसा उदाहरण दे सकता हूं जहां विधि का दुरुपयोग किया गया हो। इस सम्बन्ध में मैं उस याचिका का हवाला दूंगा जिस पर श्री अतुल चन्द्र गुप्त ने भी हस्ताक्षर किया था। याचिका में कहा गया है कि यदि यह विधान संविधि पुस्तक में रहा तो कलकत्ता में ट्राम के किराये में बढ़ती के विरुद्ध हड़ताल या अध्यापकों की हड़ताल के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया वही जनता द्वारा न्यायोचित मांग के सम्बन्ध में की गयी हड़तालों के समय किया जायेगा।

इसी प्रकार झरिया खास कोयला खान कर्मचारी संघ के मंत्री, श्री निर्मल भट्टाचार्य को कांग्रेस सरकार ने ४ वर्ष का कारावास दिया है। मोहम्मद इलियास को जो पश्चिमी बंगाल प्रान्तीय कार्मिक संघ का मंत्री था, पकड़ा गया। कलकत्ता पत्तन कर्मचारियों की हड़ताल में भी श्री सीताराम को, जो उन का नेता था, गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र में एक चीनी के कारखाने में हड़ताल हुई। उस सम्बन्ध में भी महाराष्ट्र किसान सभा के नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं। उक्त सभी अवसरों पर इसी अधिनियम के अन्तर्गत बिना आरोप लगाये गिरफ्तारियां हुईं।

यदि माननीय गृह मंत्री चाहें तो मैं इस प्रकार के अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

पिछले अवसर पर आप ने संविधान की पवित्रता के सम्बन्ध में कहा था। उस सम्बन्ध में गृह मंत्री विदेशों के विद्वानों के वचन सुनाने की कृपा करें। अब्राहम लिंकन ने कहा है, कि "जब कभी भी लोग वर्तमान सरकार से ऊब जायें तो वे इस में संशोधन करने के संवैधानिक अधिकार अथवा उसे पलटने के क्रांतिकारी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।"

वहां सरकार की कसौटी लोगों की सुरक्षा तथा प्रसन्नता है। इसी कसौटी पर हम ने कहा था, कि हिंसा का जो प्रश्न उठाया गया है वह नितांत असंगत है। मैं हिंसा तथा अहिंसा की बातें नहीं समझता। कांग्रेस कहती है कि हमें भारत को अहिंसात्मक तरीके से स्वतन्त्रता दिलाने का श्रेय प्राप्त है, किन्तु मैं कहता हूं कि हमें विभाजन तथा उस के परिणामस्वरूप हुई हिंसा के रूप में जो मूल्य चुकाना पड़ा है वह विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व है।

हम कई बार कह चुके हैं कि हम हिंसा को, हिंसा के लिये नहीं चाहते हैं। मैं इस के कई उदाहरण दे सकता हूं। स्तालिन ने एच० जी० वैल्स से अपनी एक भेंट के अवसर पर कहा था कि "वे देखते हैं कि पुरातन

पंथी लोग हिंसात्मक तरीकों से अपनी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिये साम्यवादी श्रमिक वर्गों से कहते हैं कि इस पुरातन मरणसत्र पद्धति से अपनी रक्षा जिस तरीके से भी हो करनी चाहिये ।"

जनता अवश्य ही ऐसी पद्धति को पलट देगी जिस से सुरक्षा तथा खुशी प्राप्त नहीं होती ।

हिंसा तथा अहिंसा का जो विषय सरकार के द्वारा उठाया गया है वह नितान्त असंगत है । हम ब्लैंकिस्टस नहीं हैं और हम विपल्व में विश्वास नहीं करते । हम भी स्थिति की सामाजिक क्रियमाणता को समझते हैं । हम ने केवल लेनिन, स्टालिन व माओ-त्से-तुंग की ही कृतियां नहीं पढ़ी हैं अपितु हम ने प्रधान मंत्री का आत्म चित्र तथा 'डिस्कवरी आफ इण्डिया' भी पढ़े हैं । किन्तु तिस पर भी हमारी अपनी धारणायें हैं तथा हम अपनी उन धारणाओं को जनता की मांगों, जनता के रहन-सहन की स्थितियों तथा उन की भावी महत्वकांक्षाओं से सम्बन्धित करते हैं ।

यदि सरकार साम्यवाद पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है तो उसे आगे आना चाहिये न कि उसे ऐसी कूट चालें अपनानी चाहियें । जनता निवारक निरोध अधिनियम जैसे विधान की पूर्णतया विरोधी हैं । चुनाव सन्निकट हैं, हम जानते हैं कि सरकार ने पहले चुनावों में इस अधिनियम का किस प्रकार दुरुपयोग किया, इसीलिये हम कहते हैं कि इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने में सरकार का अपना उद्देश्य निहित है ।

हम भली भांति जानते हैं कि यह एक घृणात्मक उपाय है जिस के पीछे राजनैतिक उद्देश्य, छिपा हुआ है, जिसे सरकार चतुराई से काम में लाना चाहती है क्योंकि वह इस का खुल कर प्रयोग नहीं कर सकती । हम अपनी जनता को यह बता देना चाहते हैं कि सरकार बुरे रास्ते पर चल रही है किन्तु हमारी जनता अच्छा जीवन व्यतीत करेगी । आप इस प्रकार की निरंकुशता अधिक दिन तक नहीं चला सकते न जनता की महत्वकांक्षाओं तथा अभिलाषाओं को ही कुचल सकते हैं ।

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) : चर्चा इस समय, वास्तव में, इस विषय पर हो रही है कि क्या देश में इस प्रकार की स्थिति है कि निवारक निरोध अधिनियम की काल वृद्धि की मांग की जाये ।

मुझे, वास्तव में, गृह मंत्री की विनम्रता तथा उदारता पर आश्चर्य है कि उन्होंने अपने मामले को कितनी शालीनता के साथ सभा के समक्ष रखा है । कदाचित् प्रजातन्त्र के नियमों के अनुसार कटु तथ्यों को प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं है, किन्तु मुझ पर कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है, इसलिये में कुछ तथ्यों को आप के समक्ष रखूंगा ।

मेरे पास हिन्द सोवियत सांस्कृतिक एकता सभा के प्रतिनिधिमंडल का एक प्रतिवेदन है । यह प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने रूस गया था । इस प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य ने मेरे पास एक सूचना भेजी है, जिस के अनुसार श्री हीरेन मुकर्जी ने मास्को में यह कहा कि 'भारत सरकार इस सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल के विरुद्ध थी । भारत सरकार ने हमें पारपत्र देने में आनाकानी की तथा वह यह नहीं चाहती थी कि हम रूस जायें ।

इतना ही नहीं, प्रोफैसर मुकर्जी ने प्राज्य विज्ञान संस्था, मास्को में निस्संकोच हो कर यह कहा 'श्री नेहरू के कार्य उन के शब्दों के बिल्कुल विपरीत हैं वह हमें शांति के लिये कार्य नहीं करने देते । . . . .'

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान्, यह बिल्कुल गलत है ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में जानना चाहता

[श्री पुन्नस]
हूं । क्या माननीय सदस्य इस वक्तव्य की मूल अथवा कोई सच्ची प्रति सभा-पटल पर रख सकते हैं ।

डा० एस० एन० सिंह : श्रीमान्, यदि कहा जायेगा तो मैं प्रतिलिपि ही नहीं, प्रत्युत मूल प्रति को भी रख सकता हूं । इस से भी अधिक महत्वपूर्ण तो यह है : "श्री मुकर्जी के एक सहयोगी श्री यार्डी ने मास्को रेडियो पर कहा —'यहां रूस में तो एक कुत्ते का जीवन तक सुरक्षित है किन्तु हमारे भारत में मानव रक्त के पिपासुओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है' ।" श्री मुकर्जी सभा में जो कुछ कहें उसे मैं अधिक महत्व नहीं देता, किन्तु मास्को रेडियो पर बताई गई यह बात अवश्य ही कुछ अर्थ रखती है । यह हमारे देश को बदनाम करने का एक षडयंत्र है और यह बहुत गम्भीर मामला है ।

सच्चाई की बात तो यह है कि हम रूस से मित्रता चाहते हैं । हमारी स्वास्थ्य उपमंत्री मास्को गई थीं । तब हम ने प्रवदा में उन की इस प्रतिक्रिया को पढ़ा था कि भारतीय संगीत नृत्य तथा गानों में जो भावना सन्निहित थी उस ने हमारे हृदय को हिला दिया तथा हमारे हृदय में उस महान राष्ट्र के प्रति आदर तथा प्रेम की भावना उद्भूत हो गई ।

किन्तु हिन्द सोवियत सांस्कृतिक एकता सभा का उतना आदर नहीं हुआ जितना कि भारतीय कलाकारों के प्रतिनिधिमंडल का, जो सच्चे अर्थों में एक प्रतिनिधिमंडल था ।

किसी अन्य देश की मित्रता प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है किन्तु शर्त यह है कि वह समाज तथा राज्य के विरुद्ध न हो । हिंद सोवियत सांस्कृतिक एकता सभा के सदस्यों को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन हिरासत में ले लेना चाहिये ।

साधारण शब्दावलि में देश की मानहानि करने को देशद्रोह कहा जाता है तथा प्रत्येक स्वतन्त्र तथा प्रजातन्त्रात्मक देश में ऐसे देश द्रोह का दंड मृत्यु है ; किन्तु हमारा देश बहुत उदार है । हम उन्हें केवल निवारक निरोध अधिनियम के अधीन रोकते हैं इस पर भी इतना शोरगुल होता है ।

किन्तु हिन्द सोवियत सांस्कृतिक एकता सभा के सदस्य करते क्या हैं । वे तो हमारे सामने ही एकत्र हो कर रूसी सरकार को ठगने तथा उससे रुपया लेने की योजनायें बनाते हैं । इस प्रकार इसके नाम पर मुख्यतः विध्वंशक काय होते हैं ।

अब हमें इसकी तह तक जाना चाहिये इसका कारण यह है कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय तथा आन्तरिक मामलों में बहुत अच्छा कार्य किया है । हमारी योजनायें भी सफल हो रही हैं इससे कुछ व्यक्ति अथवा दल निराश हो गये हैं तथा वे सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों के आवरण में विदेशों से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं और उनके लिये कार्य करना चाहते हैं । मैं कहता हूं कि यह खला देशद्रोह है ।

ये व्यक्ति जो विदेशों के सम्पर्क में आते हैं तथा ये षड्यंत्र, सरकार को निवारक निरोध अधिनियम जैसी विधि बनाने के लिये प्रोत्साहित करते हैं ।

पहले भी कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया गया, प्रत्युत बहुत ढिलाई से प्रयोग किया गया । मेरा विश्वास है कि भविष्य में इसका कभी दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क (जम्मू तथा काश्मीर) : यद्यपि चर्चा के इस प्रकरण पर बोलने का मेरा विचार नहीं है किन्तु श्री अशोक

मेहता ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार पर कुछ आरोप लगाये हैं और इस कारण मैं यहां कुछ कहना आवश्यक समझता हूं। सभा को विदित है कि जम्मू तथा काश्मीर के लोगों के भारत के साथ सम्बन्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद ३७० के अधीन आते हैं, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति ने २६ जनवरी १९५० को एक आदेश निकाला था। तत्पश्चात् अन्य आदेश, जो लागू हुआ है, १४ मई, १९५४ को निकाला गया था। जम्मू तथा काश्मीर विधान-मंडल सम्बन्धी उपबन्धों का अनुच्छेद ३५ में बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया गया है। यदि माननीय गृह मंत्री ने अधिनियम में यह उल्लेख कर दिया है कि यह विधि जम तथा काश्मीर पर लागू नहीं होती, तो उन्होंने केवल वही किया है जिसका जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को संसद् ने आश्वासन दिया है।

श्री अशोक मेहता महसूस करते हैं कि राज्य में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा है कि "राज्य के लोगों पर दमनकारी उपायों का प्रयोग होता है।" मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि अगस्त १९५३ से पहले संविधि पुस्तक में लोक-सुरक्षा अधिनियम, १९४६ तथा काश्मीर रक्षा अधिनियम सम्मिलित थे। इन दो अधिनियमों के अनुसार पुलिस का सब इन्सपेक्टर भी किसी व्यक्ति को बंदी बना सकता था और उसकी न तो कोई अपील हो सकती थी और न ही वे किसी बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो सकते थे। परन्तु अगस्त १९५३ के पश्चात् परिस्थितियां सुधर गई हैं। मार्च १९५४ में हमने एक विधि पारित की थी जिसके अधीन सरकार किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने के दिनांक से छः सप्ताह तक एक, परामर्शदाता बोर्ड के समक्ष उपस्थित करती है। अतः मेरे मित्र का कथन कि कोई बोर्ड नहीं है या कोई अपील नहीं होती, गलत है।

जब कि हम इस बात की चर्चा कर रह हैं, मैं विनयपूर्वक सभा को बताता हू कि १ जनवरी, १९४९ को भारत तथा पाकिस्तान के बीच काश्मीर पर एक युद्ध विराम करार हुआ था। यद्यपि युद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी वहां युद्ध सदृश्य परिस्थितियां विद्यमान हैं। युद्ध-विराम-रेखा प्राकृतिक न होने के कारण जम्मू तथा काश्मीर में और दूसरी ओर आसानी से विध्वंश-कार्यवाही हो सकती है तथा लोगों का आना जाना भी रह सकता है। जम्मू तथा काश्मीर के लोगों के हित के लिये ऐसी विधियों का रखना आवश्यक है। आजकल केवल १५ व्यक्ति कारावास में हैं और उन में से दस वे हैं जिन्हें राज्य की सुरक्षा के लिये नज़रबन्द किया गया है और पांच अन्य व्यक्ति ॅ। अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विधि का प्रयोग बहुत ही कम और केवल आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। इस कारण ऐसी किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है।

मैं इस सभा के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जब वे जम्मू तथा काश्मीर के लोगों तथा उनकी समस्याओं पर विचार करें, तब यह स्मरण रखें कि हम यहां जो भी कहते हैं शत्रु उसका पूर्ण लाभ उठाते हैं। जब श्री अशोक मेहता ने राज्य के कुप्रबन्ध के बारे में इतने कड़े शब्दों में कहा तो मुझे बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि यदि आप पाकिस्तान प्रेस के प्रचार को देखें तो आपको विदित होगा कि पाकिस्तान प्रेस तथा आज़ाद काश्मीर सरकार ने वही शब्द प्रयोग किये हैं जो दुर्भाग्यवश श्री अशोक मेहता ने कहे थे।

अन्ततोगत्वा, पाकिस्तान प्रेस भी तो यही कहता है कि भारत एक आक्रमण-कारी की भांति जम्मू तथा काश्मीर में गया है और वहां के लोगों को बन्धन में रख रहा है। प्रत्येक शब्द जो हम कहते हैं और प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं वह केवल हम तक ही

[ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क]

सीमित नहीं है अपितु विदेशी प्रेस उसका अपने हित के अनुकूल प्रयोग करके प्रचार करता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि हम जब जम्मू तथा काश्मीर के बारे में बोलें तब हमें प्रर्याप्त रूप से सतर्क रहना चाहिये क्योंकि यह बहुत ही नाज़ुक मामला है। इस प्रकार की बातों को कह कर हम जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को अपने समीप नहीं लाते, अपितु इस आचरण से तो कुछ कठिनाइयां ही उत्पन्न होती रहती हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व): स्तुत विधेयक पर सदा की भान्ति ही उत्तेजना पूर्ण चर्चा हुई है। परन्तु मुझे इस प्रकार कीचड़ उखाले जाने की आशा नहीं थी। मुझे आशा थी कि लोकतन्त्रवाद के तथाकथित नये रक्षक कहीं अधिक उच्च स्तर की चर्चा करेंगे। परन्तु उन के पास लोकतन्त्रवाद के समस्त सुविख्यात नारे होते हुए भी यह बड़ी अनोखी बात है कि वह लोकतन्त्रवाद की परिभाषा भी न कर सके और न यह बता सके कि क्रियात्मक, ऐतिहासिक तथा दार्शनिक क्षेत्रों में इस का ठीक अर्थ क्या है।

मैं समझता हूं कि समूचे प्रश्न पर दो आधारों पर विचार विमर्ष किया जा सकता था और किया भी गया है। प्रथम आधार यह है कि क्या देश की वर्तमान परिस्थितियों में तीन वर्ष के लिये कोई निवारक निरोध अधिनियम रखना उपयुक्त है या नहीं। द्वितीय, यह मानते हुए कि इस की आवश्यकता है, हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या इस प्रकार नजर बन्द किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये इस अधिनियम में पर्याप्ति संरक्षणात्मक उपबन्ध है और क्या इस का समाज तथा राष्ट्र के स्वतन्त्र तथा प्रयोगात्मक विकास पर कुठाराघात होता है।

मैं पहले प्रथम प्रश्न को लेती हूं। इस शताब्दी के राजनैतिक देवदूत हैराल्ड लास्की का कथन है कि "साहस स्वतन्त्रता का रहस्य है।" अब, देश के वर्तमान रूप में मैं यह जानना चाहती हूं कि राष्ट्र की उचित प्रगति तथा उचित विकास के लिये मानव स्वतन्त्रता को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करने के सरकार के अधिकार को कौन व्यक्ति चुनौती दे सकता है। कोई भी व्यक्ति उस अधिकार का विरोध नहीं कर सकता। यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि लोकतन्त्रवाद का उचित विकास होता है, और स्वाधीनता उचित रूप में आगे बढ़ती है।

सामान्य विधि सामान्य जन के लिये होती है, लोकतन्त्रवाद के मूल सिद्धान्तों में विश्वास करने वाले तथा लोकतन्त्रवाद की प्राचीन प्रथाओं का सम्मान करने वाले व्यक्तियों के लिये होती है। परन्तु जिन व्यक्तियों का मुख्य कार्य ही शरारत करना होता है, और जो वे अपने राजनैतिक अस्तित्व की पुष्टि के लिये करते हैं, उन के लिये यह पर्याप्त नहीं है। यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि इस देश पर आने वाला प्रत्येक संकट ऐसे लोगों के स्वप्न लोक की नींव को दृढ़ बनाता है। क्या इन लोगों के साथ सामान्य विधि से व्यवहार किया जा सकता है? जबकि निवारक निरोध अधिनियम ही से उन का कुछ न हो सकता है तो सामान्य विधि का कहना ही क्या? अतः अधिक लोगों के अधिक लाभ के लिये थोड़े व्यक्तियों की अनुचित स्वतन्त्रता का दमन करने में सरकार के साहस की आवश्यकता है। यदि सम्पूण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य कर्तव्य तथा अधिकार में उचित सन्तुलन न रख सके तो उसे सम्पूण प्रभुत्व सम्पन्न देश कहलाये जाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर हम यह भी तो नहीं कह सकते कि हम सामान्य काल में रह रहे हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक यह नहीं

कह सकता कि कल क्या संकट आ सकता है। यही ऐसा समय है जब कि हमें अपने विश्वास तथा लक्ष्यों पर अधिक दृढ़ता दिखानी है। मैं गृह मंत्री को यह बताना चाहती हूं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम ढंग निवारक निरोध अधिनियम का पालन करना तथा राष्ट्र के हित में उसे विद्यमान रखना है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लोकतन्त्रवाद की हत्या उन्हीं लोगों द्वारा की गई है जो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता तथा लोकतन्त्रवाद के रक्षक होने का दावा करते थे। हम उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। राष्ट्र के रक्षक के रूप में सरकार का यह अधिकार है कि वह लोकतन्त्रवाद की हत्या के लिय लोकतन्त्रवाद को अनुचित लोगों के हाथ में न जाने दे।

विपक्षी दल के कुछ सदस्यों ने कहा था कि इंगलैंड में स्वाधीनता है, जब कि हम यहां एक भिन्न प्राचीन प्रथा का अनुकरण कर रहे हैं। और व्यक्ति को मूल स्वतंत्रता नहीं देते हैं। मैं उन सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि उस प्रकार की स्वतन्त्रता पाने के लिये हमें अंग्रेजों का सा मस्तिष्क भी पाना चाहिये। उदाहरणार्थ, १९२६ में वहां एक महान हड़ताल हुई थी: वहां के हाउस आफ कामन्स के एक सदस्य, सर जान साइमन ने अपने भाषण में कहा था कि "राज्य के विरुद्ध महान हड़ताल का सा असैनिक अवज्ञा आन्दोलन करना भी अवैध है और इसलिये हड़ताल को रोकने के लिये सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही उचित है।" इस भाषण के परिणाम-स्वरूप हड़ताल समाप्त हो गई। अंग्रेजों में विधि के प्रति इतनी निष्ठा है; परन्तु दुर्भाग्य है कि हम में वह नहीं है। वे महसूस करते हैं कि लोकतन्त्रवाद की प्रथाओं को बनाये रखना उन का अन्तिम लक्ष्य है। अत: इस के पूर्व कि हम अंग्रेजों की सी स्वतन्त्रता पाने का साहस करें, हमें अंग्रेजों का सा व्यवहार भी करना चाहिये।

श्री मुकर्जी ने बड़े जोर दार शब्दों में कहा था कि कांग्रेस निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग अपने राजनैतिक लक्ष्य के लिये कर रही है। मैं जोरदार शब्दों में कहती हूं कि सरकार इस का उपयोग साम्यवादियों से जनता की रक्षा तथा राष्ट्र की रक्षा करने के लिये ही कर रही है। तेलंगाना में साम्यवादियों को थोड़ा-सा अवसर मिला था और वहां उन्हों ने नाना प्रकार के विध्वंस कार्य किये। यदि उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाये तो वे न जाने क्या करेंगे।

उन्हों ने कहा है कि इस का प्रयोग बहुत ही हल्केपन से किया गया है। प्राप्त आंकड़ों से विदित होता है कि ३-९-५३ को १५४ व्यक्ति नजरबन्द थे। १-१०-५३ से ३०-९-५४ तक कुल २८० व्यक्ति नजरबन्द किये गये। परन्तु वर्ष समाप्त होने पर नजरबन्द व्यक्तियों की कुल संख्या १३१ थी, अर्थात् लगभग ३०३ व्यक्ति विमुक्त किये गये। इन विमुक्त किय गये लोगों में से सरकार ने १६६, मंत्रणा बोर्ड ने ६५ और उच्चतम न्यायालय ने १४ व्यक्ति विमुक्त किये। यहां मैं यह विशेष रूप से बताना चाहती हूं कि मंत्रणा बोर्ड ने सरकार द्वारा दिया गया नजरबन्दी का आदेश १२३ मामलों में माना। इस से प्रकट होता है कि सरकार ने कभी भी निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग हल्केपन से नहीं किया है।

३६ करोड़ के देश में १३१ व्यक्तियों को निरुद्ध करने पर इतनी हायतोबा नहीं मचानी चाहिये। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने अधिकारों की मांग किये बिना राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें।

आप पर राष्ट्र निर्माण में सहायक होने का उत्तरदायित्व है। इस के बिन अधिकारों की मांग करना अनुचित है। फिर भी यदि कुछ लोग देश को नष्ट करना

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

चाहते हैं तो उन्हें निरुद्ध कर देना चाहिये और देश को नष्ट होने से बचाना चाहिये ।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): हमें बताया गया है कि विधि और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है । प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस को इस का श्रेय है । प्रधान मंत्री यह भी कहते हैं कि हम ने बड़ी सफलतापूर्वक काम किया है और देश प्रगति तथा स्मृद्धि के पथ पर है । फिर भी इस अधिनियम को तीन साल के लिये बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इस से स्पष्ट है कि देश की स्मृद्धि तथा विधि और व्यवस्था की सभी बातें प्रचार मात्र हैं । हमें यह भी बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति बड़ी भयानक है और इसलिये सरकार इस अधिनियम को रखना चाहती है । मैं कहना चाहता हूं कि इस बात से हमारी सरकार तथा हमारे प्रधान मंत्री दोनों के सम्मान पर धब्बा लगता है क्योंकि हम लोग उन्हें उन की विदेशी नीति की सफलता और संसार में शान्तिपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के लिये बधाई का पात्र समझते हैं । फिर, किसी दमनकारी विधि को पारित करने से विश्व को अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष से कदापि नहीं बचाया जा सकता ।

हमारे गृह मंत्री और उन के उपमंत्री ने बताया कि विधि और व्यवस्था के भंग करने का उत्तरदायित्व साम्यवादियों पर है । उन्हों ने तेलंगाना के उपद्रव के समय से अब तक साम्यवादियों द्वारा किये गये कुकृत्यों का वर्णन किया । पर तेलंगाना में भारत रक्षा अधिनियम द्वारा शान्ति नहीं स्थापित की जा सकी थी बल्कि पुलिस कार्यवाही द्वारा शान्ति स्थापित की गयी थी । फिर भी कांग्रेस, साम्यवादी उपद्रव की बात नहीं कह सकती क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और सर्वधिकारीवादी साम्यवादियों में कोई भेद नहीं मानते । मुझे भी भारत तथा विदेश के साम्यवादियों में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । देश के भीतर अनुरोधक निरोध अधिनियम के समर्थन का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अणुबम और उद्जन बम का समर्थन करना है । पर मैं दोनों का विरोधी हूं ।

यदि साम्यवादी बुरे हैं तो उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये । पर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से आप विश्व में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे । क्योंकि आप का यह काम सह-अस्तित्व की नीति के विरुद्ध होगा ।

आप कहते हैं कि राज्य इस अधिनियम को चाहते हैं । राज्य क्यों चाहते हैं ? वह अपने प्रशासन को कुशल बनाने के लिये चाहते हैं ? क्योंकि उन की पुलिस और गुप्तचर विभाग अकुशल है । अभी हाल में उत्तर प्रदेश में नहर-सिंचाई की दर में वृद्धि हो जाने के सम्बन्ध में जो आन्दोलन हुआ था उसे विशेष अधिकार अधिनियम के द्वारा दबाया गया । डा० लोहिया को गिरफ्तार किया गया । अन्त में उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को संविधान के विरुद्ध घोषित किया । इस प्रकार इन विधानों का उपयोग जनता को दबाने के लिये किया जाता है यह लोकतंत्रीय उपाय नहीं हैं यह पुलिसराज्य है, गुण्डाराज है ।

आप ने बताया कि इस अधिनियम की कालावधि बढ़ा देने का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा । तो क्या आप जनता में भय उत्पन्न करना चाहते हैं । आप का विचार है कि इस अधिनियम के कारण लोगों के दिलों में दण्ड संहिता की अपेक्षा अधिक भय होगा क्योंकि इस सम्बन्ध में किसी अपील की गुंजाइश

नहीं है। अतः जहां न्यायशास्त्र की गुंजाइश न हो वह शुद्ध आतंक ही है। अतः इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करना व्यर्थ है। गांधी जी स्वयं इस भय के विरुद्ध ब्रिटिश शासन से लड़ते रहे। रौलट विधेयकों को पारित करने का अभिप्राय भारतीय जनता में आतंक उत्पन्न करना था। सभी नेताओं ने इस के विरुद्ध आवाज उठाई थी। मैं आप को पुराने दिनों की याद दिलाना चाहता हूं। इसी रौलट अधिनियम के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारम्भ किया था; जब यह अधिनियम पारित हो गया तो गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को शैतानी प्रवृत्ति का कहा। वही गांधी जी जो १९१७ में ब्रिटिश राज्य के पक्ष में थे, १९१९ में उस के कट्टर विरोधी हो गये। गांधी जी ने भय को सब से बड़ा पाप बताया था। उन्हीं गांधी जी के नाम पर शासन करने वाले उन के नाम का अनुचित लाभ उठाने वाले, उन के नाम पर इस दमनकारी अधिनियम को पारित करना चाहते हैं।

डा० काटजू : हम ने १४ घंटे के वाद-विवाद में अनेक धारा-प्रवाह के भाषण सुने। इस प्रकार के धारा प्रवाह के भाषण निवारक निरोध विधेयक पर सामान्यतया होते ही रहते हैं। मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि निवारक निरोध विधेयक की निन्दा हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं। उत्सुकतावश मैं ने १९५१ से अब तक निवारक निरोध विधेयक पर दिये गये सभी भाषणों की प्रतियां प्राप्त कर ली है, उन सभी भाषणों में लोकतन्त्र की हत्या, लोकतन्त्र का गला घोंटना और लोकतन्त्र का अनियंत्रण, आदि प्रकार के शब्द प्रयोग किये गये हैं। मेरे माननीय मित्र आचार्य कृपालानी ने इस राजनैतिक मामले को जोरों से पकड़ लिया है। उन का मस्तिष्क उन्हीं रंगो, विचारों और तरीकों से भरा हुआ है जिन्हें हम ने, विदेशी शासन से मुक्त होने के लिये प्रयोग किया था। 'काला कानून' और 'जंगली कानून' उसी समय के चुने हुए शब्द हैं। एक दृष्टिकोण से यह परिभाषा ठीक थी। जो कुछ विधि वह बनाते थे वह उन के प्राधिकारी बनाते थे न कि भारतीय संसद् के प्राधिकारी। मैं पंडित मदन मोहन मालवीय के ६ घंटे के भाषण तथा अन्य अनेक अवसरों पर उपस्थित था उस भाषा का प्रयोग इस समय नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय वह जंगली कानून हो सकता था पर इस संसद् द्वारा पारित किये गये किसी अधिनियम को इस नाम से पुकारना चाहे आप उसे कितना ही नापसन्द क्यों न करें पर शरारत भरी बात है। प्रत्येक अधिनियम जो इस संसद् द्वारा पारित किया जाता है, जब तक उस की कालावधि रहती है, तब तक उस का पालन किया जाना आवश्यक है। यदि उसका पालन नहीं किया जाता तो उल्लंघनकर्त्ता को अवश्य दण्ड दिया जाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि किसी विधि को जंगली कानून कहना राजनैतिक मामले को मरोड़ना है और इस देश की जनता को इस के उल्लंघन करने का आमंत्रण देना एक शरारत है। यह लोकतन्त्र के पालन करने की अपेक्षा उस की हत्या करना है।

माननीय सदस्यों की पहले की सेवाओं के आधार पर अब भी उन का सम्मान होता है। मेरे माननीय मित्र आचार्य कृपालानी तथा अन्य लोग इधर उधर आते जाते हैं और कहते हैं कि अमुक विधि अच्छी नहीं है, अमुक विधि का पालन नहीं करना चाहिये, कर मत अदा करो और सत्याग्रह करो। मैं, यह बात केवल इस या किसी विशेष विधि के सम्बन्ध में नहीं कर रहा हूं। और यह निवारक निरोध अधिनियम केवल किसी राजनैतिक सिद्धान्त की शिक्षा देने, या किसी राजनैतिक

[डा० काटजू]

सिद्धान्त को पेश करने अथवा जनता से किसी विशेष ढंग से काम करने को कहने के लिये प्रयोग में नहीं लाया जाता। यह तभी प्रयोग में लाया जाता है जब सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने का डर होता है। लोकतन्त्रात्मक सरकार का क्या कर्तव्य है? चूंकि ब्रिटिश उदाहरण दिये जा रहे हैं अतः मैं श्री चटर्जी से पूछता हूं कि हाउस आफ कामन्स में क्या होता है? इंगलैंड में किसी विधि के विरुद्ध घूम घूम कर प्रचार करने की प्रथा नहीं है, पर जब तक उस विधि का जीवन काल रहता है उस का पालन किया जाता है। क्या लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों में बहुमत का नियम नहीं है? आगामी निर्वाचन में आप बहुमत को अपने पक्ष में कर सकते हैं और तब आप इस या अन्य किसी अधिनियम को, जिसे आप पसन्द न करते हों, हटा सकते हैं। पर जब तक इस विधि का जीवन काल है इस का पालन करना पड़ेगा। इस का पालन करने के साथ साथ जनता को पालन करने की शिक्षा दी जानी चाहिये। किसी विशेष विधि के विरुद्ध सत्याग्रह नहीं करना चाहिये। मेरा अभिप्राय यह है कि हमें इस में स्पष्ट भेद करना चाहिये कि विदेशी शासन में क्या वांछनीय था और अब क्या वांछनीय नहीं है। क्या कोई यह कह सकता है कि इस संसद् के अधीन भारत के विधि न्यायालयों का बहिष्कार किया जाना चाहिये? गांधी जी ने और हम सब ने उन का बहिष्कार किया था। मेरा निवेदन है कि इस अन्तर को ध्यान में नहीं रखा जाता।

मेरे माननीय मित्र श्री मुकर्जी ने एक मामले का निर्देश किया था। मैंने जान बूझ कर उदाहरण नहीं दिये हैं क्योंकि मैं ने उन्हें देना उपयुक्त नहीं समझा और वास्तविक उत्तर मंत्रणा बोर्ड की मंत्रणा में दिया हुआ है। शोलापुर के निकट महाराष्ट्र चीनी मिल्स के हड़ताली नेताओं का उदाहरण लीजिये। इस विधि के अधीन क्या किया जाता है इस का यह बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं उन व्यक्तियों के नाम नहीं बताना चाहता हूं किन्तु उन के विरुद्ध जो अभियोग लगाया गया है वह इस प्रकार है :

> "तुमने सभाओं में भाग लिया है और भाषण दिया है जिसमें तुम ने महाराष्ट्र चीनी मिल्स को पट्टे पर दी हुई जमीनों के मालिकों को उत्तेजित किया है, मालिकों को जमीन वापिस दिये जाने की मांग के स्वीकार करने के लिये चीनी मिलों को बाध्य करने के आन्दोलन में भाग लेने के लिये कम्पनी में काम करने वाले मजदूरों को बाध्य किया है; स्थानीय श्रमिकों को काम दिलाने और उन्हें अधिक बोनस के भुगतान के लिये किसी भी प्रकार से, जिस में विधि का उल्लंघन शांति भंग, हिंसा आदि सम्मिलित हैं, किसी उपाय का प्रश्रय लेने के लिये उन्हें प्रोत्साहित किया है।"

एक माननीय सदस्य : ये अभियोग झूठे हैं।

डा० काटजू : आगे इस प्रकार है :

> "तुम ने जनता को मंत्रणा दी है कि अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिये अपनी मांगे पूरी कराने के लिये हिंसा का आश्रय

लिया जाय और शांति तथा विधि की उपेक्षा की जाये । तुम ने उन से यह भी कहा है कि पट्टे की जमीनें वापस दिलवाने के लिये पदाधिकारियों के हाथ पैर काट कर उन्हें कमजोर बना दिया जाय ।"

(अन्तर्बाधा)

ये अभियोग हैं । वे गलत भी हो सकते हैं ।

आगे यह है :

"लोगों को सरकारी आदेश का कोई भय किये बिना जेल तैयार रहना चाहिये । तुम ने उन्हें यह भी सलाह दी है कि यदि सरकारी कर्मचारी बाधा डालें तो उन्हें पीटा जायें, लूट मार की जाय और आतंक उत्पन्न किया जाये । श्री ओगले के हाथ पैर काट कर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाये । तुम ने जनता को धमकाया है कि यदि वह इस विषय में सहयोग नहीं करेगी तो उसे पीड़ित किया जायेगा ...... ।"

मेरे माननीय मित्र हंस रहे हैं । मैं नहीं समझता कि इस में हंसी की कौन सी बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सरकारी वक्तव्य है । यदि माननीय सदस्यों के पास और दूसरा कोई वक्तव्य हो तो वे प्रस्तुत कर सकते हैं । केवल हंसी और मजाक से कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है : कई घंटों के वाद-विवाद के बाद सरकार अभियोगों का उत्तर देना चाहती है और हमें उस के लिये अनमति देनी ही होगी ।

562 L.S.D.

श्री एन० सी० चटर्जी : हम यह जानना चाहते थे कि माननीय मंत्री जो कुछ पढ़ रहे हैं वह केवल पुलिस चालान है या निरोध के कुछ आधार हैं ।

डा० काटजू : ये निरोध के आधार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कहा गया है वह यह है । सत्य कुछ और हो सकता है । मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि उत्तरदायी व्यक्ति भी प्रत्येक समय हंसी मजाक करते हैं । इस प्रकार से वे साधारण कार्य संचालन में बाधा डाल रहे हैं । कुछ अभियोग लगाये गये हैं और उन का उत्तर दिया जा रहा है । माननीय सदस्य उसे स्वीकार करें अथवा न करें । मैं इन चीजों को खंडवार और संशोधन वार रखने जा रहा हूं ।

डा० काटजू : अभियोग ये हैं :

"तुम अपनी मांगे स्वीकार कराने के लिये कम्पनी को बाध्य करोगे, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सभी संभव उपायों को काम में लाओगे । यदि पदाधिकारी बाधा डालें तो उन्हें रास्ते से हटा दिया जाये । लगभग १०० ग्रामीणों ने सभा में भाग लिया था । तुम ने श्रमिकों को धमकाया था कि वे तालुका शेतकरी संघ के निर्णय का पालन करें अन्यथा तुम उन के घर जला दोगे । तुम कोई भी हानि करने के लिये तैयार रहोगे ।"

वास्तव में जो घटना हुई वह यह है :

"११ नवम्बर को लगभग ५० ग्रामीणों के एक जत्थे ने महाराष्ट्र

[डा० काटजू]

चीनी मिल्स की ट्राली लाइन्स को काफी क्षत्ति पहुंचायी और संघ के नेताओं के उत्तेजन पर चेन्ड-लिवर्स हटा दिये । २३ नवम्बर को १२ से १५ एकड़ भूमि का गन्ना काट लिया । २४ नवम्बर को महाराष्ट्र चीनी मिल्स के खलिहानों में वे घुस गये । हड़ताल में सम्मिलित न होने वाले श्रमिकों के हंसुए जबर्दस्ती छीन लिये गये । उन्हों ने खुली घोषणा की कि जो भी उन के आह्वान के अनुसार कार्य नहीं करेगा, उस पर हमला किया जायेगा, और उसे पीटा जायेगा ।"

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : यह मेरे जिले की बात है, प्रत्येक अभियोग सच्चा है ।

डा० काटजू : मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये अभियोग मंत्रणा बोर्ड के समक्ष रखे गये थे। इस पुस्तक से यह ज्ञात होगा कि अनेक मामलों में मंत्रणा बोर्ड ने यह सोचा कि अमुक व्यक्ति को इसलिये रिहा कर दिया जाय कि या तो उस के विरुद्ध अभियोग सिद्ध नहीं हो सके थे या एक या दो महीने का निरोध परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त था । किन्तु १२३ मामलों में उस ने यह निर्णय दिया कि इस प्रकार के अभियोग सिद्ध हुए हैं । मेरे माननीय मित्र चाहे जो कहें, किन्तु इन मंत्रणा बोर्डों में सभी सदस्य उच्चतम न्यायिक योग्यता के हैं, सभी सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं । वे सभी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आवश्यकता होने पर अभियुक्त से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करते हैं और तब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं । उन की मंत्रणा को इस प्रकार नहीं समझना चाहिये जैसे कि उस का कोई मुल्य ही न हो ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या माननीय गृह मंत्री को ज्ञात है कि बोर्ड निरुद्ध व्यक्ति की अनुपस्थिति में पुलिस पदाधिकारियों अथवा अनुसंधान पदाधिकारियों की गवाही लेता है ? अतः अभियुक्त को यह जानने का कोई मौका नहीं मिलता है कि मंत्रणा बोर्ड को क्या बताया गया है ।

डा० काटजू : अधिनियम यह कहता है कि मंत्रणा बोर्ड को उस के समक्ष रखी गयी सभी सामग्री पर विचार करना होता है। वह आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है और यदि वह चाहे या निरुद्ध व्यक्ति चाहे, तो निरुद्ध व्यक्ति की भी सुनवाई की जाती है । मेरी जानकारी में ऐसी कोई विधि नहीं है जो यह कहती हो कि मंत्रणा बोर्ड के सदस्य बिल्कुल चुपचाप रहें और अभियुक्त की अनुपस्थिति में पुलिस पदाधिकारी से कोई प्रश्न पूछें । हमें यह मानना होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्णय सब से अधिक विचारणीय होता है । मैं १२६ अभियोग पत्रों का विवरण सभा के समक्ष नहीं रखना चाहता हूं जिन में मंत्रणा बोर्ड ने की गयी कार्यवाही को न्यायसंगत समझा था । मेरे मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी ने नाम ले कर उस का उल्लेख किया था और उसे जुल्म का एक नमूना बताया था और इसलिये मैं ने एक अभियोग को पढ़ कर सुनाया है ।

आप पुनः यह स्मरण रखें कि मन व्यक्त करना इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने का आधार नहीं है, कर न देना भी निरोध का आधार नहीं है । निरोध का

आधार विधि और शांति पर पड़ने वाला उस का प्रभाव है। यही संविधि के शब्द हैं। मेरे मित्र कहते हैं कि कलकत्ते से ६३ हजार व्यक्तियों ने इस बड़ी याचिका पर हस्ताक्षर किये हैं जो यह चाहते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम रद्द कर दिया जाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : एक लाख।

डा० काटजू : हस्ताक्षर प्राप्त कर लेना बहुत सरल है। न जाने उन्हें क्या बताया गया और किस प्रकार बताया गया। मुझे याद है कि दो वर्ष पूर्व कलकत्ते में ट्राम हड़ताल हुई थी जिस में लोगों पर गोली चलायी गयी थी। पिछले वर्ष अध्यापकों की हड़ताल हुई थी। कुछ राजनैतिक दलों ने हड़ताल का भार अपने हाथ में लिया और विधान सभा के चारों ओर घेरा डाल दिया। इस प्रकार घिराव की एक नयी शैली का विकास किया गया। कलकत्ता विश्व विद्यालय सीनेट के सदस्यों को हाल में रात भर बारह घंटे रहना पड़ा। मेरे माननीय मित्र श्री आचार्य कृपालानी तथा अन्य सदस्य वास्तविक सत्य का निर्देश किये बिना ही बड़े बड़े भाषण देते हैं। १९५१ में विधेयक को पुरःस्थापित करते समय श्री राजा जी ने कहा था कि इस प्रश्न पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है। एक तो सिद्धान्त की दृष्टि से जैसे लोकतन्त्र, स्वाधीनता, और उस को कार्यान्वित करने का तरीका और दूसरे वास्तविक सत्य की दृष्टि से। हमें केवल वास्तविक सत्य से संबंध है।

दुर्भाग्य से १९५२ से यह मेरे अधिकार में है। उस समय बन्दियों की संख्या बहुत अधिक थी। उस समय यह आलोचना की गयी थी कि इस का दुरुपयोग किया जा रहा है और एक हजार, दो हजार जैसी बड़ी संख्या में लोगों को जेल के अन्दर बन्द किया जा रहा है। बाद में जब हमने प्रत्येक धारा पर विचार किया, उसे नरम बनाया और एक निश्चित अवधि के लिये निर्धारित किया और जब संख्या कम होने लगी तब यह कहा गया कि अब विधि और व्यवस्था स्थापित हो गयी है, अतः इस का उपयोग ही क्या है और अब इसे समाप्त कर दिया जा सकता है। प्रत्येक समय स्वाधीनता के नाम पर इस की कड़ी आलोचना की गयी है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि परिस्थिति की वास्तविकता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

आप कृपया इस बात का स्मरण रखें कि कोई गंभीर स्थिति किसी भी दिन प्रज्वलित हो सकती है। पिछले सात या आठ महीनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हैदराबाद में साम्प्रदायिक उपद्रव हुए थे। आपको पाकिस्तानी हरे झंडे के बारे में याद होगा उत्तरप्रदेश में अलीगढ़, पीलीभीत, हलद्वानी में साम्प्रदायिक उपद्रव हुए थे, फिर छात्रों का आन्दोलन हुआ। फिर भी मेरे माननीय मित्र अपने मूल सिद्धान्त से एक इंच भी नहीं हटते हैं। वह कहते हैं कि संवैधानिक उपायों का उपयोग कीजिये और यदि स्थिति और खराब हो तब हम सामने आयेंगे। यदि परिस्थिति और खराब हो जाये तो सारा चित्र हिंसात्मक हो जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि किसी निश्चित अवसर या तिथि पर आप हिंसा का उपदेश देते हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि आप जनता को संसद् द्वारा पारित विधियों के पालन की ओर आकृष्ट नहीं करना चाहते हैं। आपका संकेत सदा इस ओर होता है कि कानून तोड़ा जाय, ये विधियां आदर और पालन के योग्य नहीं हैं। यह संसद् एक प्रकार की बुर्जुआ संसद् है। जब आप सत्तारूढ़ होंगे, पता नहीं क्या होगा और किस प्रकार की बातें होंगी। श्री चटर्जी और श्री आचार्य कृपालानी की बातें तो मेरी समझ में आती हैं क्योंकि वे कम्युनिस्ट दल पर निषेध लगाने की ओर संकेत करते हैं। किन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि कम्युनिस्ट दल

[डा० काटजू]

क्या सिखाता है और किस प्रकार का नमूना हमारे सामने रखता है वह रूसी नमूना है या और किसी प्रकार का नमूना है। मुझे उनकी पुस्तकों से, संकल्पों से घोषणा पत्रों से जो कुछ ज्ञात होता है वह यह है कि सरकार को उलट दो, देश की विधियों का उल्लंघन करो, जनता को विद्रोह करने, कानून तोड़ने, पहले सत्याग्रह और बाद में हड़ताल से आगे बढ़ना सिखाओ। जो लोग हड़ताल में शामिल न हों, उन पर हिंसा का प्रयोग करो। ये सब ऐसी बातें हैं जो अवश्य बन्द की जानी चाहिये।

एक और बात है और वह यह है। मैं ने उल्लेख किया है कि सभी राज्य सरकारों ने यह मत व्यक्त किया है कि यह अधिनियम कुछ और अधिक समय के लिये जारी रखा जाना चाहिये। कृपया आप स्मरण रखें कि तीन सूचियां हैं: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया था संघ सूची के पद ९ में दिया हुआ है भारत की प्रतिरक्षा विदेशी कार्य या सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि वह इन तीन बातों के लिये निवारक निरोध संबंधी उपबन्ध बनाये जाने के लिये तैयार हैं। इन के सम्बन्ध में विधान बनाने का अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त है। समवर्ती सूची के अन्तर्गत केवल राज्य की सुरक्षा से, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने से संसक्त कारणों के लिये ही निवारक निरोध का विधान बनाया जा सकता है। प्रत्येक राज्य सरकार कह सकती है, "संसद् या तो स्वयं ऐसा विधान बनाये या हम स्वयं अपना विधान बना लेंगे।" सभा को याद होगा कि १९५० में जब सरदार पटेल ने यह विधेयक पहली बार रखा था तो उन्हों ने कहा था कि ऐसे सारे विधान संविधान के लागू होने के बाद व्यपगत हो गये हैं। इस लिये दो ही तरीके हैं या तो प्रत्येक राज्य अपने अपने लिये इस प्रकार का विधान बनाये या केन्द्र सब के लिये एक विधान बना दे। उस के बाद संसद् ने इस बात की मंजूरी दी कि निवारक निरोध के लिये कोई एक समान ही विधान होना चाहिये जो सब जगह लागू हो।

इस विधान से क्या हानि होती है? मेरे माननीय मित्र आचार्य कृपालानी ने कहा है इस से भय उत्पन्न होता है। परन्तु भय किस से?

आचार्य कृपालानी: मैंने यह नहीं कहा। आप ने स्वयं ही कहा था कि इस का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है।

डा० काटजू: भय तो हमें खराब बातों का होना चाहिये। परन्तु विधि का पालन करना तो एक वांछनीय बात है। यह अधिनियम तो केवल उन व्यक्तियों के लिये है जो उपद्रव करना चाहते हैं। जब कभी विद्यार्थी या मजदूर कोई हड़ताल करते हैं यह लोग वहां पहुंच जाते हैं और उपद्रव कराने का प्रयत्न करते हैं। इस को हम रोकना चाहते हैं। यदि आप लोकतन्त्र स्थापित करना चाहते हैं तो आप को यह काम करना ही पड़ेगा। किसी ने कहा था कि तीन वर्ष की अवधि बहुत अधिक थी। मैं मानता हूं कि साधारणत: यह अवधि दो वर्ष की होनी चाहिये थी। परन्तु मैं ने सोचा कि दो वर्ष बीतने के बाद सामान्य निर्वाचन का वर्ष आ जायेगा। पता नहीं यह संसद् कब भंग कर दी जाय। इसलिये मैं ने सोचा कि अच्छा यह होगा कि इस अधिनियम की अवधि तीन वर्ष के लिये बढ़ा दी जाये ताकि नई संसद् इस विषय पर

विचार करे और स्वयं जैसा उचित समझे निर्णय करे ।

दो वर्ष पूर्व मैं ने जो बात कही थी उस पर मैं अब भी अटल हूं कि बारह मास के बाद एक संकल्प प्रस्तुत कर के मैं सभा को इस अधिनियम के सम्बन्ध में या इस के पिछले बारह मास के कार्यकरण के सम्बन्ध में, विचार करने का अवसर देता रहूंगा । सन् १९५३ में मैं ने एक संकल्प रखा था और सभा से उस पर विचार करने के लिये कहा था । यदि यह अधिनियम पारित कर दिया जाये तो १९५५ और १९५६ में वार्षिक वादविवाद किया जा सकेगा और १९५७ में नया संसद् इस पर विचार कर सकेगा । इसी प्रकार मैं जानकारी सरकार के सामने उपस्थित कर दूंगा जिस से सरकार अपना मत निर्धारित कर सके । संसद् के सभी सदस्यों से परामर्श लिया जायेगा उन की इच्छाओं को ज्ञात किया जायेगा और तब संसद् उसी के अनुसार निर्णय करेगा ।

जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया था । राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया है जिस में बताया गया है कि हमारे संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू होंगे । उच्चतम न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को बढ़ा कर जम्मू तथा काश्मीर तक कर दिया गया है परन्तु उस में निवारक निरोध वाला उपबन्ध सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने कहा था कि उस का अपना इस सम्बन्ध में एक अलग विधान था और उन के प्रयोजन के लिये वह पर्याप्त था ।

इस के पश्चात् विधेयक को परिचालित करने और प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी संशोधन संख्या २, ५, ६ और ८ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निवारक निरोध अधिनियम १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में १३५ तथा विपक्ष में ३८ मत आये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—धारा १ इत्यादि का संशोधन

श्री राघवाचारी, श्री पी० सुब्बाराव, श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) तथा डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम) ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० सुब्बाराव का संशोधन विधेयक के क्षेत्र के बाहर है । पहले मैं खण्ड २ के संशोधनों को लूंगा । उस के पश्चात् एक नया खण्ड २क पुरःस्थापित करने वाले संशोधन को लूंगा । श्री पी० सुब्बाराव तथा डा० कृष्णास्वामी के संशोधन मूल अधिनियम की धाराओं के सम्बन्ध में हैं जब कि यह विधेयक केवल उसे जारी रखने के सम्बन्ध में हैं । इन संशोधनों की प्रासंगिकता के सम्बन्ध में मैं बाद में विचार करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री राघवाचारी तथा श्री तुषार चटर्जी के संशोधन प्रस्तुत किये गये ।

श्री राघवाचारी : अभी तक जो निवारक निरोध अधिनियम लागू था उस के प्रभाव क्षेत्र में जम्मू तथा काश्मीर राज्य भी सम्मिलित था । परन्तु इस विधेयक में, जो उस अधिनियम को कुछ वर्षों तक और जारी रखने के लिये

[श्री राघवाचारी]

रखा गया है, यह उपबन्ध किया जा रहा है कि यह अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू न हो। कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने कोई आदेश जारी किया है जिस के अनुसार हमारे संविधान का तत्सम्बन्धी अनुच्छेद उक्त राज्य पर लागू नहीं होगा इसी लिये ऐसा किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि राष्ट्रपति के आदेश से किसी अधिनियम का प्रभावक्षेत्र, जो किसी राज्य विशेष पर अभी तक लागू था, इस प्रकार सीमित कैसे किया जा सकता है। इसलिये एक संशोधन मैं ने पुरानी स्थिति को बना रहने देने के लिये रखा है।

इस अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू करने के लिये मेरी युक्ति यह है कि हमारी सभा का उद्देश्य यह है कि काश्मीर में हमारी पताका ही लहराये तथा इस सभा का ही सम्पूर्ण प्रभुत्व हो और इसी के लिये हम ने संघर्ष किया है परन्तु इस प्रकार हमारा मुख्य उद्देश्य निष्फल हो जायेगा।

मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने बताया है कि इस सम्बन्ध में जो अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू है वह और भी खराब है। उस के अनुसार विरोध काल की सीमा पांच वर्ष है जब कि हमारे अधिनियम के अनुसार केवल एक वर्ष है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मंत्रणा बोर्ड के सभापति के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश ही हो जैसा कि हमारे यहां है। और भी कई बातों में वहां का अधिनियम ऐसा है जो जनता की स्वतन्त्रता का और भी विरोधी है।

काश्मीर के प्रतिनिधि संभवतः कहेंगे कि आप जो कुछ कह रहे हैं उस से हमारे शत्रु, पाकिस्तान को लाभ होगा। यदि आप स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो निश्चय ही आप के शत्रु उस का लाभ उठावेंगे। नहीं तो आप भी हमारी ही तरह इस अधिनियम से काम चला सकते हैं।

मेरा दूसरा संशोधन इस अधिनियम को केवल एक वर्ष तक और जारी रखने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में माननीय गृह-कार्य मंत्री ने जो बात कही है वह मेरी समझ से नहीं आई है। यदि १९५७ में चुनाव होने वाला है तो इस का यह अर्थ नहीं है कि संसद् १९५६ में इस विधान पर विचार नहीं कर सकती है। इस का तो आशय केवल यही जान पड़ता है कि चुनाव में अपनी सफलता निश्चित करने के लिये आप सारी शक्तियों तथा प्राधिकारों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं।

[श्रीमती खोंगमेन पीठासीन हुईं]

यह ऐसा विधान है जो केवल असाधारण परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिये है और आप इसे तीन वर्ष तक जारी रखना चाहते हैं। आप इस के लिये तैयार हैं कि हर वर्ष एक संकल्प रखा जाये जिस से सभा इस का निश्चय कर सके कि इस का उचित प्रयोग किया जा रहा है और फिर आप कहते हैं कि आप सभा का समय बचाना चाहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जैसी परिस्थिति आज है वैसी ही तीन वर्ष तक बराबर बनी रहे। इसलिये इस की अवधि को तीन वर्ष के लिये बढ़ाने का कोई भी औचित्य हमारे सामने नहीं रखा गया है।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर) : मैं तो इस सारे बिल के विरुद्ध हूं इसलिये धाराओं पर न बोल कर मैं इस सारे बिल पर ही बोलती हूं।

निरोधात्मक नजरबन्दी कानून, जो आज एक वर्ष बाद फिर हमारे सामने है, भारत के एकतन्त्री देश होने के नाते हिन्दवासियों के लिये भाषण, लेखन तथा विचार सम्बन्धी स्वतन्त्रता, सर्वतोमुख और महत्वपूर्ण वस्तु होने के कारण, यह विधान अवांछनीय व असंगत है ।

कहां तो स्वतन्त्र कहलाने वाले भारत निवासियों की विदेशी शासन काल के समय के ऐसे कानूनों द्वारा बांधी गई बेड़ियां कटनी चाहियें थीं, और कहां १९५१ से इस विधान द्वारा उन की यह बेड़ियां और भी अधिक दृढ़ कर दी गई हैं, और असमर्थ जनता का अधिकारियों द्वारा इस विधान का दुरुपयोग किये जाने पर, न्यायालय तक न पहुंच सकने के कारण, दुःखी हो कर पुकारने का अधिकार भी अब छीन लिया गया है ।

विदेशी शासन से पीड़ित, स्वतन्त्रता की बाट जोहने वाली, अब देश के स्वतन्त्र होने पर उस स्वतन्त्रता का निःशंक हो कर उपभोग करने की आशा करने वाली, जनता पर यह एक ऐसा अंकुश लगा दिया गया है कि सर्वसाधारण की आशायें ही निराशा में परिणत हो गई हैं, और प्रगतिशील जनतंत्री तत्वों द्वारा इस का घोर विरोध निष्फल करके इस विधान की अवधि अब और भी बढ़ायी जा रही है, जो किसी भी जनतंत्री देश के लिये दुर्भाग्य की बात है ।

क्या आज भारत में हिंसात्मक तत्वों का इतना जोर हो गया है कि उन को काबू में लाने के लिये इस विधान के अतिरिक्त और कोई विधान रहा ही नहीं ?

इस विधान की अनावश्यकता का प्रमाण १९५१ में भारत की विभिन्न जेलों में ३३८ कैदियों का होना और आज उस की चौथाई संख्या का भी न होना है ।

इस विधान की अनावश्यकता व उचित रीति से पालन न किये जाने का यह भी एक प्रमाण है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकतर नजरबन्दों को छोड़ने का आदेश दिया गया है । चुनाव के समय के मेरे अनुभवों से मैं कह सकती हूं कि इस का सत्ताधारी राजनीतिज्ञों द्वारा कितना दुरुपयोग होता है । डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी का नजरबन्दी अवस्था में देहान्त होने से तो यह विधान जनता के खिन्न होने का एक प्रधान कारण बन गया है ।

आज हमारी शान्ति प्रियता की ध्वनि सुदूर विदेशों में गूंज रही है । आरम्भ से ही कटु-आलोचित इस विधान को समाप्त कर के हमें इस बात को अपने देश में भी प्रमाणित करना है, अथवा इस को ऐसा रूप तो दे ही देना है जिस से न तो अधिकारी वर्ग ही इस का दुरुपयोग कर सकें, और न जनता ही इसे अपनी स्वतन्त्रता पर आघात समझे ।

आज यदि हमें अपने देश में किसी विधान की अत्यधिक आवश्यकता है तो वह दिनों-दिन बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने की है । हमारे देश के उच्चतर जनसमूह की मनोवृत्ति इस ओर मुड़ गयी है, जो एक महान दुःख का विषय है । आज हमें ऐसों के लिये अंकुश ढूंढ़ना है न कि निर्बल जनता को कुचलने के लिये, जो पहिले ही अधमरी हो कर, अपनी करुण पुकार सुनाने की चेष्टा कर रही है ।

हमारे गृह मंत्री जी के यह तर्क, अर्थात् देश की सामान्य स्थिति का न होना संविधान में इस की व्यवस्था तथा समस्त राज्यों का इस विधान के पक्ष में समर्थन इतने अकाट्य व वज़नी नहीं हैं कि इस विधान को जारी रखना आवश्यक समझा जा सके ।

देश की सामान्य स्थिति न होने के कारण देश में बेकारी, मंहगाई, व गरीबी का बढना

[श्रीमती कमलेंदुमति शाह]

और देश की आर्थिक व्यवस्था का बिगड़ना है, परन्तु इन समस्याओं का हल इस विधान से तो कदापि न हो सकेगा ।

जहां संविधान में इस की व्यवस्था का प्रश्न है, सो उस में तो कितनी ही, गोवध निषेध जैसी, अन्य व्यवस्थायें भी हैं, जिन्हें सरकार स्वयं तो अनसुनी कर रही है, राज्य सरकारों द्वारा, कुछ करने का प्रयत्न करने पर, उन्हें भी गश्तीपत्र भेज कर निरुत्साहित कर रही है ।

जहां तक समस्त राज्यों के समर्थन का प्रश्न है, उस का कारण तो स्पष्ट ही है कि जब विरोधियों के मुंह आसानी से बन्द हो सकेंगे तो अन्य राज्य भला इस का समर्थन क्यों न करेंगे । सो ये तर्क तो बड़े ही निर्बल हैं । और समर्थकों की मनोवृत्ति का ही परिचय देते हैं ।

हमारे राष्ट्रपति का यह कथन कितना सत्य है कि आंख मीच कर, विदेशों की नकल करते हुए, यह न विचारते हुए कि अन्य देशों की शासन प्रणाली हमारी परम्परा से मेल खायेगी भी या नहीं, हमें उस की आवश्यकता है भी या नहीं, हम ढ़े ों कानून बनाते चले जा रहे हैं ।

हमारे प्रधान मंत्री ने भी अपने कल ही के भाषण में कहा है कि हमें तो अपनी समस्यायें अपनी परिस्थितियों को देख कर, दूसरों की सहायता के बोझ से न दब कर, तथा दूसरों की नकल न करके, अपने ही ढ़ंग से सुलझानी है ।

हम तथ्य को मान्यतान दे कर, केवल कानून के विषय में अनावश्यक विचार किया करते हैं । कितना अच्छा होता यदि पहले अपराध का कारण खोज कर उस के निवारण का मार्ग ढूंढ़ लिया जाता । केवल विधान की पुस्तकों के पन्ने पलटने से ही न अपराधों में न्यूनता आयेगी न इस प्रश्न की समस्या ही हल होगी ।

यह न्यायी कहलाने वालों का अन्याय है कि वे समर्थवान हो कर अपनी रक्षा के लिये सत्य के बल का सहारा न ले कर ऐसे विधानों को बनाते हैं ।

इन्हीं सब तर्कों से यही स्पष्ट होता है कि अभी हमारे देश में इस प्रकार के विधान की कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला–भटिंडा) : मुझे यह जान कर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि सरकार निवारक निरोध-अधिनियम की समय सीमा में वृद्धि करना चाहती है । अब सरकार के विचार बहुत बदल चुके हैं । सन् १९५० में जब तत्कालीन गृह मंत्री ने इसे पारित कराया था तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सरकार के अभी कार्यपटु न होने के कारण इस अधिनियम को लागू करना आवश्यक था किन्तु अब तो माननीय गृह मंत्री यह कहते हैं कि यह बड़ा परोपकारी अधिनियम है और देश के हित के लिये इसे बराबर लागू रहना ही चाहिये ।

इस अवांछनीय अधिनियम के प्रति खेद प्रकट करना तो दूर रहा, इस की पैरवी की जा रही है । पहले तो भूतपूर्व गृह मंत्रियों ने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि देश की स्थिति संकटपूर्ण होने के कारण इसे लागू किया जा रहा था किन्तु क्या अब भी वही स्थिति बनी हुई है और क्या अब भी भारतीय जनता वैसी ही है? डाक्टर काटजू ने इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं रखा है कि यदि देश की स्थिति संतोषजनक हो जाये तो इस अधिनियम को रद्द कर दिया जाये । इस से तो यह अर्थ निकलता है कि सरकार

इस उपबन्ध को स्थायी रूप में नहीं रखना चाहती है। तीन वर्ष के बाद समय-सीमा में वृद्धि किये जाने की क्रिया फिर इसी प्रकार थोड़ी सी बहस करने के बाद दोहराई जा सकती है। इस से तो सरकार स्पष्ट क्यों नहीं बता देती कि अन्य अधिनियमों की भांति इसे भी सदा के लिये लागू कर दिया जाय। सरकार का सारा दृष्टिकोण ही बदल गया है, यह बड़े ही दुःख की बात है मुझे श्री राजा जी के शब्द याद हैं जब कि उन्हों ने इसी सभा में समय सीमा में वृद्धि किये जाने का निवेदन किया था। उन्हों ने कहा था कि संभवतः की स्थिति सुधर जायेगी और इस अधिनियम को लागू रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

मैं निवेदन करता हूं कि व्यक्ति के अधिकारों को इस प्रकार न छीना जाये। इस पर भी यदि सरकार इसे लागू करने पर ही तुली हुई है तो मैं श्री राघवाचारी के संशोधन का समर्थन करता हुआ यही कहूंगा कि तीन वर्ष के बजाय इसे दो वर्ष तक ही सीमित रखा जाये ।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा--उत्तर पूर्व व जिला बदायूं--पूर्व) : मैं श्री अशोक मेहता और श्री राघवाचारी के संशोधनों का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि संशोधन प्रस्तुत करते समय उन्हों ने इस विधेयक पर भली भांति विचार नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता जिन्हों ने निवारण में निरुद्ध व्यक्तियों के विषय में इतनी विस्तृत सूचना दी है। उस से हमें ज्ञात हुआ है कि २६४ नजरबन्दों में से हिंसात्मक कार्यवाहियों के अपराध में १०४, गुंडेबाजी के लिये ४० और डाकुओं को आश्रय देने के अपराध में ४३ व्यक्ति पकड़े गये थे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन].

मैं यहां पर यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि ये व्यक्ति किन किन राजनैतिक दलों के सदस्य थे क्योंकि यह अधिनियम किसी दल विशेष के लिये नहीं बनाया गया है। इस बात को माननीय गृह मंत्री ने अनेक बार स्पष्ट कर दिया है ।

नजरबन्दों के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में गुंडेबाजी फैली हुई है और देश की स्थिति अभी तक संकटपूर्ण है। विधि और व्यवस्था स्थापित करने में अभी पूर्ण सफलता नहीं मिली है। इस के लिये मैं सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराता हूं। इस के उत्तरदायी वे राजनैतिक दल हैं जो लोगों को भड़काते रहते हैं। देश की विधि और व्यवस्था के सम्बन्ध में दी गयी सम्मतियों में मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री के० एम० मुंशी की सम्मति की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं

श्री राघवाचारी : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु, मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमें ऐसे उच्चपदीय व्यक्तियों की सम्मति का उल्लेख करने से रोक दिया जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की सभा में आलोचना करना ठीक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, माननीय सदस्य किसी अन्य सज्जन की सम्मति का उल्लेख कर सकते हैं ।

श्री रघुवीर सहाय : मेरा आशय केवल यह बताना था कि देश में प्रतिक्रियात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं जिन से विधि और व्यवस्था संकट में पड़ जाती है। साम्प्रदायिक झगड़ों और विद्यार्थियों के आन्दोलनों पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमें इस के साथ ही यह भी देखने की जरूरत है कि अभी तक इस

[श्री रघुवीर सहाय]

अधिनियम का कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया गया है । प्रस्तुत विवरण से पता चलता है कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ । २४५ नजर बन्दों को छोड़ दिया गया था । इसी प्रकार १७४ लोगों को परामर्शदात्री बोर्डों के सामने उपस्थित किया गया । अतएव हमें पूर्णरूपेण यह विश्वास है कि भविष्य में भी इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया जायगा । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत किये गये संशोधनों का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक समय न लें । अब श्री यू० एम० त्रिवेदी अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : श्रीमान्, पांच मिनट से मेरा काम नहीं चल सकता है । मैं एक अखिल भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप का ध्यान रखूंगा । मैं ने समझा था कि आप श्री चटर्जी के दल के हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : नहीं श्रीमान्, हमारे दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न हैं ।

मैं श्री राघवाचारी के संशोधन के समर्थन में कुछ शब्द कहुंगा । इस अधिनियम को सारे भारत पर लागू किया जा रहा है किन्तु जम्मू और काश्मीर को उस में सम्मिलित नहीं किया गया है यह बड़े आश्चर्य की बात है । यह अधिनियम भारत की सुरक्षा के लिये बनाया गया है और क्या सरकार यह चाहती है कि काश्मीर में चाहे कुछ भी होता रहे और हम आंखें मीच कर बैठे रहें ।

दूसरी बात यह है कि जब हमारे यहां विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये इतने सारे अधिनियम हैं तब इस निवारक निरोध अधिनियम को हमारे ऊपर क्यों लादा जा रहा है ? माननीय गृह मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद २२ के अनुसार इस अधिनिम को वैध बताया है किन्तु उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि परिस्थिति विशेष में ही यह उपबन्ध प्रयोग में आता है । यह शासन का एक अधिकार नहीं है बल्कि एक विशेष स्थिति के लिये एक विशेष उपबन्ध है । हम ने जिस समय संविधान बनाया था, उस समय यह आशा की थी कि १९५१ तक यह अधिनियम रद्द कर दिया जायगा । हमें क्या पता था कि इसे सन् सत्तावन तक खींचा जायगा । यह एक दूसरी बात है कि आप का बहुमत है । आप जो चाहते हैं वह सभा से पारित करा लेते हैं । हमारे तर्कों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । किन्तु आप को अपने पिछले समय के दृष्टिकोण को भुला नहीं देना चाहिये । १९५० में इसी अधिनियम को माननीय गृह मंत्री ने 'काला अधिनियम' कह कर पुकारा था । इस पर भी यदि सरकार हमारी आलोचना पर कोई ध्यान नहीं देती है और इसे लागू ही करना चाहती है तो फिर जम्मू और काश्मीर को क्यों नहीं शामिल किया जाता है ? जम्मू और काश्मीर के प्रश्न पर एक बार मैं फिर निवेदन करता हूं कि वह भारत के ही नक्शे में है । वह हम से अलग नहीं है । उसे क्यों नहीं सम्मिलित किया गया इस का सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिये था । किन्तु माननीय मंत्री ने इस के लिये एक शब्द भी नहीं कहा है । मुझे आशा है कि सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी । इसलिये मैं श्री राघवाचारी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

१९५७ के सम्बन्ध में चाहे माननीय गृह मंत्री कुछ भी कहें परन्तु उन के तर्क बेकार से ही हैं क्योंकि निवारक निरोध अधिनियम सदा

राजनैतिक दलों के विरुद्ध ही प्रयोग में लाया जाता रहा है। मैं ने कई उच्च न्यायालयों में आवेदनपत्र भेजे हैं तथा सदैव यह अनुभव किया है कि निरोध के जो कारण बताये जाते हैं उन के लिये तो अभियोग ही चलाया जा सकता है। फिर इस अधिनियम की क्या आवश्यकता है। इसलिये बहुत से मामलों में सरकार का कार्य बड़ा ही अजीब सा लगता है।

उन्हों ने कहा कि इस के द्वारा अपराधियों तथा डकैतों को आश्रय देने वाले पकड़े जायेंगे परन्तु जो अपराधियों को आश्रय देते हैं क्या वे व्यक्ति अपराधी नहीं होते हैं? ऐसे व्यक्तियों पर अभियोग क्यों नहीं चलाया जाता है। कभी कभी कोई नेता पुलिस के पास जा कर ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने के लिये कहते हैं जिस से कि उन की शत्रुता होती है। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को उन की इच्छानुसार कार्य कर के निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ना पड़ता है। आप ऐसे मामलों की जांच करायें तब आप जान सकते हैं कि लगभग सभी मामलों में झूठे अभियोग लगाये गये हैं।

एक नजरबन्द के विरुद्ध यह अभियोग लगाया गया था कि उस ने अमुक स्थान पर भाषण दिया जब कि उस दिन तथा उसी समय वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ उस स्थान से ५०० मील दूर खाना खा रहा था। एक दूसरा अभियोग यह था कि अमुक स्थान पर अमुक समय उस ने एक भाषण दिया जबकि वह व्यक्ति उस समय उस स्थान से लगभग १,१०० मील दूर इंदौर में था उस ने कहा कि यदि आप मुझे बन्द करना ही चाहते हैं तो मुझे राक्षस घोषित कर के कहिये कि लोग मेरे चेहरे ही से डरते हैं। इस प्रकार के सभी आरोप निराधार होते हैं तथा इसलिये ऐसे विधेयक की एक वर्ष के लिये भी कोई आवश्यकता नहीं है। अन्त में मैं इस संशोधन का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

डा० काटजू: दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक समय के सम्बन्ध में है। इस के लिये मैं कई बार कह चुका हूं कि तीन वर्ष का समय इसलिये रखा गया है जिस से कि प्रत्येक वर्ष बेकार की उत्तेजनता न फैले। १९५२ में सभा के लगभग ३०-४० घंटे लगे थे। परन्तु उस समय सम्पूर्ण विधेयक पर चर्चा हुई थी तत्पश्चात् इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया था। इस समय हम ने १५ घंटे लगाये हैं। मैं इस समय को बचाना चाहता हूं। मैं ने पहले भी आश्वासन दिया तथा अब भी देता हूं कि प्रत्येक वर्ष इस के सम्बन्ध में एक संकल्प रखा जाया करेगा। प्रत्येक मामले का विवरण पिछले दो वर्षों के समान संसद् को एक पुस्तिका के रूप में दिया जाया करेगा। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि संकल्प पर हुए मतदान के आधार पर हम सभा की सम्मति की उपेक्षा कर देंगे मेरे विचार से ऐसा कहना ठीक नहीं है यदि सभा का विचार यह होगा कि इस अधिनियम की अब कोई आवश्यकता नहीं है तब सरकार को इसे वापस लेना ही पड़ेगा। मेरा विचार है कि जो उपाय हम ने पिछले वर्ष अपनाया था तथा इस वर्ष भी अपनाना है वह बड़ा ही अच्छा है जिस से कि समय की बचत हो सकती है। इस लिये इस को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

जहां तक विधेयक के खंडों तथा विषय का प्रश्न है इस पर ब्यौरेवार पर्याप्त विचार हो चुका है। परन्तु यदि सरकार इस सम्बन्ध में कोई संशोधन प्रस्तुत करेगी तो उसे इस सभा का परामर्श अवश्य लेना होगा। केवल एक बर्ष के लिये इसको पारित करने से अगले वर्ष चर्चा में फिर १५ घंटे लग जायेंगे। इसलिये दूसरा तरीका यह है कि

डा० काटजू]

इस को तीन वर्ष के लिये पारित किया जाये तथा उद्देश्य पूर्ति के विषय में एक संकल्प प्रस्तुत किया जाये । तीसरा वर्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्तिम वर्ष में कोई झगड़े वाला विधेयक प्रस्तुत करना मैं ठीक नहीं समझता हूं तथा यह संसद् के लिये भी ठीक नहीं है । सभी माननीय सदस्य निर्वाचन आन्दोलनों में भाग ले रहे होंगे । इसलिये इस विधेयक पर शांतिपूर्ण वातावरण में ही विचार होना चाहिये तथा ऐसे वातावरण में नहीं जिस का उल्टा प्रभाव पड़े । इस पर भी मेरे मित्र ने बताया है कि मैं इस प्रश्न को ले कर चुनाव लड़ूं तथा देखूं कि मैं किस प्रकार हारता हूं । इन्हीं विचारों के वशीभूत हो कर मैं इस संशोधन को स्वीकार करने का स्थिति में नहीं हूं ।

जम्मू तथा काश्मीर के सम्बन्ध में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन माननीय सदस्यों ने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है उन्होंने १४ मई, १९५४ के राष्ट्रपति के आदेश को नहीं पढ़ा है । उस आदेश के अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार से समझौता हुआ था । यह आदेश धारा ३७० के अधीन दिया गया था जिसके द्वारा संघ सूची को जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू किया गया है उस में दिया हुआ है कि भारत में लागू निवारक निरोध अधिनियम जिस को राज्य विधान सभा ने एक या दो वर्ष पूर्व पारित किया था, पर्याप्त है यह सच है कि इस पर यह तर्क किया जा सकता है कि यह तो हमारे संविधान से भी आगे बढ़ गया तथा एक खण्ड के अनुसार इस पर पांच वर्ष तक कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है संघ सूची के अनुच्छेद ९ को जिस के अनुसार संसद् को इन तीन विषयों के सम्बन्ध में निवारक निरोध विधान बनाने की अनुमति है, विशेष रूप से इस आदेश के द्वारा अपवर्जित कर दिया गया है जब तक वह आदेश जारी है सरकार को उसे मानना ही पड़ेगा अथवा मेरे विचार से भारत हो उसे मानना ही पड़ेगा । इसलिये मेरा यह कहना बेकार सा ही है कि यह अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू होना चाहिये इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में समर्थ हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किये जो अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस के पश्चात् श्री सुब्बाराव का संशोधन है । विनिर्णयों तथा पूर्ववादिताओं के अनुसार यदि कोई विशेष तथ्य हो तो उस की ओर मेरा ध्यान दिलाया जाये ।

श्री पी० सुब्बा राव : मेरे संशोधन का प्रभाव यह होगा कि यह अधिनियम भी अन्य विधियों के समान स्थायी बना दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन का संशोधन है कि पृष्ठ १ में पंक्तियों ११ तथा १२ के स्थान पर "(b) Sub-section (3) shall be omitted".

["(ख) उप-धारा (३) को हटा दिया जायेगा"]

हमें तथ्यों पर जाना चाहिये । माननीय सदस्य उप-धारा (३) को हटाना चाहते हैं जिस का अर्थ यह है कि वह इस विधेयक के विरोधी हैं ।

श्री पी० सुब्बा राव : जी नहीं । मेरा पहला संशोधन किसी अवधि तक सीमित किये जाने के सम्बन्ध में है । मैं चाहता हूं कि यह स्थायी रूप से संविधि-पुस्तक पर जाये । यदि उप-धारा (३) को हटा दिया जाये और

इस से समय वृद्धि की अवधि असीमित हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक में संशोधन है कि उप-धारा ३ में अंक "१९५४" के स्थान पर "१९५७" रखा जाये । माननीय सदस्य ने मूल अधिनियम का निर्देश नहीं किया है । उन्हों ने केवल पंक्तियां संख्या ११ तथा १२ के हटाये जाने के लिये ही कहा है । इन शब्दों को हटाये जाने का संशोधन है । वह इस अधिनियम को स्थायी बनाना चाहते हैं । प्रत्येक विषय में सर्वदा ही विभिन्न सम्मितियां रही ह । सरकार की राय है कि यह १९५८ तक लागू रहना चाहिये । मूलतः इसे १९५० में प्रारम्भ किया गया था । यह अभी तक लागू रहा है । तथा उस समय तक लागू रखने की मांग की गई है । समय समय पर सरकार स्थिति की जांच करेगी कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि तीन वर्ष की अवधि बहुत अधिक है । माननीय सदस्य इस को स्थायी बनाना चाहते हैं तथा चाहते हैं कि इस का प्रयोग कभी कभी किया जाये ।

मेरे विचार से जब एक संशोधन अवधि को १९५७ को १९५५ में परिवर्तित करने के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है तब इस को स्थायी रूप देने वाला संशोधन भी प्रस्तुत किया जा सकता है । पहले मेरा ऐसा विचार था परन्तु इस सम्बन्ध में भी मैं ने अपने अनुभवों में यह किया है कि ऐसा कोई संशोधन जो इस अधिनियम के उन उपबन्धों का जो कि अधिनियम को लागू रखने अथवा संशोधन करता हो ऐसे अधिनियम को स्थायी बनाने वाला हो अथवा कोई ऐसी संविधि विधेयक में जोड़ता हो जो कि प्रभाव-शून्य हो चुकी है, विधेयक के क्षेत्र से बाहर है ।

जब संसद् इसे अस्थायी रूप से लागू करना चाहती थी तब भी इस का विरोध किया गया था । संसद् ने समय समय पर बदलने वाली स्थिति पर ध्यान रखते हुए इस अस्थायी अधिनियम को बनाया था । अब केवल प्रश्न यह है कि इस को कितनी अवधि तक के लिये रखा जाये । अभी माननीय मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि सरकार प्रतिवर्ष एक संकल्प प्रस्तुत करेगी। यह विधेयक को प्रस्तुत करने जैसा ही होगा क्योंकि यदि संकल्प स्वीकृत न हुआ तो अधिनियम जारी नहीं रहेगा ।

संसदीय प्रणालियों तथा पूर्ववादिताओं के अनुभवों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है । क्या माननीय सदस्य इस के विरुद्ध कुछ कहना चाहते हैं । यदि यह सम्मति हो कि ऐसे अधिनियमों को स्थाई बनाया जाय जिन्हें अस्थाई रखना है तो यह संशोधन इस क्षेत्र से बाहर है ।

श्री पी० सुब्बा राव : क्या मैं इस के १९८० तक बढ़ाये जाने का सुझाव दे सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने इस प्रकार का कोई संशोधन प्रस्तुत किया होता तो मैं उसे अनियमित घोषित न करता । परन्तु क्योंकि उन्हों ने ऐसा नहीं किया है अतः इतने कम समय की सूचना पर मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता हूं । इसलिये मैं इस प्रस्तावित अस्थायी अधिनियम को स्थायी बनाये जाने के संशोधन को नियम-विरुद्ध घोषित करता हूं ।

श्री गिडवानी (थाना) : क्या हम अपनी पूर्ववादितायें नहीं बना सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया सभा इस का विरोध करती रही है । सरकार इस को चाहती थी । अतः मैं ने माननीय सदस्य के सम्बन्ध में सोचा कि दल के नेता और उपनेता के इस के विपक्ष में बोल चुकने के कारण उन्हों ने

[उपाध्यक्ष महोदय]

उसे स्वीकार कर लिया है । मैं इस पूर्व वादिता को उलट नहीं सकता हूं । यदि कोई माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो मैं उस को ध्यानपूर्वक सुनूंगा ।

प्रश्न है कि :

"खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नवीन खंड २ क

डा० कृष्णस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति १२ के पश्चात् ये शब्द जोड़े जायें :

"२क. १९५० के अधिनियम ४ की धारा ३ का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा ३ में उपधारा (१) में, खंड (क) के उप खंड (२) में 'or the maintenance of Public order' 'अथवा जनता में शांति स्थापना' ये शब्द हटा दिये जायें ।

सामान्य नियम यह है कि जब किसी अधिनियम की अवधि बढ़ाये जाने के प्रस्तावक का सभा समर्थन करे तो यह समझा जाता है कि वह अधिनियम के उपबन्धों को भी स्वीकार करती है । अतः वह जैसे का तैसा स्वीकृत हो जाता है । इसलिये उस में संशोधन प्रस्तुत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । परन्तु इस नियम में कुछ अपवाद हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने दिल्ली तथा अजमेर मेवाड़ किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक पर जो निर्णय दिया था मैं ने उसे देखा है । चर्चा के समय यह निवेदन किया गया था कि मूल अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं अथवा नहीं । वह विधेय क भी अवधि बढ़ाने का था । अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि अवधि बढ़ाने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में समाप्त हो रहे अधिनियम के उपबन्धों पर संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं । परन्तु इस सामान्य नियम में कुछ अपवाद भी होते हैं और वह अवधि बढ़ाने वाले विधेयक विशेष के उपबन्धों पर निर्भर होते हैं । मेरा विचार है कि यह विधेयक भी इसी अपवाद के अन्तर्गत आता है ।

निवारक निरोध अधिनियम हमारे संविधान में दिये गये प्रत्याभूत अधिकारों पर नियंत्रण लगाता है । संविधान के अनुच्छेद २१ में दिया हुआ है कि "किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रया को छोड़ कर अन्य प्रकार वंचित न किया जायेगा ।"

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया "का आशय यह है कि उस पर पूर्णतया विचार होना चाहिये तथा हर बार जब इस प्रकार का अधिनियम प्रस्तुत हो तो उपयुक्त विधि अधिकारी, संवैधानिक अधिकारों के आधार पर उस पर विचार करें । अन्यथा ये शब्द बेकार से ही हैं । उच्चतम न्यायालय का भी यही विचार है कि अनुच्छेद २१ तथा २२ साथ ही साथ प्रयुक्त होते हैं तथा अनुच्छेद २१ विधि की व्यवस्था को स्थापित करता है । अतः इस पर विचार होना चाहिये । और संसद् को अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार देना चाहिय । दो वर्ष तक इस अधिनियम को लाग रहने के पश्चात् संसद् को अधिकार मिलना चाहिये था कि वह इस पर पुनः विचार करता । तथा प्रश्न के इस पहलू पर विचार किया जाये । विधान के द्वारा ही हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं । यदि संसद् को इसका अधिकार नहीं होगा तो अनुच्छेद

२१ के अन्तर्गत दिये गये अधिकार बेकार सिद्ध हो जायेंगे । यदि हमारे व्यक्तिगत अधिकार केवल "हां" अथवा "नहीं" पर ही निर्भर हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम संविधान के अनुच्छेद २१ के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों को कुचलने पर ही तुले हुये हैं ।

इस विषय पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना होगा । तर्क के लिये यदि यह मान भी लिया जाय कि किसी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता है तो भी नियंत्रण के कारण अब वह नहीं हैं जो कि मूल विधेयक के पारित किये जाते समय के । आज की स्थिति सन् १९५० की स्थिति से बिल्कुल भिन्न हैं ।

इंगलैंड में सामान्य विधि और प्रत्याभूत अधिकार के मध्य कोई विभेद नहीं किया जा सकता है । इंगलैंड के संविधान में कोई प्रत्याभूत अधिकार नहीं है । पार्लियामेन्ट मन चाहा विधान बना सकती है । उस पर किसी भी न्यायालय में मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अभियोग नहीं चलाया जा सकता है । परन्तु लिखित संविधान होने से यहां स्थिति बिल्कुल भिन्न है ।

एक और बात भी है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है । यह मान लिया गया है कि अनुच्छेद २२ को मूल अधिकारों वाले अध्याय में स्थान नहीं दिया जाना चाहिये था । इस विचार के समर्थन तथा विरोध में बहुत कुछ कहा जा सकता है । अनुच्छेद २२ द्वारा विधायनी अधिकार पर कुछ नियंत्रण लगाये गये हैं और यह सभी पर लागू होते हैं । इन सुरक्षणों को हटाना किसी भी परिस्थिति में असंभव है । यह न्यूनतम सुरक्षण राष्ट्रपति तथा विधान मंडलों द्वारा पालन किये जाने के लिये ही हैं । अनुच्छेद ३५८ भी, जो मूल अधिकारों के विलम्बन के सम्बन्ध में है, अनुच्छेद संख्या २१ तथा २२ अक्षुण ही रखता है । जब आपातों में भी निरोध के विषय में संविधान का यह दृष्टिकोण है तो इस प्रकार के निरोधक विधान को पारित करने का कोई औचित्य ही नहीं है । अतः जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को परिसीमित करने वाला कोई अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम उसकी सूक्ष्म जांच और परीक्षण करें । इसलिये इस सभा को मूल अधिनियम पर सर्वांग चर्चा करने से रोका नहीं जाना चाहिये । यह कोई साधारण साविधि नहीं है क्योंकि अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति देने का आशय ही यह है कि सभा समूचे अधिनियम के सभी उपबन्धों से सहमत है । मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में अपने विवेक को काम में लाने का दायित्व विधान मंडल पर आता है ।

इसलिये इन विचारों को मैं आपके समक्ष विचार किये जाने के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं । उन्होंने सभा का ध्यान उस अनुच्छेद की ओर आकर्षित किया है जिसमें यह उपबन्धित है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता उस समय तक नहीं छीनी जा सकती है जब तक कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का आश्रय न लिया जाये । इसके समर्थन में उन्होंने तर्क भी दिये हैं ।

पिछले अवसर पर जब इस विधेयक पर यहां चर्चा हुई थी तो मूल अधिनियम के सभी खंडों पर विचार करने और उनके सम्बन्ध में संशोधन देने की अनुमति दी गई थी । जब पिछली बार मूल अधिनियम के सभी खंडों पर चर्चा की जा सकती थी तो अब भी की जा सकती है ।

[श्री राघवाचारी]

आपने संशोधनों के नियम बाह्य होने के सम्बन्ध में श्री मे की पुस्तक से जो उदाहरण पढ़ कर सुनाये थे उनके सम्बन्ध में मुझे सर्व प्रथम तो यह निवेदन करना है कि यह विधेयक केवल अवधि बढ़ाने वाला ही नहीं है। यह मूल अधिनियम के एक अन्य खंड पर भी, विशेष कर उसके कार्य करण वाले पहलू पर प्रभाव डालता है। मूल अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर समेत समस्त भारत पर लागू होता था और अब इस स्थिति में संशोधन किया जा रहा है। यह केवल अधिनियम का समय ही नहीं बढ़ाता है अपितु उसे संकुचित भी करता है। इसलिये संशोधनों को ठीक माना जाये।

डा० काटजू : माननीय सदस्य ने तथाकथित मूल अधिकारों तथा मूल अधिकारों के संशोधन के बीच विभेद किया है। उदाहरण के लिये दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक को ही लीजिये। प्रत्येक व्यक्ति का यह मूल अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति का जिस तरह चा उपभोग करे और इसलिये वह उसका जो मन चाहे किराया ले। किराया नियंत्रण अधिनियम का आधार ही संपत्ति के मन चाहे उपभोग के मूल अधिकार पर नियंत्रण लगाना था। सन् १९५१ में यह किराया नियंत्रण विधेयक दो वर्ष की अवधि बढ़ाये जाने के लिये इस सभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। उस समय मूल अधिनियम में संशोधन करने के प्रयत्न किये गये थे परन्तु अध्यक्ष महोदय ने बहुत सोच विचार करने के पश्चात् ऐसा किये जाने की अनुमति नहीं दी थी। मेरी समझ में नहीं आता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णीत व्यवस्था को क्यों अमान्य किया जाये।

एक बात और भी है। माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि समय बढ़ाने वाले विधेयक पर मतदान होने के समय वह इस के विरुद्ध अपना मत दे सकते हैं। इस से कोई हानि नहीं होगी। आप चाहें तो विधेयक के पक्ष में मत दे सकते हैं और चाहें तो विपक्ष में मत दे सकते हैं। परन्तु एक संशोधन मात्र के द्वारा हम मूल अधिनियम को पुनरीक्षित करने को प्रस्तुत नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं हैं ?

डा० काटजू : अध्यक्ष महोदय ने दूसरी बात यह बताई है कि वर्तमान व्यवहार का ध्यान रखते हुए यह सोच ही लेना चाहिये कि संसद् ने इस मूल अधिनियम के कारण के समय इस विधेयक को प्रत्येक उपबन्ध, और प्रत्येक धारा पर विचार कर लिया होगा। मेरे विचार में अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय में उस सम्बन्ध में एक कंडिका है। अतः संसद यह समझती है कि इस सम्बन्ध में पुनरीक्षण बिलकुल भी अपेक्षित नहीं है।

ऐसी कोई बात नहीं है। जो कि माननीय सदस्य को अपने विधेयक को प्रस्तुत करने से रोके। वह गैर सरकारी विधेयक की सूचना दे सकते हैं और अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

डा० कृष्णस्वामी : यह एक असंभव सुझाव है।

डा० काटजू : इस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल यह विचार कर रहा हूं कि व्यवहार क्या होना चाहिये। अन्तिम निर्णय देना आप पर निर्भर है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि मैं आदरपूर्वक माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सारे कारणों का समर्थन करता हूं और मेरा अग्रेतर निवेदन यह है कि प्रक्रिया संबंधी इन मामलों में कुछ स्थिरता होनी चाहिये। और पूर्व उदाहरणों का अनुपालन करने की इच्छा होनी चाहिये। आप ने देखा होगा कि अध्यक्ष महोदय ने

इस पर वचार किरने के लिये काफी दिन लगाये और सारे अधिकारों पर विचार करने के बाद ही अपना मत दिया, और मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई कारण नहीं दिखाया गया है कि उन का मत क्यों बदला जाये ।

डा० कृष्णस्वामी : क्या माननीय गृह-मंत्री यह समझते हैं कि हमारे संविधान के भाग ३ में दिये गये मूल अधिकार से कुछ अन्तर पड़ता है ? क्या वे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कोई महत्व देते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मूल अधिनियम की धारा ३ में दिये गये निरोध आदेश देने के विभिन्न कारणों में सार्वजनिक व्यवस्था संधारण में खतरा पड़ने का भी एक कारण दिया गया है । माननीय सदस्य डा० कृष्ण-स्वामी अधिनियम में एक मूलभूत संशोधन करना चाहते हैं । जिस से निरोध आदेश के आधारों में से एक संविधि-पुस्तक में से निकाल दिया जायेगा । यह विधेयक केवल उस अधिनियम की कालावधि बढ़ाने के लिये है, और साथ ही इसके द्वारा क्षेत्राधिकार में संशोधन किया गया है, क्योंकि यह जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर शेष भारत पर लागू होगा ।

डा० कृष्णस्वामी ने अध्यक्ष महोदय के १९५१ के निर्णय की ओर निदश किया है जो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ किराया नियंत्रण अधिनियम की इसी प्रकार कालावधि बढ़ाने वाले विधेयक पर दिया गया था, और उस आधार पर यह कहा है कि जब मूल अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण हो तो उस पर सामान्य नियम लागू नहीं होता । संविधान के अधीन मूल अधिकारों की ओर निर्देश करते हुए उन्होंने यह तर्क दिया है कि यदि समाप्त होने वाली विधियों के संशोधन उन के उन अंगों से सम्बन्धित न हों जिन से सम्बन्धित विषयों की प्रत्याभूति संविधान में दी गई हो तो उन की कालावधि स्वतः ही बिना विस्तृत चर्चा के बढ़ा दी जायेगी । उन्होंने कहा कि नागरिक के साधारण अधिकार और अन्य उन अधिकारों में अन्तर होना चाहिये जिन के लिये संविधान में सुरक्षा दी गई हो ।

यह तर्क तथ्यपूर्ण है, परन्तु मैं अध्यक्ष के उस निर्णय से और निष्कर्ष निकालता हूं । उस निष्कर्ष में कहा गया है कि सामान्य नियम के अपवाद इस बात पर निर्भर करते हैं कि कालावधि बढ़ाने वाला विधेयक किस प्रकार का है । यह अभिव्यक्ति अस्पष्ट सा है और मेरा ध्यान किसी ऐसे दृष्टान्त की ओर नहीं दिलाया गया जो इस मामले पर पूर्णतः लागू होता हो ।

बाद में अब एक बार पहले इस अधिनियम की कालावधि बढ़ाई गई थी तो इस विषय को सभा के समक्ष भिन्न रूप में लाया गया था। तब विद्यमान विधि की केवल कालावधि नहीं बढ़ाई गई थी प्रत्युत उस में कुछ मूलभूत संशोधन किये गये थे । अतएव यह तर्क दिया गया था कि क्योंकि विधि के जिन भागों में संशोधन किया जा रहा है वे महत्व-पूर्ण भाग हू अतः उन को दृष्टि में रखते हुए और तदनुसार संशोधन किये जा सकते हैं । तब सरदार हुक्म सिंह ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जाये ।

अब न तो इस बात पर आपत्ति की गई है कि अधिनियम द्वारा स्थापित न्यायाधीकरण और अथवा प्रक्रिया का कार्य ठीक प्रकार नहीं हुआ. और न ही इस बात के आधार पर आपत्ति की गई है कि अब शान्तिपूर्ण जीवन है अतः अधिनियम की कालावधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार का कोई गंभीर संशोधन नहीं रखा गया । कल्पना द्वारा तो कुछ भी तर्क दिया जा सकता है । यह भी

[उपाध्यक्ष महोदय]

कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण ने कार्य ठीक ढंग से नहीं किया और अधिनियम ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया।

इन परिस्थितियों के अधीन मुझे ऐसा कोई प्राधिकृत निर्णय नहीं मिला जो वर्तमान मामले पर पूर्णतः लागू होता हो।

मेकी पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस नाम की पुस्तक की ओर भी निर्देश किया गया था। इंगलैंड में लिखित संविधान नही है परन्तु वहां भी कुछ मूलभूत अधिकार हैं। अतः हमें उस पुस्तक द्वारा भी इस सामान्य नियम को बदलने का कोई प्राधिकार नहीं मिलता।

जहां तक इस विधेयक में अधिनियम के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी संशोधन हैं, मैं तत्सम्बन्धी संशोधनों की अनुमति देने के लिये तैयार था। परन्तु सम्बन्धित माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं किये। परन्तु केवल उसी आधार पर सारे अधिनियम के विषय को लेने और उस पर संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि नया खण्ड २ क के इस संशोधन की अनुमति दी जा सकती है जिस में मूल अधिनियम को संशोधित करने का प्रयत्न किया गया है। मैं इसे नियमविरुद्ध घोषित करता हूं और अस्वीकार करता हूं।

खंड १ (संक्षिप्त नाम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम और अधिनियम सूत्र विधयक में जोड़ दिये गये।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रत्येक माननीय सदस्य को पांच मिनट मिलेंगे।

श्री नन्द लाल शर्मा : आप ने प्रारम्भ में ही निवारक निरोध दिया है।

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यैच तस्यै जनकात्मजाये ॥

नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्य ॥

बात यह है कि मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार पर निवारक निरोध प्रतिबन्ध दोनों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से दलबन्दी की भावना रख कर बोलना या विचार करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस सदस्यों को भी इस भारतवर्ष की जनता के मौलिक अधिकारों का उतना ही सम्मान है जितना विरोधी सदस्यों को है। ऐसी परिस्थिति में वह चाहते हों सर्वथा जनता को बांध लेना और उस के मौलिक अधिकारों का परित्याग करवा लेना, यह मेरी समझ में नहीं आता। साथ ही आप के ह-मंत्री द्वारा यह बार बार प्रस्तुत किये जाने वाला निवारक निरोध विधेयक का संशोधन भी सामने आ रहा है और इस से विरोधी बैंकों में कुछ न कुछ आशंका भी पैदा होती है। इस का विरोध भी पहले बहुत बार किया जा चुका है और अब सिद्धान्ततः स्वीकार भी किया जा चुका है। संशोधन भी फेंक दिये गये हैं तो भी मैं यह समझता हूं कि दो, एक बातें निवेदन के रूप में अपनी सरकार से अवश्य कह दूं। पहली बात यह है कि गृह मंत्री को यथार्थ में गृह-मंत्री के रूप में ही अपने को समझना चाहिये। और उसी के अनुसार आचरण भी करना चाहिये। केवल एक वकालत के दृष्टिकोण

से अथवा तर्क की दृष्टिकोण से और केवल यह भावना रख करके कि मुझे अपने तर्क को सामने खड़ा करना है और जनता की भावना को नहीं खड़ा रखना है, इस दृष्टिकोण से आप को इस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिये। हम समझते हैं कि किसी भी जगह पुलिस के द्वारा दुरुपयोग भी हो सकता है, होता है और कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि इस बिल को इस के द्वारा भारत वर्ष की जनता की रक्षा की जाये स्वतन्त्रता की रक्षा की जाये, बाहर से आने वाले गुप्तचरों से अपने देश को बचाया जाय और ऐसी परिस्थितियों में यदि कुछ अंशों को लेकर कोई ऐसा बिल अथवा इसी बिल को कुछ संकुचित रूप दे कर के और उन अंशों को इस में रख कर के जिन के द्वारा बाह्य गुप्तचरों से और जितने भी पंचम कालम के लोग हैं उन को रोकने के लिये यदि इस बिल का प्रयोग किया जाय तो अभी थोड़ी देर पहले मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से बातचीत कर रहा था और उन का भी कहना था कि यदि यह बिल देशद्रोहियों को पकड़ने के लिये पक्का भी कर दिया जाय और उन को नियंत्रण में रखने के लिये इस की आवश्यकता हो तो मैं समझता हूं कि सिद्धान्ततः इस के विरुद्ध नहीं। ला एन्ड आर्डर शब्द ले कर के तो मुझे गवर्नमेंट आफ इंडिया के वे शब्द याद हो उठते हैं। पब्लिक पीस एन्ड ट्रैन्क्विलिटी। जिस व्यक्ति को भी दबाना अभीष्ट हो पब्लिक पीस एन्ड ट्रैन्क्विलिटी के नाम से दबा दिया जाय। मेरा निवेदन है कि सरकार शांति से रहने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं उन की राजनीतिक भावनाओं को कुचलने के लिये इस का उपभोग न करे। अभी गृह मंत्री महोदय ने कहा कि दो वर्ष के बाद चुनाव होने वाले हैं, निर्वाचन होंगे और निर्वाचन के बाद जो भी सदन यहां आयेगा, उस को यह कानून स्वीकार होगा तो वह रक्खेगा नहीं तो फेंक देगा। मैं स्पष्ट रूप से पहले भी यहां कह चुका हूं कि हम को यह पता चलता है कि सम्भवतः स्वतन्त्र निर्वाचन न होने पावें, इसीलिये इस की आवश्यकता पड़ गयी। इसलिये उचित तो यह था कि कम से कम निर्वाचन से पूर्व निवारक निरोध विधेयक रोक दिया जाता फिर नई पार्लियामेंट जब यहां पर आये उस को यदि इस की आवश्यकता प्रतीत हो तो वह इस को स्वीकार अथवा अस्वीकार करे।

इस सम्बन्ध में जो प्रारम्भिक विधि है और जिस विधि को आज परित्याग कर दिया है, वह धारा २ की उपधारा २ में काश्मीर के सम्बन्ध में जो शब्द रक्खे हैं 'प्रतिरक्षा, वैदेशिक कार्यों अथवा भारत की सुरक्षा से सम्बन्धित कारणों से' उन को इस कानून में नहीं रक्खा गया है। काश्मीर को इस कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। मेरे विचार में इन तीन विषयों में यदि इस को सदा के लिये भारतवर्ष की सुरक्षा के लिये आवश्यक अंग भी अगर कानून का बना दिया जाय तो भी कोई हानि नहीं है। उस के बदले में दुर्भाग्यपूर्ण बात हमें देखने को यह मिलती है कि काश्मीर को भी हटा दिया गया, उस काश्मीर से जहां पर भारतवर्ष का हृदय से सदा कल्याण चाहने वाला भारत माता का एकलौता पुत्र जिस के लिय विश्व की पार्लियामेंट कभी उस को स्मरण करेंगी उस भारत माता के लाडले पुत्र डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी का प्राणान्त हुआ। किसी प्रकार की भी भारत के अहित की भावना उन के मन में हो नहीं सकती थी, उस ने काश्मीर को भारत में पूर्णतया मिलान के हेतु अपने जीवन की आहुति दी। आज हमारा कानून उस काश्मीर पर से हटा दिया गया, उस अवस्था में जब कि भारत के प्रत्येक कोने में इन विषयों में इस कानून को बनाया जा सकता था, मैं नहीं समझता कि काश्मीर को इन विषयों में से क्यों हटा दिया जाय

[श्री नन्दलाल शर्मा]

जब कि काश्मीर को इन में शामिल करना भारतीय संविधान के विरुद्ध नहीं है । हमारे संविधान ने ही नहीं बल्कि काश्मीर का भारत के साथ जो विलय हुआ है वह जिन तीन विषयों को ले कर हुआ है उन में डिफेंस यानी सुरक्षा और परराष्ट्र नीति शामिल हैं । भारतवर्ष की सुरक्षा उसमें है और जिन्हें हम यहां इस विधेयक के अन्तर्गत पाते हैं किन्तु इन तीन विषयों को बीच में से हटा दिया गया है और भारतवर्ष में काश्मीर का जो विलय हुआ और संविधान ने इन तीन विषयों को ले कर विलय स्वीकृत किया हुआ है उस की ओर से आंखें मूंद ली गई हैं और उन का परित्याग कर दिया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हिन्दू माइनारिटी एन्ड गार्जियनशिप बिल की भांति ही यह विधेयक आया है जो जनता की इच्छा और उन की भावनाओं के प्रतिकूल उन पर जबर्दस्ती लादा जा रहा है, यह प्रीवेन्टिव डिटेंशन एक्ट भी देश और जनता के ऊपर जबर्दस्ती सरकार द्वारा लादा जा रहा है । वस्तुतः जन सामान्य की भाषा और उन के व्यक्ति स्वातंत्र्य को रखना उन को अभीष्ट नहीं है । इस कानून की वर्किंग के सम्बन्ध में जो तालिकायें दी गई हैं उन के सम्बन्ध में मैं बतलाना चाहता हूं कि उन से यह स्पष्ट नहीं होता कि उस में कितने व्यक्ति निरपराध पकड़े गये अर्थात् पकड़े गये और कोर्ट के द्वारा निरपराध घोषित कर दिय गये । जो तालिका ११ है उस के अन्दर २६१ व्यक्ति पकड़े गये और उन में से जितने लोग मुक्त कर दिये गये उन की संख्या तालिका १२ में २४५ है । आखिर वह क्यों मुक्त कर दिये गये ? उन के विरुद्ध कोई बात सिद्ध नहीं हो सकी। मुझे कई केसेज स्मरण हैं जो कि दिल्ली में आप के केन्द्र में सुप्रीम कोर्ट के सामने थे । उन को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट के अन्दर पकड़ा गया । लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में उन के मामलों में निर्णय होने वाला था उस से पूर्व उन को सरकार ने छोड़ दिया । स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे महात्मा पर भी यह कानून लगाया गया, यह कह कर कि उन का बाहर रहना जनता की स्वतन्त्रता में बाधक हो रहा है । जिन के मन में स्वप्न में भी जनता का अहित नहीं है, जो भूल कर भी किसी का बुरा नहीं चाहते और जिन की आध्यात्मिक शक्ति से भारत का कल्याण हो सकता है, ऐसे महापुरुष को, जब जब उन का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आने लगा, तब तब उस से पूर्व उन को छोड़ दिया गया । थोड़े दिन पहले उन को बंगाल सेफ्टी एक्ट के अन्दर कलकत्ता में पकड़ा गया । उन के मामले को निरन्तर सरकार टालती चली गई, जब कोर्ट के सामने उन का मामला आने लगा उस समय उस से पूर्व उन को छोड़ दिया गया ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि भावनाओं के साथ गृह-मंत्री तीन वर्ष का समय ले रहे हैं । वह बहुमत के बल पर तो सब कुछ करा ले सकते हैं, किन्तु उस को केवल बहुमत का ही बल न दिया जाय । भावना यह रहनी चाहिये कि जनता का कल्याण हो, भारतवर्ष की रक्षा तथा हित हो । मैं तो भगवान कैलाश नाथ की इस भावना से बार बार प्रार्थना कर चुका हूं कि वह घर के पुरखा हैं, वह स्वयं विष पीने वाले, कालकूट का पान करने वाले और प्रजा को अमृत पिलाने वाले हों । उन को यह प्रयत्न करना है कि आज जो वह प्रजा के गले में भी विष का घूंट डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह न कर के विष तो वह स्वयं रख लें और अमृत प्रजा को दे दें । वह अपने को कष्ट दे कर भी

प्रजा के ऊपर इतनी कृपा करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री लक्ष्मय्या : मैं समझता हूं कि इस विधान से देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित होगी किन्तु कुछ सदस्यों ने इस की इतनी कटु आलोचना की है कि इसे सरकार का लज्जाजनक कार्य बताया है। मेरे विचार से लोकतन्त्र की रक्षा करने के लिये यह विधान अमोघ अस्त्र है ।

मैं इसलिये माननीय गृह-कार्य मंत्री के दीर्घजीवन की कामना करता हूं कि उन्हों ने इस महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विधान को सम्मुख रखा है । मेरे चुनाव क्षेत्र में एक दुकानदार को दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने दुकान में घुस कर पीटा था, किन्तु किसी ने भी उन बदमाशों के विरुद्ध साक्षी नहीं दी । ऐसी दशा में क्या सरकार का यह पुनीत कर्तव्य नहीं है कि वह जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करे । विशेषकर आवश्यकता इस बात की है कि विधि का उल्लंघन करने वालों से अवश्य रक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

एक दूसरी इसी प्रकार की घटना एक गांव में घटी थी । दोपहर के समय तीस आदमियों के एक गिरोह ने आक्रमण कर दिया कुछ लोगों को मारा-पीटा और लूट कर चल दिये । यह सब ठीक दिन के १२ बजे हुआ था । इस अधिनियम के द्वारा विधि विरोधी तथा समाज विरोधी कार्य करने वाले लोगों को उचित दण्ड दिया जा सकेगा । मुझे विश्वास है कि विधि का पालन करने वाले नागरिक माननीय गृह-कार्य मंत्री को हिंसात्मक कार्यों तथा गुंडागर्दी से बचाने वाले संरक्षक के समान समझेंगे । केवल आवश्यकता इस बात की है कि इस अधिनियम का न्यायोचित तथा सावधानी से उपयोग होना चाहिये । इस अधिनियम की परीक्षा आन्ध्र के आगामी चुनाव में हो जायेगी । साधारण व्यक्ति तो खात-कपड़ा, अपनी सुरक्षा और शान्ति चाहता है । इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिये यह विधेयक अत्यन्त आवश्यक है । अतः इसे पारित करना न्यायोचित है ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, १९५२ में जब निवारक निरोध अधिनियम पर चर्चा चल रही थी तो प्रधान मंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार बड़ी साहसी सरकार है । यदि ऐसी ही बात है तो अब तो और भी सौभाग्य की बात है । स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल इस विधेयक के होते हुए सो तक नहीं सकते थे किन्तु डा० काटजू इस के बिना सो नहीं सकते । इसी प्रकार से इस सरकार ने अब यह सुझाव दिया है कि इस विधेयक को संविधि-पुस्तक पर ही रख दिया जाये ।

श्रीमान्, हमारे पक्ष के कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि विद्रोह के कारण कतिपय व्यक्तियों को निरुद्ध किया जा सकता है । यह बात आज हर एक व्यक्ति जानता है कि प्रधान मंत्री हमारे दल का कितना विरोध कर रहे हैं । इसलिये प्राकृतिक रूप से उन के शिष्य तो इस प्रकार आवेशपूर्ण बातें कहेंगे ही ।

अब प्रधान मंत्री कांग्रेस के लिये आंध्र में जायेंगे । आजकल बैंक कर्मचारियों का भी भय है । यह हो सकता है कि इससे हमारे दल को कुछ हानि हो, किन्तु मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन सब बातों के होते हुए भी हमारा दल उन्नति करेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री तथा माननीय प्रधान मंत्री ने अपने भाषणों में यह कहा है कि इस विधेयक का उपयोग किसी विचारधारा को दबाने के निमित्त नहीं होगा ।

श्री पुन्नूस : मैं तो दल की गतिविधियों के सम्बन्ध में कह रहा हूं । आप लोग साम्यवादी

[श्री पुन्नूस]

दल की उन्नति नहीं रोक सके हैं। यह असंभव है। हम एक ऐसे संकटकाल से गुजर रहे हैं जबकि देश में निराशा फैली हुई है और यही एक महत्वपूर्ण कारण है।

प्रधान मंत्री हम पर यह आरोप लगा रहे थे कि हम लोग बैंक कर्मचारियों को उभार रहे हैं। किन्तु उस के अपने श्रम मंत्री ने ही त्याग-पत्र दिया क्योंकि सरकार ने अनुचित कार्यवाही की थी और जनता निराश हो गई—किन्तु उन्हों ने यह बात सरल जानी.....

आज मैं ने पत्रों में पढ़ा है कि रक्षा विभाग के कर्मचारी भी अपनी मांगें रख रहे हैं और उन्हों ने हड़ताल की सूचना दे रखी है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य में १२ हड़तालें हो रही हैं—क्या आप ने कभी उस की ओर ध्यान दिया। कहीं भी मजदूर नई मांगें नहीं कर रहे हैं। पुरानी मजूरी भी कम की जा रही है, बोनस नहीं दिये जा रहे। और इन सब बातों से निराशा फैल रही है। कृषि वस्तुओं में मूल्य गिर जाने के कारण किसान की हालत पतली हो गई है। सरकार किसी की भी कोई सहायता नहीं कर रही।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम तृतीय वाचन कर रहे हैं, सामान्य चर्चा नहीं।

श्री पुन्नूस : श्रीमान, १९४७ से १९४९ तक सरकार यह समझती थी कि कठिनाइयां समाप्त हो जायेंगी और फिर निवारक निरोध अधिनियम की आवश्यकता न रहेगी—किन्तु आज १९५४ में फिर यही हो रहा है। अब सरकार का विचार है कि बिना इस के वे शासन ही नहीं कर सकते। हम इसी बात का विरोध करते हैं। वह कह रहे थे कि यदि हम इसे पारित नहीं करेंगे, तो राज्य सरकारें इसे पारित करेंगी—किन्तु यह उन का भ्रम है।

राज्य सरकारों को यह पारित करना कठिन होगा। इस का कारण यह है कि जो कुछ आंध्र में हुआ है वह ही कई और राज्यों में भी होने वाला है। अतः आप लोगों को दबाने के लिये यहीं पर एक हथियार तैयार कर रहे हैं।

मैं इसी कारण से आपत्ति करता हूं कि इस विधेयक को उन लोगों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जायेगा जो अपने दुखों को मिटाने के लिये लड़ते होंगे। हमारे पास, किसी भी प्रकार के अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध हैं। आप उन्हीं का आश्रय लें। संभवतः साक्ष्य के अभाव में आप वैसा नहीं करते। इन्हीं कारणों से हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।। हमें इस से कोई भय नहीं। हमारा दल इस का सामना करेगा—किन्तु दुःख की बात तो यह है कि यह हमारी जनता के विरुद्ध प्रयुक्त होगा।

डा० काटजू : मेरे विचार में मैं केवल इस के अतिरिक्त और कोई उपयोगी बात नहीं कहूंगा, कि जो कुछ विरोधी बैंचों से कहा जाता है मैं उसे कड़वी घूंट समझ कर पी लेता हूं। वे जानते हैं कि जो कुछ वे करते हैं उस का आधार हिंसात्मक होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात लोक-सभा मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४, के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

GIPD—HS—562 LSD—8-6-55—285